


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251338
CG-DL-E-16012024-251338

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945

No. 09]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

फा. सं. 9-4/2022-आईएस.18.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 (इसके बाद, अधिनियम के रूप में संदर्भित) में केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के परामर्श से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के लिए अभिगम्यता मानकों को निर्धारित करने वाले नियम तैयार करने का अधिदेश दिया गया है;

और जबकि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 में शैक्षणिक संस्थानों में भवनों, परिसरों और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाने का अधिदेश दिया गया है;

और जबकि, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय जो स्कूल शिक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में नोडल मंत्रालय है, ने तदनुसार, हितधारकों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के साथ परामर्श से दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अभिगम्यता संहिता विकसित की है;

अब, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनईपी 2020 कार्यान्वयन ढांचे के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से 2030 तक सभी को समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करने संबंधी एसडीजी 2030 के लक्ष्य-4 के अनुरूप अनुलग्नक -1 में वर्णित "शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता" को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

ए. श्रीजा, आर्थिक सलाहकार

ACCESSIBILITY CODE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ACCESSIBILITY INDIA CAMPAIGN
CBSE BOARD, INDIA

अभिगम्यता भारत अभियान
सीबीएसई बोर्ड, भारत

शैक्षिक संस्थानों के लिए
अभिगम्यता संहिता



(शैक्षिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शैक्षिक भवन जैसे प्री-प्राइमरी से लेकर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, केजीवीवी, आवासीय स्कूल, छात्रावास, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआईईटी, एसआईईटी आदि में अवरोध रहित पहुंच हो।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार दिशानिर्देश और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है कि सभी शैक्षिक भवन जैसे कि प्री-प्राइमरी से लेकर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तक, केजीबीवी, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआईईटी, एसआईईटी आदि में अवरोध रहित पहुंच हो।

तदनुसार, शैक्षिक संस्थानों में अवरोध रहित पहुंच/सुगम्यता के लिए विशिष्ट रूप से तैयार दिशानिर्देश निर्मित करने के लिए, अध्यक्ष, सीबीएसई की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी 2021 के पत्र संख्या F.No.16/2025RMSA-II/IS- 18(भाग-II) के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था:

1. अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
2. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)
3. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
5. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक
6. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाने वाले विशेष आमंत्रित सदस्य।

बाद में अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित विशेषज्ञों को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया:

1. डॉ. अंजलि अग्रवाल , सह-संस्थापक, समर्थ्यम
2. डॉ इंदुमति राव , संस्थापक और क्षेत्रीय सलाहकार, सीबीआर नेटवर्क
3. सुश्री सुधा आचार्य , प्रिंसिपल, आईटीएल पब्लिक स्कूल, द्वारका
4. सुश्री हरप्रीत कौर, प्रिंसिपल, श्री गुरु हरकृष्ण मॉडल स्कूल, चंडीगढ़
5. डॉ. आरती बक्सी, काउंसलर , पाथवेज स्कूल नोएडा
6. डॉ वसंती त्यागराजन , सीनियर प्रिंसिपल, शिक्षा स्कूल, कृष्णागिरी , तमिलनाडु
7. डॉ. संदीप कुमार जैन, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
8. डॉ. प्रज्ञा वर्मा , उप सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद दिनांक 26 जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दी थी।

अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)

उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक
सुश्री रितु सिंह शर्मा, आईआरएस-आईटी

विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य:

1. डॉ. जोसेफ इमैनुएल, निदेशक (शैक्षणिक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2. श्री संजीव दास, संयुक्त सचिव (प्रशासन व विधि), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
3. डॉ. संदीप कुमार जैन, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
4. डॉ. प्रज्ञा वर्मा, उप सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
5. डॉ. अंजलि अग्रवाल, सह-संस्थापक, समर्थ्यम
6. डॉ. इंदुमति राव, संस्थापक और क्षेत्रीय सलाहकार, सीबीआर नेटवर्क
7. सुश्री सुधा आचार्य, प्रिंसिपल, आईटीएल पब्लिक स्कूल, द्वारका
8. सुश्री हरप्रीत कौर, प्रिंसिपल, श्री गुरु हरकृष्ण मॉडल स्कूल, चंडीगढ़
9. डॉ. आरती बक्सी, काउंसलर, पाथवेज स्कूल नोएडा
10. डॉ वसंती त्यागराजन, सीनियर प्रिंसिपल, शिक्षा स्कूल, कृष्णागिरी, तमिलनाडु

CHAPTER 1: CURRENT SITUATION

अध्याय 1: वर्तमान स्थिति



प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और आयु-उपयुक्त गतिविधियों में भाग लेने के अवसर का अधिकार है। शिक्षा बच्चों को उपयोगी जीवन जीने और समाज के सुयोग्य सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाने के प्रावधान किए जाएं और अवरोधों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएं। यदि 'सभी के लिए शिक्षा' का लक्ष्य हासिल करना है तो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सुलभ, बाधा-रहित वातावरण केवल दिव्यांग बच्चों को ही नहीं, बल्कि सभी को लाभ पहुँचाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बच्चों के वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग, भौगोलिक उत्पत्ति और क्षमताओं पर निरपेक्ष होकर प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक सेवाओं को प्राप्त करने का समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है और सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) तक सुगम्यता पर बल देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक अवरोध रहित पहुंच की आवश्यकता को दोहराया गया है।

1.1. संहिता की आवश्यकता

यह संहिता दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सुविधाओं तक पहुंच में भौतिक बाधाओं और सूचना एवं सम्प्रेषण बाधाओं की जांच-पड़ताल करती है। इसमें विद्यमान भवनों के लिए कम लागत वाले समाधानों के साथ क्रॉस डिसएबिलिटीज और बच्चों के अनुकूल मानकों और साथ ही नए भवनों को राष्ट्रीय अभिगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सभी समावेशी तत्वों का वर्णन है। अनुसंधान से मिला अनुभव, ग्रामीण और शहरी दोनों वातावरणों में स्कूलों के 'एक्सेस ऑडिट', प्रशिक्षण और उपयोगकर्ता समूह इनपुट- ये इस संहिता का आधार हैं। आवश्यक और अ-परक्राम्य सार्वभौमिक डिज़ाइन तत्वों के साथ उन सभी के लिए आसानी से समझ में आने वाले रेखाचित्र, चित्र/उदाहरण और सर्वोत्तम प्रथाओं की तस्वीरें प्रदान की गई हैं जो एक सुगम वातावरण की वकालत करते हैं और उसे लागू करते हैं और यहाँ तक कि सबसे जटिल मामलों के लिए भी सही उत्तर या समाधान खोजने में सहायता करते हैं।

यूएनसीपीआरडी के अनुसार, "उचित आवास" का अर्थ है, जहां आवश्यक हो, अधिक या अनुचित बोझ डाले बिना आवश्यक और उचित आशोधन/बदलाव और समायोजन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन समान आधार पर मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लें और इनका प्रयोग करें। भारत, यूएनसीपीआरडी का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में दिव्यांगजन के लिए दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिकांश लोग दिव्यांग बच्चों के लिए अभिगम्यता को केवल रैंप, लिफ्ट, एलिवेटर और शौचालय के संदर्भ में समझते हैं। हालाँकि, अभिगम्यता एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें उपयुक्त अवसंरचना और अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण दोनों के संदर्भ में स्वीकार्यता का रवैया और एक सुखद वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल है। यह स्कूल प्रबंधन और प्रशासन पर नीतियां बनाने, संरचनाएं बनाने, सामग्री और उपकरण खरीदने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और भिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान प्रणालियों को आशोधित और अनुकूलित करने के दृष्टिकोण में लचीलापन बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। अभिगम्यता का अर्थ केवल शारीरिक पहुंच नहीं है, बल्कि इसका आशय विभिन्न सुगम प्रारूपों, स्कूल वेबसाइटों, ब्रोशर, बुलेटिन, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में शिक्षण-अधिगम की सामग्री, स्कूल परिसर और विभिन्न सुविधाओं में आने-जाने के संकेतक(साइनेज)/ दिशाओं की सूचना तक पहुंच से है।

1.2. संहिता के बारे में

सुगम्य वातावरण का तात्पर्य स्कूलों में और उसके आसपास सभी बच्चों और वयस्कों के लिए बनाए गए वातावरण में सार्वभौमिक अभिगम्यता मानकों और संहिताओं के प्रोत्साहन और कार्यान्वयन से है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है; जिसे संहिता में दिव्यांग बच्चे (सीडब्ल्यूडी) कहा गया है। सीडब्ल्यूडी वे हैं जिनमें चलने-फिरने की बाधा/क्षति/अक्षमता, दृश्य बाधिता, बोलने और सुनने की बाधा/अक्षमता, बौद्धिक और अधिगम दिव्यांगता होती है; साथ ही इनमें विकासात्मक दिव्यांगता अर्थात् सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़्म, मानसिक रुग्णता और बहु दिव्यांगताएँ वाले भी शामिल हैं। सुगम्य वातावरण से स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अभिभावकों और आगंतुकों को भी लाभ होता है। यह संहिता शैक्षिक संस्थानों की भौतिक संरचनाओं (इनडोर और आउटडोर सुविधायें) और संचार और अधिगम पारिस्थितिकी तंत्र में अवरोध और अवरोधों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए किफ़ायती समाधान प्रदान करती है। संहिता की चर्चा नीचे इस प्रकार की गई है:

- स्कूलों में समावेशी वातावरण, अधिगम और हितधारकों को परिभाषित करने में संचार और सार्वभौमिक डिजाइन के अभिसरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है;
- स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय भौतिक अवसंरचना अभिगम्यता मानकों पर गहन जानकारी प्रदान करता है। संहिता में भौतिक अभिगम्यता मानकों को राष्ट्रीय भवन संहिता 2016, दिव्यांगजन के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान मानक 2016 और इंडियन रोड कांग्रेस, गाइडलाइंस फॉर पेडस्ट्रियन फैसिलिटीज, 'आईआरसी 103: 2012' से संदर्भित किया गया है। विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समाधान प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अनुसंधान से प्राप्त अनुभव, 'एक्सेस ऑडिट' और उपयोगकर्ता समूह इनपुट इस संहिता की नींव हैं। समावेशी शिक्षा परियोजना और अभिगम्यता भारत अभियान के तहत 16 राज्यों के स्कूलों के 'एक्सेस ऑडिट' के साथ-साथ भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं से, दिव्यांगजनों के संगठन सामर्थ्यम द्वारा छवियाँ और ग्राफिक चित्र उपलब्ध कराए गए हैं।

CHAPTER 2: DEFINING STAKEHOLDERS

अध्याय 2 :

हितधारकों को परिभाषित करना



समावेशी स्कूली शिक्षा स्कूलों और उनके आसपास के समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से स्थायी संबंधों की मांग करती है। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत, स्कूली शिक्षा में माता-पिता और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए, स्कूलों के लोकतंत्रीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के रूप में, उन्हें स्कूलों का विकास करने और चलाने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए कुछ वैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। एसएमसी अपने स्वयं के स्कूल की दक्षता और शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं।

2.1 मातापिता व देखरेख-

प्रायः यह देखरेख कर्ता ही होते हैं जो उन पर निर्भर दिव्यांगजनों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करने के अलावा, दिव्यांगजनों की दैनिक जरूरतों के लिए सहायता करके बड़ा कार्य करते हैं। देखरेख की प्रक्रिया में, उन्हें अपनी पसंद के काम में शामिल होने, पैसा कमाने, अपने करियर में प्रगति करने, एक संतोषजनक सामाजिक जीवन जीने और यहां तक कि आराम से समय बिताने के अवसरों को छोड़ना पड़ सकता है। जब बच्चे/वयस्क घर से बाहर हों तो उनकी देखरेख का अतिरिक्त दायित्व उपलब्ध शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाया जाता है।

2.2 स्कूल प्रशासन

समावेशन की यात्रा किसी घटना के बजाय एक प्रक्रिया है; यह प्रक्रिया सोचने के नए तरीकों, कक्षा संचालन के नए तरीकों, चिंतन व दृष्टिकोण और सामाजिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करने को प्रतिबिंबित करती है। शैक्षिक प्रशासकों को सेवा के समग्र मानक स्थापित करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रबंधन संरचनाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.3 स्कूल प्रबंधन समिति

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) सदस्य अब एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, जिनकी समावेशी स्कूल के कामकाज की निगरानी करने, स्कूल विकास योजनाएं तैयार करने और उनकी सिफारिश करने, अनुदान के उपयोग की निगरानी करने और ऐसा माहौल बनाने में निर्णायक भूमिका होती है जहां घर और स्कूल बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। एसएमसी के सदस्यों को स्कूल से संबंधित गतिविधियों में उनकी प्रभावी भागीदारी और आरटीई अधिनियम, 2009 के लक्ष्यों को साकार करने के लिए उनकी अपेक्षित भूमिकाओं के लिए उन्हें अभिविन्यस्त, प्रशिक्षित और सहयोग करना आवश्यक है। उन्हें समावेशी स्कूलों की जरूरतों को समझने, उनका विश्लेषण करने, आरटीई अधिनियम में निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुसार कार्य योजना और अन्तःक्षेपों को विकसित करने जैसे कुछ कौशलों से सज्जित करना अनिवार्य है।

<http://scertdelhi.nic.in/>

| भूमिका | मैं क्या कर सकता हूँ | मैं कैसे कर सकता हूँ |
|---|--|---|
| प्रशिक्षण - भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और उनके सामने आने वाले कार्यों को समझना। | आत्मविश्वास पैदा करना - वे अपने स्कूलों में बदलाव लाने और निर्माण संबंधी निगरानी करने में सक्षम हैं। | शिक्षकों की अनूठी भूमिका को समझें और स्कूलों को बदलने के लिए शिक्षकों के साथ सहयोग करें। |
| स्कूल में विभिन्न तत्वों के 'एक्सेस ऑडिट' के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया की स्थापना करना। | 'एक्सेस ऑडिट' के लिए सदस्यों का एक समूह बनाएं और स्व-आकलन जांचसूची सेक्शन 8.4.1 का उपयोग करें। भुगतान शर्तों में अनिवार्य अनुपालन सेक्शन होना चाहिए। | यदि आवश्यक हो, तो सेक्शन 3.2 में दिए गए अनुसार दिव्यांग बच्चों की बुनियादी अभिगम्यता आवश्यकताओं पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से प्रशिक्षण प्राप्त करना। |
| सुगम परिवहन का प्रावधान- गंभीर और बहु दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए। | व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं/बैसाखी उपयोगकर्ताओं आदि जैसी गतिशीलता साधनों का उपयोग करने वाले बच्चों की अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक वाहनों में रूपांतरण/अनुकूलन/परिवर्तन करना। | दिव्यांगजनों के स्थानीय नागरिक समाज संगठनों और दिव्यांगता विशेषज्ञों के परामर्श से, स्थानीय रूप से उपलब्ध सार्वजनिक वाहनों के रूपांतरण/अनुकूलन/परिवर्तन पर काम किया जा सकता है। |

CHAPTER 3: BARRIERS AND IDENTIFICATION OF BARRIERS

अध्याय 3:
अवरोध व
अवरोधों
की पहचान



एक अवरोध को "कुछ भी जो दिव्यांगजन को उसकी दिव्यांगता के कारण समाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, अवरोध तब उत्पन्न होते हैं जब स्थान और गतिविधियाँ जिन तक सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए, इस तरह से निर्मित/तैयार की जाती हैं जो ऐसी पहुंच को सीमित करती हैं। अवरोध उन गतिविधियों को सीमित करते हैं जो दिव्यांगजन कर सकते हैं, वे स्थान जहाँ वे जा सकते हैं, अथवा उनके प्रति दूसरों का रवैया। उदाहरण के लिए, भारी दरवाजे ऊपरी शरीर की सीमित गति वाले लोगों के लिए अवरोध हैं। इस प्रकार के दरवाजे लोगों को प्रवेश करने और भवन के मूलतत्वों का उपयोग करने से रोकते हैं।

3.1 अवरोधों के प्रकार

स्कूलों में विभिन्न प्रकार के अवरोध प्रचलित हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और समावेशन प्राप्ति में बाधा डालते हैं। कुछ सामान्य अवरोध इस प्रकार हैं:

दिव्यांगता से जुड़ा सामाजिक कलंक और दृष्टिकोण

- दिव्यांगता से जुड़ी रूढ़िवादिता दिव्यांग बच्चों और उनकी शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देती है। माता-पिता, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन प्रायः दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और जरूरतों की अनदेखी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ भेदभाव और प्रतिरोध होता है।

सूचना और शैक्षिक सामग्री तक पहुँचने में अवरोध

- कई स्कूलों में, संवेदी क्षति (दृश्य, भाषण और श्रवण), अधिगम और अन्य विकास संबंधी दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री और शिक्षण विधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। समावेशी व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों को सुगम शिक्षण और अधिगम सामग्री और पद्धतियाँ प्रदान की जानी चाहिए।


भौतिक अवसंरचना तक पहुँचने में अवरोध

- दुर्गम और दोषपूर्ण डिज़ाइन दिव्यांग बच्चों के लिए भौतिक/ शिल्प संबंधी अवरोध पैदा करते हैं और स्कूलों तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं।

दिव्यांग छात्राओं के सामने आने वाले अवरोध

- पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण दिव्यांग छात्राओं के लिए शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जो छात्राओं को घरेलू भूमिकाओं में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसलिए उनकी शिक्षा को अनावश्यक मानती है।
- स्कूलों में उचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण छात्राओं के शिक्षार्जन के दौरान मासिक धर्म में नियमित रूप से बाधा आती है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और यौन हिंसा से अपर्याप्त संरक्षा का भय
- कुछ क्षेत्रों में, सभी छात्राओं का जन्म के समय पंजीकरण नहीं किया जाता है, जिससे स्कूल में नामांकन असंभव हो जाता है।

दिव्यांग छात्राओं के लिए, ये अवरोध बहुत अधिक बढ़तर हैं। उनके लिए परिवारों की उम्मीदें और भी कम हैं और उनकी शिक्षा में निवेश को प्रायः बर्बादी के रूप में देखा जाता है। दिव्यांगता से जुड़ी शर्म के कारण कभी-कभी छात्राओं को घर में छुपाया जाता है। यदि वित्तीय संसाधन सीमित हैं, तो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को काफी हद तक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पुरुषों से प्रायः दिव्यांगता की परवाह किए बिना, भविष्य में काम करने और आय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि किसी बच्चे की गतिशीलता या दृष्टि बाधित है, तो स्कूल तक जाने के लिए परिवहन एक और चुनौती खड़ी करता है।



व्यवहार संबंधी अवरोध

सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री तक पहुँच में अवरोध

भौतिक अवसंरचना तक पहुँचने में अवरोध

शौचालय में एक समान लिंग वाले का साथ: एक और चिंता का विषय यह है कि किसी छात्रा के साथ बाथरूम में जाने वाला देखरेख कर्ता भी समान लिंग का ही होना चाहिए। कभी-कभी, शौचालय के दरवाजे गायब या टूटे हुए होते हैं, या दरवाजे की कुंडी गायब या टूटी होती है, या छत नहीं होती, अपर्याप्त रोशनी अथवा रोशनी की कमी होती है, या कक्षा ब्लॉक से शौचालय ब्लॉक की दूरी बहुत अधिक होती है। ये सभी कारक पहुँच, सुरक्षा और निकास के संबंध में चिंताएं पैदा कर सकते हैं। नल के पानी की कमी, मासिक धर्म पैड/कपड़े के उचित निपटान की सुविधा, भस्मक की कमी और दुर्गम शौचालय डिजाइन दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं। अधिकांश संस्कृतियों में, मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ और अंधविश्वास सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कई बार छात्राओं को स्कूल छोड़ना पड़ता है। शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टि और संज्ञानात्मक बाधिता वाली छात्राओं /महिलाओं के मामले में ये समस्याएँ तेजी से बढ़ती हैं।

3.2 दिव्यांगता विशिष्ट अवरोध और सुगम्यता संबंधी आवश्यकताएं

गतिक (लोको-मोटर) दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए

- कक्षाओं, शौचालयों, कार्यालय कक्षों, खेल के मैदान आदि तक व्हीलचेयर की पहुंच सुनिश्चित करना।
- रैंप की निर्धारित ढाल -1:15 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और सभी रैम्पों पर हैंडरेल लगी होनी चाहिए।
- कैलीपर्स, व्हीलचेयर, ब्रेसिज़, विशेष कुर्सियाँ, बैसाखी, वेजेज, पेंसिल गिप्स, संचार बोर्ड इत्यादि जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- सहायक उपकरणों का उपयोग करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटन सुनिश्चित करना
- विशेषज्ञ शिक्षक/अभिभावक की सहायता से, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों की सही स्थिति और सुरक्षित/ सावधानीपूर्वक निगरानी सुनिश्चित करना।
- इन बच्चों के लिए सभी कक्षाएं और शिक्षण सुविधाएं भूतल पर प्रदान की जानी चाहिए।
- लिखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त लेखक की व्यवस्था करना।
- सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए प्रत्युत्तर देने का पर्याप्त समय सुनिश्चित करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें सम्प्रेषण और बोलने में समस्या हो सकती है।

श्रवण बाधित बच्चों के लिए

चूँकि भाषा और सम्प्रेषण बच्चों के इस समूह के लिए प्रमुख अवरोध है, इसलिए निम्नलिखित पर जोर देने की आवश्यकता है:

- उपयुक्त श्रवण यंत्रों की व्यवस्था एवं उनका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेषज्ञ शिक्षक को बच्चे की अवशिष्ट श्रवण शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए श्रवण प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- बच्चे के बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे शिक्षक के चेहरे (होठों से पढ़ने के लिए) के साथ-साथ ब्लैक बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

1 ये राज्यों के लिए केवल दिशानिर्देश हैं ताकि उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अवरोध मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ तंत्र विकसित करने में मदद मिल सके। हालाँकि, इन्हें बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित/आशोधित किया जा सकता है।

- सचित्र शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना।
- भाषा की कठिनाई के स्तर को बच्चों की समझ के स्तर के अनुसार रूपांतरित करने की आवश्यकता है।
- यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ शिक्षक की सहायता से भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना।
- भाषा उपार्जन की समस्या वाले बच्चों को 3-भाषा सूत्र से छूट दी जानी चाहिए। सांकेतिक भाषा का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
- सहपाठी समर्थन बढ़ाने के लिए सह-पाठ्यचर्या गतिविधि के तहत सांकेतिक भाषा को एक विकल्प के रूप में दिया जा सकता है।
- भाषा सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए आकलन/मूल्यांकन प्रक्रियाओं में निबंध प्रकार के प्रश्नों के बजाय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं।
- जहां भी आवश्यक हो, प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए।
- भाषा संबंधी कठिनाइयों वाले बच्चों का भाषा उपार्जन र पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर से परिचय कराया जाना चाहिए।

दृष्टिबाधित बच्चों के लिए

- सुगम शिक्षण अधिगम सामग्री (ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो, ई-पाठ, आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विज्ञान प्रयोगशालाओं को ब्रेल लेबलिंग, स्पर्श चार्ट/आरेखों द्वारा सुगम्य बनाना।
- शिक्षण के दौरान मौखिक अनुदेशों/निर्देशों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना।
- उभरे हुए और स्पर्शनीय टीएलएम (मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, आरेख, आदि) की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करना।
- सहायक साधनों और उपकरणों (ब्रेल, टेलर फ्रेम, सफेद छड़ी, अबेकस, निम्न दृष्टि उपकरण, मैग्निफायर, आदि) की उपलब्धता, प्रशिक्षण और उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्क्रीन-रीडिंग एवं स्कैनिंग सॉफ्टवेयर की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण कराया जाए।
- देखने में कठिनाई वाले बच्चों को आवश्यकता के अनुसार दैनिक जीवन कौशल, अभिविन्यास और गतिशीलता (जैसे-मानव गाइड तकनीक) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- साथियों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्कूल के माहौल में दृष्टिबाधित बच्चों का प्रभावी अभिविन्यास सुनिश्चित करना।
- कम दृष्टि वाले बच्चों को विशेषज्ञ शिक्षक की सहायता से अवशिष्ट दृष्टि का अधिकतम उपयोग करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- रास्ते/पैदल मार्गों सहित स्कूल का वातावरण रोशनीयुक्त, सुरक्षित और सभी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए।
- पैडियों/ कर्ब्स आदि के शुरू होने से पहले चेतावनी पट्टियाँ/बनावट की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दृष्टिबाधित बच्चे अचानक गिर न सकें।
- कम दृष्टि वाले बच्चे के बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे शिक्षक के चेहरे के साथ-साथ ब्लैक बोर्ड भी स्पष्ट दिखाई दे।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से पीड़ित बच्चों के लिए

- स्पष्ट संकेतक उनके लिए जल्दी और कुशलता से आगे बढ़ना आसान बनाते हैं। चिंतित या तनावग्रस्त होने पर, उन्हें लिखित संकेतक के बजाय सचित्र संकेतक को समझना आसान लगता है।
- व्यक्तियों द्वारा संवेदी जानकारी को समझने के विभिन्न तरीकों के कारण, ऑटिज्म से पीड़ित कुछ व्यक्ति फर्श, अर्थात्, भारतीय शैली के शौचालय के साथ अधिक आरामदायक होते हैं, जबकि अन्य कमोड के साथ। इसलिए, दोनों विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है।
- दृश्य प्रसंस्करण समस्याओं के कारण, भीतरी (दीवार) तरफ रेलिंग होनी चाहिए जहां सीढ़ियाँ एक तरफ दीवार से और दूसरी तरफ 'ड्राप' से घिरी हों।
- एएसडी वाले कुछ व्यक्ति चढ़ने में गंभीर हो सकते हैं और कुछ अन्य लोग भटक जाते हैं और कभी-कभी खो जाते हैं, इसलिए, खिड़कियों और चारदीवारी पर ग्रिल या अन्य निवारक व्यवस्था होनी चाहिए।
- पूर्वानुमेयता/पूर्व सूचना प्रदान करने और चिंता को कम करने के लिए कार्य क्षेत्रों के को दृश्य स्पष्टता दी जानी चाहिए जो एएसडी वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।
- अध्ययन, कार्य, खान-पान, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों के स्पष्ट संकेत उपलब्ध कराये जा सकते हैं। स्कूलों में जहां एक ही क्षेत्र का उपयोग अलग-अलग समय पर अलग-अलग गतिविधियों के लिए किया जाता है, वहां दृश्य संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है।

बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए

चूंकि यह सेक्शन मुख्य रूप से शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में अनुकूलन/रूपांतरण पर केंद्रित है, इसलिए निम्नलिखित पर बल देने की आवश्यकता है:

- सुनिश्चित करें कि दृश्य, स्पर्शनीय और चित्रात्मक अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध और सुलभ हो।
- भाषा और सामग्री दोनों की कठिनाई के स्तर को बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार रूपांतरित करने की आवश्यकता है।
- टीएलएम के रूप में ठोस वस्तुओं के उपयोग पर बल देने की जरूरत है।
- व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम के अवसरों के लिए पर्याप्त समय।

- बच्चे की समझ के स्तर के आधार पर, सामग्री और मूल्यांकन में बदलाव किया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिए, आवश्यकता पड़ने पर पढ़ाई गई अवधारणाओं की संख्या कम की जा सकती है; प्रश्न मुख्य रूप से बहुविकल्पीय /रिक्त स्थान भरना आदि हो सकते हैं)।

बहुदिव्यांगता और अधिक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए

- उचित साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षण एवं उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दुभाषियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के माध्यम से अपेक्षित भाषा में संचार और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जानकारी उचित प्रारूप (ब्रेल, सांकेतिक भाषा, ई-पाठ, बड़े प्रिंट, स्पर्श, दृश्य-श्रव्य, आदि) में प्रदान की जानी चाहिए।
- बच्चों के इस समूह के लिए शिक्षण को अधिक अनुप्रयोग उन्मुख, अनुभवात्मक और व्यावहारिक होना चाहिए।
- विशेषज्ञ शिक्षक/माता-पिता/सहपाठियों के सहयोग से गतिशीलता और दैनिक जीवन कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- सम्प्रेषण और गतिशीलता कौशल को बढ़ाने के लिए सहपाठी/समकक्षी समर्थन का प्रभावी उपयोग।
- बधिर-दृष्टिहीन बच्चों के लिए PacMate जैसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकीय साधनों और सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

CHAPTER 4: COMMON BARRIERS IN EXISTING SCHOOLS & EDUCATIONAL INSTITUTIONS

अध्याय 4 :
विद्यमान स्कूलों और
शैक्षिक संस्थानों में
सामान्य अवरोध



4.1. परिचय

यह सेक्शन विद्यमान स्कूलों में शारीरिक अभिगम्यता अवरोधों पर ध्यान केंद्रित करता है और संभावित समाधान सुझाता है। विद्यमान भवन एक अलग/अनोखी चुनौती पेश करते हैं जिसके लिए हमें विद्यमान संरचनाओं के भीतर ही काम करना पड़ता है। इस सेक्शन में स्कूल अभिगम्यता और स्कूल सुधार के कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। दिव्यांगजनों के लिए बाधरहित पहुंच और उचित आवास के मानक अनुपालन मानदंडों को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल-सेवा और सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

4.2. सड़क सुरक्षा

- मुख्य सड़कों/व्यस्त मुख्य सड़कों पर स्थित स्कूलों को आमतौर पर अधिक यातायात और वाहनों की आवाजाही का सामना करना पड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप सामान्य/गैर-दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग बच्चों दोनों के लिए आकस्मिक खतरे उत्पन्न होते हैं।
- शोर-शराबे वाली सड़कें श्रवण बाधित बच्चों के लिए असुविधा पैदा करती हैं।
- अभिगम्यता मानकों के लिए सेक्शन 5.2.1 देखें।

4.3. आगमन मार्ग

- पहुंच मार्ग आमतौर पर असमान होता है और रखरखाव नहीं होता है।
- अधिकांश कस्बों और गांवों में मुख्य द्वार पर गाय पकड़ने वाले/मवेशी जाल उपलब्ध कराए जाते हैं और गतिशीलता साधनों का उपयोग करने वाले दिव्यांग बच्चे स्वतंत्र रूप से अवसंरचना तक नहीं पहुंच सकते हैं।
- दृष्टिबाधित बच्चे अनियमित पहुंच मार्ग के कारण बाधित होते हैं और भटक जाते हैं।
- स्कूल भवनों में आमतौर पर कोलैप्सिबल गेट चैनल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। यह हर किसी के लिए विशेषकर चलने-फिरने में भिन्न क्षम बच्चों के लिए एक यात्रा जोखिम होता है।
- अभिगम्यता मानकों के लिए सेक्शन 5.2.1 देखें।

4.4. रैंप

- आमतौर पर सभी सुविधाओं के लिए रैंप उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हालाँकि, यदि ये उपलब्ध कराये जाते हैं, तो इन्हें अज्ञानता/लापरवाही के कारण अवरुद्ध, रखरखावहीन या बंद रखा जाता है।
- कभी-कभी, रैंप नवनिर्मित लोहे की ग्रिल से स्थायी रूप से अवरुद्ध पाए जाते हैं या बीच में हैंडरेल होती है।

रैंप ढाल और फर्श/सतह:

- व्हीलचेयर, बैसाखी, बाँकर आदि जैसी गतिशीलता वाले साधन का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए बिना किसी मानक के खड़ी रैंप उपलब्ध कराई जाती हैं।
- फर्श में फिसलन वाली टाइलें या घर्षण के लिए ऊंचे खांचे का उपयोग करना सुरक्षित नहीं होता है।
- हैंडरेल केवल एक तरफ या केंद्र में दी जाती है जिससे अच्छी तरह चलने के लिए चौड़ाई कम हो जाती है।
- उपलब्ध रैंप रेत/कीचड़ वाले क्षेत्र में होते हैं, जहां व्हीलचेयर और बैसाखी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है।

अव्यवस्थित और खड़ी रैंप:

- स्कूलों में उपलब्ध कराए गए रैंप दिव्यांग बच्चों के लिए अप्रयुक्त रहते हैं और अन्य बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं जो गिरकर घायल हो सकते हैं।

नियमित रखरखाव:

- रैंप अक्सर टूटे हुए होते हैं, उखड़े, असमान सतह वाले होते हैं; असुरक्षित हैंडरेल और असमान किनारे होते हैं जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक खतरों की संभावना होती है।


4.5. पैडियां और सीढियाँ

- पैडियों और सीढियों पर हैंडरेल नहीं होती है।
- आमतौर पर, पैरापेट दीवार केवल खुली तरफ ही बनाई जाती है।

4.6. दृश्य विरोधाभास

- निम्न दृष्टि वाले बच्चों को उन तत्वों का पता लगाना मुश्किल होता है, जिनका रंग परिवेश के समान होता है।
- उदाहरण के लिए, आमतौर पर दीवार, दरवाजे और चौखट के लिए समान रंग के पेंट का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से शौचालयों में, सफेद दीवार और फर्श टाइल्स का उपयोग सफेद शौचालय सहायक उपकरणों और फिटिंग के साथ किया जाता है।

4.7. सामान्य शौचालय



- संकेतक
 - संकेतक के अभाव में, कभी-कभी दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालयों का पता लगाना और इसके अलावा पुरुष और महिला शौचालयों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।
- शौचालय अवसंरचना
 - कई स्कूलों में, उचित मूत्रालय और शौचालय कक्ष उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और बच्चों को खुले और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पेशाब और शौच करने के लिए मजबूर किया जाता है।
 - प्रतिकूल मौसम की स्थिति में, स्थितियाँ गंभीर होती हैं क्योंकि उन शौचालयों का उपयोग करना संभव नहीं होता है जिनमें ऊपरी छत/शेड और रोशनी नहीं होती है।
 - दिव्यांग बच्चों के लिए उन स्कूलों में शौचालयों का उपयोग करना असंभव है, जिनमें छत और ढांचा नहीं होता है और पानी की व्यवस्था नहीं होती है।

- छात्रों के लिए मूत्रालय (यूरिनल):

- छोटे कद वाले या चलने-फिरने में बाधा और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ऊंचे मूत्रालय रिम पहुंच से बाहर होते हैं।
- मूत्रालयों को हमेशा एक पैड़ी द्वारा चिह्नित किया जाता है।
- छड़(ग्रैब बार) न होने के कारण कैलीपर्स पहनने वाले/बैसाखी का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।

- छात्राओं के लिए मूत्रालय:

- अधिकांश छात्राएं या तो स्कूल नहीं जाती हैं या शौचालय न होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। खुले में शौच के परिणामस्वरूप छेड़छाड़, उत्पीड़न और व्यवहार संबंधी अन्य समस्याएं होती हैं।
- चूंकि शौचालय स्कूल भवनों के पीछे की ओर/या स्कूल भवनों से लंबी दूरी पर उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए आमतौर पर पहुंच मार्ग का रखरखाव नहीं किया जाता है और शौचालयों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।
- छात्राओं के लिए, बिना विभाजन/मूत्र ढाल के खुले मूत्रालय उपलब्ध कराये जाते हैं।

- पहुंच मार्ग:

- शौचालयों के रास्ते आमतौर पर साफ-सुथरे नहीं होते, गंदगी और कूड़े-कचरे से भरे होते हैं, रोशनी नहीं होती, गड्ढों से भरे होते हैं और मानसून के दौरान उपयोग करने लायक नहीं होते।


- शौचालय का फर्श:

- शौचालय की फिसलन भरी सतह सभी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है; विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें फिसलन का खतरा रहता है।
- कई स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, इसलिए वे छात्रों के शौचालय का उपयोग करने या खुले में शौच करने के लिए बाध्य होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है।
- शौचालयों में कुंडी और दरवाजे उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। कभी-कभी सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से छात्राएं जोड़े में शौचालय का उपयोग करने जाती हैं।

4.8. सुलभ शौचालय

- आमतौर पर स्कूलों में सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगर कुछ स्कूलों में इन्हें मुहैया भी कराया जाता है, तो ये मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं और व्हीलचेयर के अनुकूल नहीं होते हैं।
- कभी-कभी, 900 x 900 मिमी (3 फीट x 3 फीट) आकार के एक छोटे कक्ष में केवल एक पश्चिमी कमोड सीट उपलब्ध कराई जाती है; और ग्रैब बार के स्थान पर हैंडल/टॉवल रॉड रखे जाते हैं जिनका उपयोग दिव्यांग बच्चों द्वारा करना जोखिम भरा होता है।
- व्हीलचेयर या अन्य गतिशीलता उपकरणों का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए, सामान्य शौचालय अनुकूल नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग बच्चे, विशेषकर छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं।

4.9. कक्षा कमरे / कक्षाएं



- संकेतक/साइनेज:

o स्कूल में (परिसर के भीतर और स्कूल के बाहर) संकेतक के अभाव से छात्रों, नवागंतुकों और आगंतुकों में भटकाव हो सकता है। जिन छात्रों में बौद्धिक दिव्यांगता, दृश्य और/या श्रवण संबंधी विकार होते हैं, उनके लिए संकेतक आवश्यक है।

- ब्लैकबोर्ड:

o यदि ब्लैकबोर्ड बहुत ऊंचा लगाया गया है, तो यह छोटे कद वाले बच्चों या व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है।

o छोटे कद वाले शिक्षकों के लिए ऊंचे ब्लैकबोर्ड तक पहुंचना भी असंभव है।

4.10. फर्नीचर

- जिन कक्षाओं में स्थिर फर्नीचर-सीटें और टेबल होती हैं, वे कैलीपर पहनने वाले, बैसाखी का उपयोग करने वाले या लंबे कद वाले छात्रों के लिए असुविधाजनक होती हैं।
- एक बेंच पर 4-5 से अधिक बच्चों के बैठने से डेस्कों पर भीड़ हो जाती है।
- स्कूलों में जगह की कमी के कारण कई बच्चों को एक ही बेंच पर बैठाया जाता है, जो लिखते समय और अन्य तरह से बहुत असुविधाजनक होता है।
- बैठने की ऊंची डेस्क माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए अच्छा काम कर सकती है; हालाँकि, प्राइमरी स्कूलों के लिए, उनकी ऊंचाई के अनुरूप और निर्मित डेस्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

4.11. फर्श

- फिसलनदार और चमकदार फर्श बच्चों के लिए खतरनाक है, विशेषकर दृष्टि या गति संबंधी दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए।

4.12. पेयजल इकाई

- नल बहुत ऊंचे लगाए जाते हैं और छोटे बच्चे और व्हीलचेयर उपयोगकर्ता उन तक नहीं पहुंच सकते।
- अन्य गतिशीलता साधन जैसे बैसाखी, कैलीपर्स, वॉकर इत्यादि का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए यह और भी कठिन और कभी-कभी असंभव होता है।
- कई बार, बिना किसी सिंक/बेसिन के केवल नल उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए पानी पीना असुविधाजनक हो जाता है।
- ऊंचे मंच वाली पेयजल इकाई छोटे बच्चों और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए पहुंच योग्य नहीं होती।
- गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पानी जमा हो जाता है और फर्श फिसलन भरा हो जाता है।

4.13. रोशनी

- कम रोशनी स्तर, छात्राओं (दिव्यांग/सामान्य) और निम्न दृष्टि वाले लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होती है।
- अपर्याप्त रोशनी में पढ़ने या लिखने से आंखों पर दबाव पड़ता है और दृश्य शक्ति क्षीण हो जाती है।
- कक्षाओं और शौचालयों सहित स्कूल के सामान्य प्रचलन क्षेत्रों में, कम रोशनी का स्तर असुविधा पैदा कर सकता है और निम्न दृष्टि वाले बच्चों, छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए खतरनाक होता है।

4.14. खेल का मैदान

- खेल के मैदान आमतौर पर असमान और अव्यवस्थित होते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के उपयोग के लिए अनुकूल नहीं होते हैं।
- आम तौर पर, खेल के मैदानों में बैठने के क्षेत्रों/बेंचों तक जाने के लिए पक्का मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
- यह मानते हुए कि दिव्यांग बच्चे अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, इसलिए खेल के मैदानों में रैंप उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

4.15. आपातकालीन निकास

- कई स्कूलों में, आपातकालीन निकासी के प्रावधानों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आग, आपदा या आपातकालीन स्थितियों के समय गंभीर दुर्घटनाएं और आकस्मिक खतरे हो सकते हैं।
- कक्षाएँ बच्चों से खचाखच भरी हुई होती हैं (एक कक्षा में अधिकतम 120 बच्चे)। यह अनुभव किया गया है कि यदि कोई बच्चा शौचालय जाना चाहता है तो उसे अपनी बेंच से बाहर निकलने में काफी समय लगेगा और साथ ही वह दूसरों को भी परेशान करेगा।

CHAPTER 5: ACCESSIBILITY STANDARDS

अध्याय 5 :

अभिगम्यता मानक



सभी आगामी, नये और मौजूदा भवनों के लिए, ये अभिगम्यता मानक अनिवार्य हैं। स्व-मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली चेकलिस्ट अनुलग्नक I में दी गई है। कुछ मौजूदा स्कूल भवनों/परिसरों के लिए, यदि सभी मानक उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं, तो दिए गए अ-परक्राम्य मानक प्रदान किए जाएंगे।

5.1. मौजूदा भवनों के लिए अ-परक्राम्य मानक

कई बार, विद्यमान भवन दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य नहीं होते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और सुगम्य भारत अभियान मौजूदा स्कूल भवनों को सुगम्यता/सुलभता तत्वों से सुसज्जित करना अनिवार्य है। ये तत्व इस सेक्शन में सूचीबद्ध हैं और अ-परक्राम्य हैं। स्व-मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली चेकलिस्ट 8.4.1 में दी गई है। इनके अलावा, एसएमसी और फंडिंग एजेंसियों को सेक्शन 5.2 में दिए गए अनुसार सभी क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

1. सुरक्षित सड़क पार करने वाले तत्व (सेक्शन 5.2.1 देखें)
2. रैंप (सेक्शन 5.2.4 देखें)
3. सीढ़ियाँ और पैडियाँ (सेक्शन 5.2.5 देखें)
4. रेलिंग (सेक्शन 5.2.6 देखें)
5. कक्षाएँ (सेक्शन 5.2.17 देखें)
6. सामान्य शौचालय (सेक्शन 5.2.8 देखें) जिसमें छात्रों और पुरुष स्टाफ शौचालय के साथ एक सुलभ मूत्रालय हो (सेक्शन 5.2.9 देखें)
7. सुलभ शौचालय (एक सुलभ शौचालय; यदि जगह उपलब्ध हो तो छात्रों और छात्राओं के लिए अलग से एक-एक शौचालय को प्राथमिकता दी जाएगी) (सेक्शन 5.2.10 देखें)
8. पुस्तकालय (सेक्शन 5.2.17 देखें)
9. प्रयोगशाला (सेक्शन 5.2.17 देखें)
10. मध्याह्न भोजन/कैंटीन (सेक्शन 5.2.18 देखें)।

5.2. सभी आगामी और नए निर्माणों के लिए अभिगम्यता मानक

स्कूल के लिए सुगम्य मार्ग

- सड़क सुरक्षा उपाय जैसे सड़क संकेत, यातायात शांत करना, सिग्नल क्रॉसिंग, स्टॉप लाइनें और ज़ेबरा क्रॉसिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ट्रैफिक सिग्नल में ऑडियो बीपर और ऑडियो अनाउंसमेंट सिस्टम होना चाहिए।
- स्कूल तक पहुंच मार्ग का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए और समतल रास्ता उपलब्ध कराना चाहिए।
- पक्का फर्श सभी छात्रों और शिक्षकों को आरामदायक पहुँच प्रदान करता है और दिव्यांग बच्चों और वयस्कों को लाभान्वित करता है।
- सतहें ठोस और सम होनी चाहिए, ऐसे निर्मित हों जो हर मौसम में फिसलन प्रतिरोधी हों।
- मार्ग में किसी भी किनारे(कर्ब) पर व्हीलचेयर की पहुंच के लिए उचित 'ड्रॉप कर्ब' होने चाहिए।
- मवेशियों के जाल पर 1000 मिमी चौड़ी एक पट्टी का उपयोग बच्चों को उस पर चलने के लिए किया जा सकता है (चित्र 5.1)।
- ग्रामीण/कस्बों में फुटपाथ के फर्श के लिए चेकर्ड टाइल्स/पेवर्स का उपयोग किया जा सकता है।
- गेट से स्कूल भवन, खेल के मैदान और शौचालय तक का रास्ता साफ, पक्का, समतल हो और उसका नियमित रूप से उसका रखरखाव किया जाना चाहिए।
- स्कूल भवनों में मुख्य प्रवेश द्वार और दरवाजे 1500-1800 मिमी चौड़े होने चाहिए।
- कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं आदि में दरवाजे की चौड़ाई न्यूनतम 900 मिमी होनी चाहिए।
- पैदल मार्ग में तीव्र मोड़ से बचना चाहिए।
- चलने का रास्ता(वाँकवे) किसी भी लटकी हुई और उभरी हुई रुकावटों जैसे खिड़कियों, लाइटों, निचली शाखाओं, फूलों के गमलों और साइनपोस्ट आदि से मुक्त होना चाहिए।
- चलने के रास्ते (वाँकवे) में हर खतरनाक बिंदु पर रेलिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- गार्ड रेल उन स्थितियों में जरूरी है जहां सीढ़ियों और बरामदे के स्तर में अचानक बदलाव होता है।
- चोट से बचने के लिए रेलिंग के सिरों को गोल करना चाहिए/जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए (नीचे की ओर झुके हुए होना चाहिए)।
- सीढ़ियों की ऊंचाई और चौड़ाई बराबर (रायजर और ट्रेड) होनी चाहिए।
- ढलान में प्रत्येक परिवर्तन पर, आसान पहचान के लिए सीढ़ी की शुरुआत और अंत में और मोड़ पर चमकीले और विपरीत रंग के स्पर्शनीय पेवर्स (अधिमानत: पीला) का उपयोग किया जाना चाहिए।
- सभी फर्श की सतहें फिसलन-रोधी/स्कड-रोधी/मैट फिनिश वाली होनी चाहिए और किसी भी भुरभुरी बजरी या कोबलस्टोन से बचना चाहिए।
- श्रेसहोल्ड/चैनल को या तो जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए या चित्रलेख के अनुसार झुकाव(बेवल)किया जाना चाहिए।



चित्र 5.1 ब्रिज प्लेट से ढका हुआ काऊ कैचर्स



चित्र 5.2 स्पर्शनीय पेवर्स के साथ टेबलटॉप



चित्र 5.3 ढलान पर कोबल स्टोन के साथ टेबलटॉप और शीर्ष पर सीमेंट कंक्रीट सतह



Photo 5.4 Examples of safety signs around school Zone

चित्र 5.4 स्कूल क्षेत्र के आसपास सुरक्षा संकेतों के उदाहरण


संकेतक - दृश्य और श्रवण माध्यम से संबंधी रास्ता ढूँढना

- बाहरी: उचित हेड क्लियरेंस के लिए तैयार फर्श स्तर से 2200 मिमी ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए।
- आंतरिक: तैयार फर्श के स्तर से 1400 मिमी से 1600 मिमी के बीच दीवार पर रखा जाना चाहिए।
- अभिगम्यता का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक: उपलब्ध कराई की गई सभी सुलभ सेवाओं और सुविधाओं के लिए प्रदर्शित किया जाना है
- साइन बोर्ड: जिस दीवार पर इसे लगाया गया है, उसके विपरीत/भिन्न भी होना चाहिए
- चिह्न की सतह परावर्तक नहीं होनी चाहिए
- शौचालय के दरवाजे के पास या उस पर लगे कुछ चिह्नों को उभारा जा सकता है ताकि उन्हें छूकर पढ़ा जा सके।

कक्ष संकेतक

- संख्या/नेमप्लेट आदि ब्रेल में होने चाहिए और अक्षरों को 1-1.5 मिमी तक उभारा जाना चाहिए; वयस्कों के लिए ब्रेल संकेतक दरवाजे की कुंडी के बगल की दीवार पर 1400 मिमी-1600 मिमी की ऊंचाई के बीच और बच्चों के लिए फर्श स्तर से 1000 मिमी की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए (चित्र 5.5 और चित्र 5.6)

- बड़े फ्रॉन्ट, रंग विषमता और अच्छी रोशनी वाले संकेतक से सभी को फायदा होता है, विशेषरूप से कम दृष्टि वालों को।
- सीढ़ियों की रेलिंग पर सुविधाओं आदि की जानकारी देने वाली ब्रेल प्लेट लगाई जाएंगी।
- रणनीतिक स्थानों पर स्थानीय भाषा और ब्रेल में रास्ता खोजने वाले संकेतक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- कमरों की संख्या और नेमप्लेट ब्रेल और उभरे हुए अक्षरों में, बोल्ड और उनकी पृष्ठभूमि के भिन्न/विपरीत रंग में होने चाहिए **(चित्र 5.7)**।
- लिविंग रूम, स्टोररूम, किचन, टॉयलेट, कॉमन रूम, थेरेपी रूम आदि जैसे विभिन्न स्थानों को दर्शाने या चिह्नित करने के लिए विपरीत/भिन्न रंग के प्रतीकों/चित्रलेखों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- खाने, सोने, मनोरंजन, कार्य क्षेत्रों आदि के स्पष्ट संकेत व्यक्तियों को कार्य संचालन, काम करने और बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाएंगे।
- चित्रलेखों के रूप में वास्तविक वस्तुओं का उपयोग संकेतक के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, पीने के पानी के क्षेत्र के लिए एक गिलास के साथ एक नल या अध्ययन क्षेत्र के लिए एक पुस्तक और पेन।



चित्र 5.5 कमरे का संकेतक दरवाजे की कुंडी की ओर दिया गया है।



चित्र 5.6 कमरे का संकेतक दरवाजे की कुंडी की ओर दिया गया है




चित्र 5.7 सुगम तत्वों के लिए चित्रलेख के साथ संकेतक

- एक बहुमंजिला भवन के लिए, सभी मंजिलों की मुख्य योजनाएं मुख्य प्रवेश द्वार/स्वागत क्षेत्र के पास और सभी मंजिलों पर लिफ्ट और सीढ़ियों में भी रखी जानी चाहिए।
- प्रत्येक स्तर पर संकेतक की व्याख्या करने में सहायता के लिए मुख्य योजना (चित्र 5.8) में विभिन्न रंगों के साथ एक चित्रलेख दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए: मुख्य योजना में पहली मंजिल के लिए लाल रंग और सीढ़ियों और/या लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर लाल रंग का संकेतक फर्श की पहचान करने में मदद करता है।

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Ground | G | | Ground |
| 1 st Floor | 1 | | 1st Floor |
| 2 nd Floor | 2 | | 2nd Floor |
| 3 rd Floor | 3 | | 3rd Floor |
| 4 th Floor | 4 | | 4th Floor |

Suggested colour coding multi- floor building

चित्र 5.9 फर्श की मुख्य योजनाएँ



ब्रेल सूचक

चित्र 5.9 ब्रेल और उभरे हुए अक्षरों के साथ संकेतक

रैंप• **ढाल:**

- इनडोर - अधिकतम 1:15 की हल्की ढलान।
- आउटडोर - पहली मंजिल और उससे ऊपर के लिए जगह की उपलब्धता के आधार पर 1:15 या 1:20 ग्रेडिएंट रैंप की सलाह दी जाती है।

• **चौड़ाई:**

- न्यूनतम 1500 मिमी; 1800 मिमी को प्राथमिकता दी जाती है।

• **अवतरण:**


- प्रत्येक 750 मिमी ऊर्ध्वाधर राइज/वृद्धि के लिए प्रदान किया जाना है।
- न्यूनतम 1500 मिमी x 1500 मिमी का आकार अथवा खाली स्थान।
- रैंप की शुरुआत और अंत में और मोड़ों पर
- 1:15 या 1:20 की ढाल के लिए प्रत्येक 9 मीटर के अंतराल पर

• **हैंडरेल:**


- दोनों तरफ दो ऊंचाई - 760 मिमी-900 मिमी पर होनी चाहिए, यह पृष्ठभूमि की दीवार के विपरीत रंग में रंगी हो; दोनों सिरों को गोल और मसाला भरा(ग्राउटेड) जाना चाहिए और रैंप के ऊपर और नीचे से 300 मिमी आगे बढ़ाया जाना चाहिए (चित्र 5.10)
- सतहें (रैंप और लैंडिंग) फिसलन प्रतिरोधी होनी चाहिए। सीमेंट रैंप पर 5 मिमी से कम के खांचे या चेकर्ड टाइलें लगाई जा सकती हैं।
- चेतावनी स्पर्शनीय पेवर को रैंप किनारों से पहले और बाद में 300 मिमी पर रखा जाना चाहिए (चित्र 5.11)
- स्कूलों में रैंप को वाहनों द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए और रैंप प्रवेश को बंद नहीं रखा जाना चाहिए। ये घटनाएँ तब आम होती हैं जब स्टेप प्रवेश को सामान्य प्रवेश के रूप में बनाया जाता है।
- रैंप प्रवेश का उपयोग मुख्य प्रवेश के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे दिव्यांग, बूढ़े और कम चलने- फिरने वाले सभी लोगों को फायदा हो।
- रैंप का ढाल अधिकतम 1:12 होना चाहिए, अर्थात्, 1 यूनिट ऊंचाई की प्रत्येक वृद्धि के लिए, रैंप की लंबाई अधिकतम 12 यूनिट होनी चाहिए। 1:15 ढाल वाले ग्रेडियंट रैंप को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हल्की ढलान पर व्हीलचेयर को चलाना आसान होता है।
- रैंप पर खांचे की ऊंचाई 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीसी/मैट फिनिश/एंटी-स्किड टाइलें जैसे कि फुटपाथ पर इस्तेमाल की जाने वाली चेकर्ड टाइलें रैंप फर्श के लिए उपयोग करने के लिए अच्छी हैं।

- रैंप के किनारों को फर्श के साथ समतल किया जाना चाहिए और रैंप तक जाने वाला मार्ग ठोस और समतल होना चाहिए।
- सीढ़ियों के एक तरफ रैंप की व्यवस्था की जानी चाहिए, बीच में नहीं। यदि स्तंभ (प्लिंथ) की ऊंचाई अधिक है तो एल-आकार के रैंप को प्राथमिकता दी जाती है

की ढाल वाला रैंप कई व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने 1:12 आप स्वतंत्र/रूप से उपयोग करते समय, खड़ी ढाल का महसूस किया जाता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता चढ़ते समय ऐसे खड़ी रैंप पर पीछे की ओर लुढ़कते हैं और उतरते समय नियंत्रण खो देते हैं जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक खतरा हो सकता है।



चित्र 5.10 दोनों तरफ हैंडरेल के साथ रैंप



चित्र 5.11 स्कूलों के लिए एल-आकार और स्विच बैंक प्लेटफार्म रैंप, जहां रैंप के लिए सामने कम जगह है।

पैड़ियां और सीढ़ियाँ

- पैड़ियां बराबर/एक समान होनी चाहिए:

- एकसमान रायजर्स/खड-पट्ट (पैड़ी ऊंचाई): 150 मिमी अधिकतम
- एकसमान चाल (ट्रेड) (पैड़ी की चौड़ाई): 300 मिमी न्यूनतम

- पैड़ियों की अबाधित चौड़ाई कम से कम 1200 मिमी होनी चाहिए।
- अवतरण(लैंडिंग) 1200 मिमी गहरी, किसी भी रुकावट से रहित होनी चाहिए।
- दीवार (यदि कोई हो) और अवतरण/लैंडिंग सहित दोनों तरफ निरंतर हैंडरेल रखें।
- हैंडरेल की ऊंचाई- दो स्तर 760 मिमी और 900 मिमी, पृष्ठभूमि दीवार के विपरीत रंग में रंगी हो।
- सभी पैड़ियों के शुरुआत से पहले और अंत में और अवतरण/लैंडिंग पर 300 मिमी का चेतावनी पेवर लगाया जाना चाहिए।
- पैड़ी की पूरी चौड़ाई बढ़ाते हुए पैड़ी के किनारे पर 50 मिमी चौड़ा विपरीत रंग का बैंड/पट्टी दी जानी चाहिए। अवतरण/लैंडिंग में भी चेतावनी पट्टी की एक पंक्ति होनी चाहिए

(चित्र 5.12)

- नोजिंग से बचना चाहिए।
- 100-150 लक्स के बीच रोशनी के स्तर के साथ पर्याप्त और समान रूप से प्रकाशित होनी चाहिए।
- प्रत्येक मंजिल पर फर्श के स्तर को दर्शाने वाला साइन बोर्ड होना चाहिए।
- हैंडरेल के छोर को दर्शाने और दृश्य बाधित बच्चों के हित में जानकारी देने के लिए हैंडरेल पर स्पर्श सुविधाओं का उपयोग करना वांछनीय है (उदाहरण के लिए, उभरे हुए निशानों का उपयोग कर प्रत्येक हैंडरेल पर फर्श के स्तर को इंगित करना संभव है)। जहां एक निशान पहली मंजिल को दर्शाता है, दो निशान दूसरी मंजिल को दर्शाते हैं आदि)
- पैड़ी किनारे- न्यूनतम 50 मिमी में चमकीले विपरीत रंग के होने चाहिए, जो निम्न दृष्टि वाले बच्चों को प्रत्येक पैड़ी की ऊंचाई और गहराई की पहचान करने में मदद करता है (चित्र 5.13)


- सॉफिट- सीढ़ी के नीचे खुले क्षेत्र को गार्ड रेलिंग से घेरा जाना चाहिए (चित्र 5.14)



चित्र 5.12 चेतावनी पट्टी की एक पंक्ति वाली लैंडिंग/अवतरण




चित्र 5.13 सीढ़ी के नीचे खुले क्षेत्र की घेराबंदी की जानी चाहिए



चित्र 5.14 पैड़ी के किनारे चमकीले विपरीत/भिन्न रंगों के साथ

हैंडरेल

- एक बहुमंजिला इमारत के लिए, दृश्य बाधित बच्चों के लिए हैंडरेल पर/रेल के अंत में फर्श के स्तर को दर्शाने वाली स्पर्शनीय आकृतियाँ लगाएं (उदाहरण के लिए, प्रत्येक रेलिंग पर फर्श के स्तर को उभरे हुए बिंदुओं से दर्शाएं, जहां एक बिंदु पहली मंजिल को दर्शाता है, दो बिंदु दूसरी मंजिल को दर्शाते हैं, और इसी तरह आगे के लिए भी)।
- 38-45 मिमी व्यास वाले सेक्शन में गोलाकार होना चाहिए (चित्र 5.15 और चित्र 5.16)
- जिस सतह से वे जुड़े हुए हैं, उससे कम से कम 50 मिमी स्पष्ट पोर अंतराल पर रखें।
- दो स्तरों पर उपलब्ध कराया जाए - फर्श स्तर से 760 मिमी और 900 मिमी की ऊंचाई पर।
- फ्लाइट शीर्ष और आधार से आगे कम से कम 300 मिमी तक विस्तार और चलने की रेखा में रैंप और जमीन में ग्राउट करें।
- सिरों को या तो ज़मीन या दीवार में ग्राउट किया जाता है या गोल कर दिया जाता है।
- परिवेश के विपरीत चमकीले रंग में होना चाहिए (अधिमानत: लाल/पीला)




चित्र 5.15 गोलाकार सिरों वाली रेलिंग

चित्र 5.16 सीढ़ियों के साथ हैंडरेल के मानक

फर्श की सजावट: स्पर्शनीय पेवर्स: मार्गदर्शक पट्टी और चेतावनी ब्लॉक

- लाइन-प्रकार के ब्लॉक (चित्र 5.17) अनुगमन करने के लिए सही पथ/मार्ग को दर्शाते हैं।
- डॉट-प्रकार के ब्लॉक (चित्र 5.17) बाधाओं, ड्रॉप-ऑफ़ या अन्य खतरों से बचने, गलत दिशा में आवाजाही को रोकने और किसी कोने या जंक्शन के बारे में चेतावनी देने के लिए चेतावनी संकेत प्रदान करते हैं। रैंप, सीढ़ियों और किसी भी दरवाजे के प्रवेश द्वार के आरंभ और अंत में 300 मिमी रखे जाने चाहिए।
- चेतावनी ब्लॉक स्थापित करने के स्थान (चित्र 5.18):
 - ऐसे क्षेत्र के सामने जहां यातायात मौजूद है।
 - प्रवेश/निकास के सामने।
 - सीढ़ी या बहु-स्तरीय क्रॉसिंग सुविधा तक आना-जाना।
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उन्मुख करने के लिए खुली जगह में।




चित्र 5.17 स्पर्श मार्गदर्शक और चेतावनी ब्लॉक

चित्र 5.18 स्पर्शनीय पेवर्स की स्थापना के उदाहरण

सामान्य शौचालय

- सामान्य शौचालयों के सभी संकेतक गहरे और विपरीत रंगों में होने चाहिए।
- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ब्रेल और उभरे हुए अक्षरों के साथ प्लेटों पर अंकित चित्रलेख (त्रिकोण में पुरुष चित्रलेख और वृत्त में महिला चित्रलेख) को कुंडी के पास दरवाजे के बगल की दीवार पर 1400 मिमी 1600 मिमी (चित्र 5.19) के बीच की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए।
- शौचालय के प्रवेश द्वार से 300 मिमी पहले चेतावनी पट्टी/पतली रबर डोर मैट लगाई जानी चाहिए।
- छात्राओं के लिए स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता और भस्मक यंत्र जैसी निपटान व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मासिक धर्म, स्वच्छता और प्रबंधन (एमएचएम) के लिए छात्राओं के शौचालयों में बहता पानी आवश्यक है। पाइप से पानी की सुविधा प्राप्त करने के लिए ऊपरी जल भंडारण टैंक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- सभी शौचालय सुविधाओं में ऑडियो और विजुअल सिस्टम के साथ फायर अलार्म शामिल होना चाहिए।
- अलार्म लगा होने चाहिए ताकि जब टॉयलेट पैन पर अर्थात् 900 मिमी की ऊंचाई पर और फर्श पर लेटे हुए, अर्थात् फर्श की सतह से 300 मिमी की दूरी पर, दोनों समय सहायता बुलाई जा सके।
- निम्न दृष्टि वाले बच्चों के हित के लिए और दृश्य विरोधाभास पैदा करने के लिए टॉयलेट सीट/डब्ल्यूसी या पृष्ठभूमि टाइलें विपरीत रंग में होनी चाहिए



चित्र 5.19 सामान्य शौचालयों के लिए संकेतक

- हाथ धोने के लिए पानी और साबुन न केवल सुरक्षित स्वच्छता प्रबंधन सीखने में मदद करता है, बल्कि हाथ धोने के प्रति रवैया बदलने में भी मदद करता है, खासकर गांवों में, जहां ज्यादातर लोग खुले में शौच करते हैं और हाथ नहीं धोते हैं।
- किशोरियों के लिए, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए बहता पानी आवश्यक है।
- सभी बच्चों के लिए सुलभ, उपयोगी और कार्यशील शौचालय सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए, यह आवश्यक है कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए शौचालयों में रोशनी, दरवाजे और छत होनी चाहिए; अन्यथा, वे स्कूल से बाहर रहने के लिए बाध्य होते हैं।

शौचालय कुछ बच्चों को कमोड से और कुछ को बैठक वाले टॉयलेट -
प्रत्येक प्रकार ;से कठिनाई होती है (भारतीय सीट)
का कम से कम एक शौचालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुलभ मूत्रालय(यूरिनल)

- मूत्रालय पंक्ति के आरंभ में सुलभ मूत्रालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- एक मूत्रालय को रूपांतरित किया जाना चाहिए - पैड़ी रहित प्रवेश और छाती को सहारा देने वाली छड़(ग्रैब बार) बार लगाई जानी चाहिए
- कम से कम एक मूत्रालय में दिव्यांग बच्चों (उदाहरण के लिए, बैसाखी जैसी गतिशीलता साधन का उपयोग करने वाले बच्चे) की सहायता के लिए पकड़ने की छड़(ग्रैब बार) होनी चाहिए।
- फिनिश फर्श से अधिकतम 430 मिमी ऊपर एक लम्बी रिम के साथ मूत्रालय स्टॉल-टाइप या दीवार पर लगा हुआ होना चाहिए।
- यह बच्चों, छोटे कद के बच्चों और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने योग्य है।
- सुलभ मूत्रालय के सामने कोई सीढ़ी/स्तर का अंतराल नहीं होना चाहिए।
- सभी मंजिलों पर छात्रों/पुरुषों के शौचालयों में से कम से कम एक मूत्रालय में पकड़ने की छड़(ग्रैब बार) होनी चाहिए; दिव्यांग बच्चों (उदाहरण के लिए, बैसाखी का उपयोग करने वाले) को सहारा देने के लिए प्रत्येक तरफ और सामने स्थापित की गई हो।
- सामने की पट्टी छाती को सहारा देने के लिए होती है; साइडबार उपयोगकर्ता के खड़े होने के समय पकड़ने के लिए हैं (चित्र 5.20)।



चित्र 5.20 सुलभ मूत्रालय

सुलभ शौचालय

- सुलभ शौचालय (जिसे सीडब्ल्यूडी शौचालय भी कहा जाता है) स्कूल भवन के मुख्य प्रवेश द्वार/निकास के 30 मीटर के साथ अथवा उसके भीतर स्थित होना चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के प्रवेश और निकास के लिए कम से कम एक शौचालय कक्ष में पर्याप्त फर्श स्थान होना चाहिए; साफ़ फर्श का स्थान न्यूनतम 2000 मिमी x 2200 मिमी होना चाहिए।
- कम से कम 900 मिमी के स्पष्ट खुलने वाला एक दरवाजा उपलब्ध कराएं जिसमें दरवाजा बाहर की ओर घुमने वाला हो या मुड़ने वाला या फिसलने वाले प्रकार का हो।

शौचालय कक्ष

- फिसलन प्रतिरोधी फर्श होना चाहिए।
- डब्ल्यूसी के पास एक स्विच (फर्श स्तर से एक 300 मिमी और दूसरा 900 मिमी पर) उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो अटेंडेंट डेस्क, स्टाफ कक्ष आदि में एक आपातकालीन ऑडियो अलार्म को सक्रिय करता है।
- फर्श को फिसलन रोधी/मैट फिनिश वाला बनाया जाए।
- फिसलन रोधी/मैट फिनिश फर्श।
- दरवाजों के अंदर एक क्षैतिज पुल-बार, कम से कम 600 मिमी लंबा होना चाहिए, जो इस प्रकार स्थित हो कि यह दरवाजे के कब्जे वाले हिस्से से 130 मिमी और 900-1000 मिमी की ऊंचाई पर हो।
- सहारे और संतुलन के लिए शौचालय कक्ष की सभी दीवारों पर हैंडरेल लगाई जानी चाहिए।


जल कक्ष (डब्ल्यूसी)

- साइड अंतरण की सुविधा के लिए पानी के कक्ष के बगल में कम से कम 900 मिमी चौड़ी खाली जगह रखें।
- डब्ल्यूसी का शीर्ष फर्श से 450-480 मिमी होना चाहिए।
- डब्ल्यूसी के लिए पकड़ने की छड़(ग्रेब बार): अंतरण साइड पर स्विंग अप टाइप और दीवार की तरफ एल-शेप पकड़ने की छड़ (ग्रेब बार)।
- अंतरण साइड पर गतिशील यू-शेप पकड़ने की छड़(ग्रेब बार) और बगल की दीवार पर एल-शेप ग्रेब बार प्रदान करें (चित्र 5.21)।

सुलभ शौचालय


इसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है और यह विपरीत लिंग वाले देखरेख कर्ताओं को दिव्यांग बच्चों की सहायता करने में मदद करता है।

- डब्ल्यूसी की केंद्र रेखा साथ की दीवार से 460-480 मिमी के बीच स्थित होनी चाहिए।
- डब्ल्यूसी की सीट फर्श से 450-480 मिमी होनी चाहिए (चित्र 5.22)।
- यदि डब्ल्यूसी केंद्र में है अर्थात डब्ल्यूसी से दीवार 500 मिमी से अधिक दूर है, तो दोनों तरफ चल ग्रैब बार उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- हेल्थ फ्रॉसेट/हैंडहेल्ड स्प्रे 500-800 मिमी के बीच की ऊंचाई पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए




चित्र 5.21 WC शौचालय के लिए ग्रैब बार

चित्र 5.22 सुलभ शौचालय के लिए मानक




चित्र 5.23 यू आकार (चल)



चित्र 5.4 एल आकार ग्रैब बार



चित्र 5.25 शौचालय/स्नानघर के लिए संकेतक




चित्र 5.26 शौचालय के दरवाजे पर स्पर्शनीय संकेतक लगाना

वाँशबेसिन

- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वाँशबेसिन के स्थान की पहचान करने के लिए वार्निंग टैक्टाइल पेवर को वाँशबेसिन से पहले रखा जाना चाहिए (चित्र 5.27)।
- उनका आयाम/डायमेंसन्स 550 मिमी और 410 मिमी होना चाहिए, इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि शीर्ष किनारा फर्श से 700 मिमी-800 मिमी के बीच हो; और घुटने का अंतराल(क्लीयरेंस) कम से कम 760 मिमी चौड़ा, 200 मिमी गहरा और 650 मिमी-680 मिमी ऊंचा होना चाहिए (चित्र 5.28)।
- नलों के लिए लीवर वाले हैंडल की अनुशंसा की जाती है (चित्र 5.29)।
- दर्पण का निचला किनारा फर्श से 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और बैठे हुए बच्चे की उचित छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण को 250 के कोण पर झुकाया जा सकता है।
- वाँशबेसिन के दोनों किनारों पर यू-आकार के गतिशील ग्रैब बार का प्रस्ताव है।




चित्र 5.27 चेतावनी पेवर्स



चित्र 5.28 सुलभ वाँशबेसिन




चित्र 5.29 वाँशबेसिन के नल के लिए लीवर वाले हैंडल




चित्र 5.30 सुलभ टॉइलेट कक्ष के साथ छात्रों और छात्राओं के लिए शौचालय का प्रस्तावित विन्यास

बैठने (स्कॉर्टिंग) की भारतीय सीट


- गतिक (लोकोमोटर) दिव्यांग बच्चे जो व्हीलचेयर का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए भारतीय स्कॉर्टिंग सीट को ग्रैब बार और न्यूनतम 1200 मिमी x 1500 मिमी के खुले फर्श स्थान के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दरवाज़े में दो-तरफ़ा खुले कब्जे होने चाहिए;
- महिलाओं और पुरुषों के शौचालय के लिए ब्रेल लिपि और चित्रलेख में संकेतक उपलब्ध कराया जाना चाहिए (चित्र 5.31);
- खुला फर्श स्थान 1200 मिमी x 1500 मिमी;
- खड़ी पकड़ने की छड़(ग्रैब बार) उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो कम गतिशीलता वाले बच्चे को बैठने की स्थिति में झुकने और फिर से खड़े होने में सहायता करने में मदद करता है;
- क्षैतिज पकड़ने की छड़(ग्रैब बार) उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो पानी/ स्वयं की सफाई करने के स्थान तक पहुंचने पर संतुलन और स्थिरीकरण में मदद करता है (चित्र 5.32);
- हेल्थ फ्रॉसेट/हैंडहेल्ड स्प्रे 300-400 मिमी के बीच की ऊंचाई पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए;
- घुटने के बल चलाने वाले (क्रॉलर्स), बच्चों और खड़े उपयोगकर्ताओं के लिए दो स्तरों/ऊंचाई 300 मिमी और 800 मिमी पर दरवाजा हैंडल, लॉक और स्टोरेज; और
- बैठे और खड़े उपयोगकर्ताओं के लिए 800 मिमी और 1000 मिमी पर कपड़े टांगने का हुक।



चित्र 5.31 भारतीय स्कॉर्टिंग शौचालय के लिए संकेतक



चित्र 5.32 भारतीय/स्क्राटिंग शौचालय योजना का पार्श्व दृश्य



चित्र 5.33 सुलभ शौचालय में भस्मक का स्थान

क्या करना चाहिए

- शौचालयों के लिए सीधे और निर्बाध मार्ग जिससे दृष्टिबाधित बच्चों और मोबिलिटी एड्स का उपयोग करने वालों को मदद मिले;
- पानी की नियमित देखरेख के साथ चालू शौचालय - प्रवेश, उपलब्धता, भंडारण और जल निकासी;
- चित्रलेख- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उभरी हुई रेखा और चमकीली रंग भिन्नता/कंट्रास्ट के साथ पुरुष और महिला प्रतीक;
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए जल प्रवाह और सैनिटरी पैड के निस्तारण के लिए छात्राओं के शौचालयों में कूड़ेदान;
- अभिगम्यता प्रबंध के लिए बांस, लकड़ी, मिट्टी जैसी स्वदेशी सामग्री का उपयोग;
- चौड़ा दरवाज़ा - न्यूनतम 3 फीट, संवातन और प्रकाश सुविधा और पक्की/मज़बूत सतह;
- विद्यमान/सामान्य शौचालय कक्षों के निकट सुलभ/सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए;
- पश्चिमी कमोड सीट के साथ सुलभ शौचालय कक्ष दो कक्षों को मिलाकर और पुराने शौचालयों के नवीनीकरण में 2000 मिमी x 2200 मिमी का स्थान बनाकर प्रदान किया जा सकता है;
- अधिकांश बच्चों के स्वैच्छा से आने-जाने के लिए WC के बगल में ग्रैब बार (यू और एल आकार) की आवश्यकता होती है।

क्या न करें

- शौचालय का स्थान पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तूफान/भारी वर्षा के दौरान पेड़ गिर जाते हैं और शौचालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देते हैं;
- टॉयलेट ब्लॉक
- शौचालय के रास्ते में अवरोध/रुकावट;
- कम प्रकाश या प्रकाश बिल्कुल न होना उपयोगकर्ता को प्रतिकूल मौसम और रात में इसका उपयोग करने से रोकता है;
- हाथ धोने की कोई सुविधा न होना;
- पाइप से पानी की उपलब्धता न होना ।

कमरे व खिड़कियां

• कमरे की खिड़कियाँ कमरे के अंदर खुलनी चाहिए न कि गलियारे/परिसंचरण क्षेत्र में।
 • खिड़की की ऊंचाई 600-1450 मिमी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को बैठे होने पर या बिस्तर से बाहर देखने में सहायता मिल सके (चित्र 5.34)।

• ब्लाइंड/पर्दे लगे हों ताकि चमकती वस्तुओं और खिड़की से चकाचौंध न हो।
 • दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और कीड़ों से बचाव के लिए खिड़की के शीशों पर तार की जाली/मच्छरदानी के साथ ग्रिल लगाई जाएगी।

• संचालन योग्य उपकरण जैसे हैंडल, पुल, कुंडी और ताले होने चाहिए:

o 900-1000 मिमी के बीच दिए गए हों


o लीवर हैंडल और पुश प्रकार

o एक हाथ से प्रचालित हो व इसे संचालित करने के लिए उंगलियों के बारीक नियंत्रण, कस कर पकड़ने, पिंच करने या घुमाने की आवश्यकता न हो।

• **कमरा:** 800-1000 मिमी के बीच की ऊंचाई पर लाइट/पंखा/एसी स्विच प्रदान किए जाने चाहिए।

• **अलार्म:** प्रत्येक कमरे में दृश्य (चमकती बल्ब) और श्रव्य अलार्म की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।


कक्षा / छात्रावास के कमरे में फर्नीचर को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए; तथापि, यदि आवश्यक हो, तो दृष्टिबाधित बच्चों को अच्छी तरह से अभिविन्यस्त किया जाना चाहिए।



चित्र 5.34 कमरे और खिड़कियों के लिए मानक

दरवाजे

- सभी दरवाजे - कक्षाएं, सेमिनार हॉल, कैंटीन, शौचालय, पेंट्री और प्रैक्टिकल लैब आदि का न्यूनतम 900 मिमी का स्पष्ट उद्घाटन/ खुलापन होना चाहिए।
- फर्श के स्तर से 850 मिमी और 1100 मिमी के बीच, गोलाकार सेक्शन के लीवर एक्शन लॉक और डी-हैंडल से सुसज्जित होने चाहिए।
- इसका रंग आस-पास की दीवार की भिन्नता में होना चाहिए और खोलने के लिए 20N से अधिक भारी नहीं होना चाहिए।
- टूट-फूट से बचाने के लिए, किक प्लेटों के नीचे से 300 मिमी होने की सिफारिश की जाती है (चित्र 5.35)।
- जहां भी आवश्यक हो, दरवाजे फर्श स्तर से कम से कम 900 मिमी और 1500 मिमी के बीच विज्ञान पैनल से सुसज्जित होने चाहिए।



दरवाजे के सहायक उपकरण और हार्डवेयर

● **थ्रेसहोल्ड/चैनल** को या तो जमीन में दबाकर रखना चाहिए या चित्र के अनुसार झुकाया जाना चाहिए (चित्र 5.36)

● **प्रचालन योग्य उपकरण:** जैसे हैंडल, कुंडी और ताले निम्न अनुसार होने चाहिए:-

○ 800-1000 मिमी के बीच दिए गए हों


○ लीवर हैंडल और पुश प्रकार के हों

○ एक हाथ से संचालित करने योग्य हों व संचालित करने के लिए उंगलियों के बारीक नियंत्रण, कस कर पकड़ने, पिंच करने या घुमाने की आवश्यकता न हो (चित्र 5.37)


● **चमकदार/कांच के दरवाजे और निश्चित चमकदार क्षेत्र:** इन्हें एक स्पष्ट रंग और भिन्न आवाज वाली चेतावनी या विशिष्ट सजावट के प्रयोग से दृश्यमान बनाया जाना चाहिए जो अंदर और बाहर दोनों से प्रभावी हो। ये प्रकाश की किसी भी व्यवस्था की स्थिति में दिखाई देने चाहिए, उदाहरण के लिए, एक लोगो प्रदान किया जा सकता है जो आंखों के स्तर पर न्यूनतम डिमेंसन/आयाम **150 मिमी x 150 मिमी** पर स्थापित हो।

● **फुट मैट:** दृष्टिबाधित बच्चों को सभी प्रवेश द्वारों का आसानी से पता लगे इसके लिए इसे या तो जमीन में दबा दिया जाए या पतली रबर मैट दी जाए।

● **किक प्लेटें:** (एल्यूमीनियम/रबर) फर्श के स्तर से **300-400 मिमी** की ऊंचाई पर दरवाजों पर लगाई जानी हैं (टूट-फूट से बचने के लिए) (चित्र 5.37)




चित्र 5.36 चैनल/प्रक्षेपण पर झुका किनारा




चित्र 5.37 किक प्लेट, सूचना संकेतक और दरवाजे के हार्डवेयर के लिए मानक


पेयजल

- पेयजल क्षेत्र के लिए संकेतक उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- नल दो ऊंचाइयों पर हों - 400 मिमी और 800 मिमी और नल के लिए लीवर प्रकार के हैंडल की सिफारिश की जाती है।
- व्हीलचेयर, बैसाखी, वाँकर आदि जैसे मोबिलिटी एड्स का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए एक नीचा किया हुआ बॉशबेसिन प्रदान किया जाना चाहिए।
- बॉशबेसिन 520 मिमी और 410 मिमी डायमेंशन्स/आयामों का होना चाहिए, इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि शीर्ष किनारा फर्श से 700 मिमी-800 मिमी के बीच हो; जहां घुटने की जगह/ नी स्पेस कम से कम 760 मिमी चौड़ी, 200 मिमी गहरी और 650 मिमी 680 मिमी ऊंची होनी चाहिए (चित्र 5.38)
- इससे व्हीलचेयर, बैसाखी आदि जैसे मोबिलिटी एड्स वाले छात्रों के लिए नल तक सामने और समानांतर दोनों तरह से पहुंच बनती है।
- साबुन के लिए क्वी होल के साथ अनेक नल और बहु-स्तरीय पेयजल इकाई का डिज़ाइन बच्चों के अनुकूल है और इसे प्रदान किया जाना चाहिए (चित्र 5.39)। यहाँ दो विकल्प हैं और इनमें से कोई भी उपलब्ध कराया जा सकता है।





चित्र 5.39 विकल्प I- सुलभ पेयजल इकाइयों के लिए मानक




कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष और गतिविधि क्षेत्र

- प्रति कक्षा शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के लिए निर्दिष्ट मानदंड होने चाहिए। प्रति बच्चे को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराकर शिक्षा, विकास और निर्गम को सुविधाजनक बनाया जाता है।
- कमरे/प्रयोगशाला/गतिविधि क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार (अलमारी, निधानी/ताखा और दराज) का भंडारण स्थान फर्श के स्तर से 340 मिमी - 1200 मिमी होना चाहिए, जिससे सामने जाया जा सके और एक ओर से जाने के लिए 230-1300 मिमी (चित्र 5.40) होना चाहिए।
- अलमारियाँ और दराज के हैंडल डी-आकार के हैंडल के साथ लीवर लॉक होने चाहिए, जिसे पकड़ने या खींचने की सीमित शक्ति (20N से अधिक नहीं) वाला बच्चा आसानी से पकड़ सके।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कक्षाओं में हरित बोर्डों के आसपास चलने, पुस्तकालय की अलमारियों के बीच और छात्रावास के कमरों में अलमारियों के दरवाजे खोलते समय पर्याप्त फर्श स्थान प्रदान किया जाना चाहिए - 900 मिमी-1200 मिमी।
- आगे की आरामदायक पहुंच 380-1200 मिमी के बीच है और वर्कटॉप पर अलमारियों की अधिकतम ऊंचाई 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

● पुस्तकालय

- सभी खुली किताबों के स्टैक सुलभ होने चाहिए।
- सभी पुस्तकालय सुविधाएं और उपकरण सुलभ होने चाहिए।
- सुनने और दृष्टिबाधित लोगों, जिन्हें पढ़ते समय सहायता की आवश्यकता होती है, के लिए एक विशेष कमरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक शांत कमरे/स्थान को प्राथमिकता दी जाती है।



चित्र 5.40 भंडारण लॉकर/अलमारियों के लिए मानक

फर्नीचर और बहु-प्रयोग टेबल

- कक्षाओं में, कुछ बेंचों में पृथक (अलग) टेबल और सीटें होनी चाहिए ताकि वॉकर/बैसाखी आदि जैसे सहायता वाले उपयोगकर्ताओं का आना-जाना सुगम हो।
- कम से कम 650 मिमी का घुटने का स्थान/ नी स्पेस आवश्यक है।
- डेस्क का उपयोग अधिकतम 2-3 बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए।
- डेस्क को इसके नीचे एक शेल्फ या भंडारण स्थान देकर बदला जाना चाहिए ताकि बच्चे इसमें अपना बैग रख सकें और आराम करने के लिए सीट की जगह का उपयोग कर सकें।
- सीट और डेस्क की ऊंचाई बच्चे के आकार और ऊंचाई के अनुसार प्रदान/समायोजित की जानी चाहिए।
- चमकीला, मिरर पॉलिश वाला फर्श फिसलन के खतरे का कारण बन सकता है। पूरे स्कूल में फिसलन रोधी-फर्श की सिफारिश की जाती है।
- चमकती हुई टाइलें प्राकृतिक प्रकाश में भी चमक पैदा करती हैं और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए असुविधा का कारण बनती हैं।
- गतिविधि/अध्ययन/डाइनिंग टेबल फर्श से 800 मिमी से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए, घुटने की न्यूनतम दूरी 650- 680 मिमी ऊंची और 280-300 मिमी गहरी होनी चाहिए



(चित्र 5.41)।

- टेबल के चारों ओर का स्थान लगभग 1200 मिमी x 800 मिमी होनी चाहिए।
- चकाचौंध उत्पन्न करने वाली चमकदार सतहों के बजाय मैट फिनिश हल्के रंग की टेबल सतह की अनुशंसा की जाती है।



चित्र 5.41 उपयोग में आसान स्कूल फर्नीचर

Source: <http://www.panfurniture.com/schoolfurniture.asp>



चित्र 5.42 बहु-उपयोग टेबल के लिए मानक

Keeping the body straight from side to side

Even with a firm board seat, this boy's body sags to one side. This can lead to increasing curve of the spine (scoliosis).

Hip guides may help him sit straighter

Sometimes, hip guides alone are not enough.




चित्र 5.43 सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए कुर्सी (बैठने) का अनुकूलन

सभागार, मध्याह्न भोजन क्षेत्र/कैटीन, व्यायामशालाएं और पूल

- प्रवेश और निकास, बैठक कक्ष, व्यायामशाला में उपकरण और स्विमिंग पूल सहित समस्त कॉमन एरिया को सुगम्य बनाया जाना चाहिए।
- इस क्षेत्र में पैरों व घुटने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ बहु-उपयोगी टेबल्स जैसे फर्नीचर का उपयोग करना सरल है (सैक्शन 5.2.18 और चित्र 5.44 देखें)।
- कैटीन/मिड-डे मील क्षेत्र में वॉशबेसिन/सिंक होते हैं, अतः एक सुगम्य वॉश बेसिन प्रदान किया जाए। (सैक्शन 5.2.11 देखें)।
- ऑडिटोरियम में श्रवण बाधित बच्चों के लिए इंडक्शन लूप सिस्टम होना चाहिए।
- ऑडिटोरियम और खुले क्षेत्र, जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए स्थान पर/तक सुगम्यता/अभिगम्यता के अंतरराष्ट्रीय प्रतीक के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए और चित्र के अनुरूप डायमेंशन्स होने चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ता या सीमित एम्बुलेटरी मोबिलिटी वाले व्यक्ति को समायोजित करने के लिए रिमूवेबल या फ्लिप-अप आर्मरेस्ट के साथ कुछ सीटें रॉ-एंड्स पर प्रदान की जानी चाहिए। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए समतल/लेवल फ्लोर क्षेत्र रॉ-एंड्स पर होना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर यह प्रबंध होना चाहिए ताकि विभिन्न अवस्थितियों में बैठने और देखने की व्यवस्था हो। (चित्र 5.42)।
- बैठने के क्षेत्र में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए निर्दिष्ट स्थान की संख्या का अनुमान तालिका 5.1 के अनुसार लगाया जा सकता है:

तालिका 5-1: हॉल /ऑडिटोरियम में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था

| सीटों की संख्या | व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए अपेक्षित सीटों की संख्या |
|-----------------|--|
| 600 तक | 6 यानी, 1/100 |
| 1000 तक | 6 + 2 |
| 1000 से अधिक | 1000 सीटों की प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि के लिए 8 + 1 |




चित्र 5.44: एक सभागार / सदन में व्हीलचेयर की जगह

प्रयोगशालाएं

- पैर और घुटने के पर्याप्त स्थान के साथ बहुउपयोगी टेबलों का प्रयोग सुविधाजनक है।
- प्रयोगशालाओं में फर्नीचर (संदर्भ 5.2.18 और चित्र 5.45 देखें)
- वाशबेसिन/सिंक वाली प्रयोगशालाओं के लिए एक सुगम्य/सुलभ वाशबेसिन दिया जाए। (सेक्शन 5.2.11 का संदर्भ लें)
- लेखन सतह/पटल और सेवा पटल जमीन से 800 मिमि की ऊंचाई से अधिक नहीं होना चाहिए और 680 मिमि तक घुटने का स्थान होना चाहिए। (चित्र 5.45)


चित्र 5.45: कार्टर्स टॉप/ टेबल की ऊंचाई



खेल भवन

- स्पोर्ट्स हॉल पूरी तरह से सुगम्य होने चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति सुविधा कम से कम एक शॉवर रूम (सेक्शन 6.3), एक स्नानगृह (सेक्शन 5.2.10) और एक चेजिंग रूम की सुविधा अवश्य होनी चाहिए।
- दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है (चित्र 5.44 और टेबल 5-1)
- सुलभ प्रवेश द्वार की चौड़ाई 900 मिमि (चित्र 5.46) से कम नहीं होनी चाहिए, अधिमानतः 1 मीटर और सुलभ प्रवेश द्वार तक आवागमन के लिए गलियारों एवं मार्गों की चौड़ाई 1800 मिमि से कम नहीं होनी चाहिए।

चित्र 5.46: द्वार मुख



लिफ्ट

- जहां भी संभव हो स्कूलों में लिफ्ट की तुलना में रैंप को प्राथमिकता दी जाती है; यदि जगह की कमी है, तो बहुमंजलीय स्कूलों के लिए लिफ्ट प्रदान की जाएगी।
- **रंग:** लिफ्ट का दरवाजा और पैनल तीव्र चमक पैदा करने वाले चमकदार स्टील या किसी अन्य मैटेलिक शैड के बजाय उज्वल रंग के कंट्रास्ट में होने चाहिए।
- **कार स्पेस:** आंतरिक फ्लोर स्थान न्यूनतम 1500 मिमी x 1500 मिमी ।
- **दरवाजे:** समुचित प्रवेश समय देने के लिए 900 मिमी चौड़े और क्लोजिंग मैकेनिज्म को समायोजित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, सेंसर लगाए जाने चाहिए।
- **कॉल बटन:** 800 मिमी -1000 मिमी की पहुंच तक; कॉल बटन तक पहुंच के लिए किसी भी कोने या दीवार से कम से कम 450 मिमी।
- **नियंत्रण कक्ष:** लिफ्ट के अंदर अधिमानतः दोनों तरफ से, ब्रेल के साथ बटन होते हैं और उभरे अक्षर भी होते हैं और बैकग्राउंड से विपरीत ब्राइट होते हैं (चित्र 5.47)।
- **ऑडियो घोषणा:** दरवाजा खोलने / बंद करने और फ्लोर लेवल के लिए।
- **मुख्य योजना:** सभी तलों के लिए लिफ्ट के अंदर रखी जाए।
- **दृष्टि पैनल:** लिफ्ट दरवाजे पर दो स्तरों - 800 मिमी और 1500 मिमी पर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **स्तर का अंतर:** लिफ्ट दरवाजे और फर्श की सतह के बीच स्तर में अंतर 10 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **फ्लोर निर्देशिका:** लिफ्ट लैंडिंग पर उपलब्ध मुख्य सुविधाओं और सेवाओं के साथ-साथ एक सुलभ आपातकालीन निर्गम मार्ग जो दिव्यांग के लिए निकटतम शरण क्षेत्रों के स्थान को स्पष्ट रूप से इंगित करती है।
- लिफ्ट कार के भीतर दृश्यक और ध्वनिक रूप से प्रतिबिंबित दीवार सतहों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए क्योंकि दृश्य प्रतिबिंब असुविधा पैदा कर सकते हैं और दृश्यक बाधायुक्त बच्चों की सुगमता से देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- लिफ्ट कार का फर्श फिसलन प्रतिरोधी होना चाहिए और ठोकर खाने/लड़खड़ाने के जोखिम को कम करने के लिए लिफ्ट लैंडिंग फर्श के समान प्रतिरोधात्मक क्षमता होनी चाहिए।
- लिफ्ट के दरवाजे के सामने लिफ्ट कार की दीवार पर एक दर्पण का प्रावधान व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए नेविगेशन हेतु एक सकारात्मक सहायता है।
- यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को यह देखने में सक्षम बनाएगा कि क्या कोई उनके पीछे है और इससे वह फर्श संकेतक पैनल भी देखा सकेगा।
- दृष्टिबाधित बच्चे भ्रम में न पड़ें इससे बचाव के लिए दर्पण को लिफ्ट फर्श से 900 मिमी से नीचे नहीं लगाया जाना चाहिए।
- आस-पास/आमने-सामने की दीवार के रंग विपरीत/भिन्न हों और खोलने के लिए 20N से भारी नहीं होना चाहिए।



चित्र 5.47 ब्रेल के साथ नियंत्रण कक्ष और लिफ्ट के दरवाजे के मानक

प्रकाश

- ऐसी व्यवस्था हो कि सभी कक्षाओं में पर्याप्त और समुचित रूप से प्रकाश फैले। अधिमानतः प्रकाश का स्तर 350-500 lux होना चाहिए।
- अत्यधिक उज्वल रोशनी के चकाचौंध से बचना चाहिए।
- श्रवण बाधित बच्चों द्वारा ओष्ठ पठन के लिए ब्लैक बोर्ड पर रोशनी प्रदान की जानी चाहिए।
- शौचालय, सीढ़ियों और गलियारों में रोशनी का स्तर 100-150 lux के बीच होना चाहिए।

खेल का मैदान

- न्यूनतम 1800 मिमी चौड़ाई का पक्का मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए।
- लेवल अंतर के मामले में, पथ को जोड़ने के लिए रैंप प्रदान किया जाना चाहिए।
- पक्के रास्ते के निकटतम बैठने के क्षेत्र में, छाया/ पेड़ के नीचे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 800 मिमी x 1200 मिमी की स्पष्ट जगह होनी चाहिए।

CHAPTER 6: HOSTEL

अध्याय 6: छात्रावास




6.1. प्रवेश व निकास


- छात्रावास के सभी प्रवेश और निकास स्थानों में धारा 5.2.1 का अनुपालन किया जाना चाहिए।

6.2. सुगम्य कक्ष


- कम से कम सभी दरवाजों के समीप, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 1500 मिमी की परिधि में सरलता से मुड़ने का स्थान देने की दृष्टि से कमरे की योजना बनाई जानी चाहिए।
- सारे फर्नीचर के सामने कम से कम 900 मिमी × 1200 मिमी तक खाली फर्श स्थान होना चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए बिस्तर निम्न प्रकार से होना चाहिए:
 - फर्श की सतह से 450-480 मिमी की ऊंचाई हो,
 - स्थिर हो। बिस्तर को दीवार के साथ या कमरे के कोने में रखकर इसकी स्थिरता को बेहतर किया जा सकता है (सिवाय इसके कि जब व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बिस्तर ठीक करना चाह रहा है); और
 - ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां स्थानांतरण की ओर कम से कम 1500 मिमी तक मुड़ने की जगह दी जा सके।
- फर्श से 450 मिमी और 900 मिमी की ऊंचाई के बीच एक बेडसाइड टेबल या कैबिनेट एक लैंप टेलीफोन, आवश्यक दवाएं और यदि सहायता की आवश्यकता हो तो कॉल बेल रखने के लिए उपयोगी हो सकती है।
- 1100 मिमी से 1300 मिमी की ऊंचाई पर स्थापित बॉल हुक, क्लोजेट एरिया के लिए उपयोगी संयोजन हो सकता है।
- अलमारी निम्न प्रकार से होनी चाहिए:
 - कम से कम 900 मिमी × 1200 मिमी का एक खाली फर्श स्थान;
 - फर्श से 1200 मिमी की ऊंचाई पर क्लोथ बार हो;
 - फर्श सतह से 300 मिमी और 1150 मिमी के बीच विभिन्न स्तरों पर शेल्फ संस्थापित हों।
 - दरवाजे का हैंडल (सैक्शन 5.2.14) के अनुरूप हो।



चित्र 6.1 बिस्तर के चारों ओर स्थान




चित्र 6.2: भंडारण स्थान



चित्र 6.13: शेल्फ और अलमारी

6.3. कैंटीन/डाइनिंग हॉल

- नए कैंटीन/डाइनिंग हॉल और खाने की जगह सुगम्य होनी चाहिए और दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों द्वारा सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग किया जा सके।
- पुराने भवनों को अध्याय 4 में दिए गए मानकों के अनुसार रेट्रोफिट किया जाना चाहिए।
- स्व-सेवा कैंटीन में, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फर्श से 800 मिमी पर ट्रे स्लाइड और काउंटर लगाए जाने चाहिए। खाद्य अलमारियों को 1200 मिमी की अधिकतम ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए और न्यूनतम 900 मिमी का गलियारा संबंधी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए (चित्र 6.4)।
- कैंटिलीवर टेबल या प्रत्येक कोने पर स्ट्रेट लेग के साथ टेबल, सेंट्रल पेडस्टल से बेहतर होते हैं जो व्हीलचेयर पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए स्टूल्स और उच्च टेबल उपयुक्त नहीं हैं। लो टेबल यानि नीचे के स्तर पर टेबल भी प्रदान किए जाने चाहिए।



चित्र 6.4: व्हीलचेयर का गलियारा और पहुँच की ऊँचाई

6.4. सुगम्य बाथरूम

- महिलाओं और पुरुषों के शौचालयों में व्यक्तिगत सुलभ क्यूबिकल के लिए, चित्र 6.5 और 6.6 के अनुसार साइनेज/संकेतक प्रदान किया जाना चाहिए।
- दृष्टि क्षति वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए, सभी सामान्य शौचालयों में त्रिकोण में पुरुष पिक्टोग्राम या सर्कल में महिला पिक्टोग्राम होना चाहिए, प्लेटों पर उभरे हुए अक्षरों के साथ चिह्नित होना चाहिए और दरवाजे की कुंडी के बगल में दीवार पर ब्रेल (सैक्शन 5.2.8) लगाया जाना चाहिए।
- दरवाजे पर अतिरिक्त साइनेज/संकेतक भी प्रदान किए जा सकते हैं। (चित्र 6.5 एवं 6.6)



चित्र 6.5: पुरुष व स्त्री सुगम्य (CWDS) शौचालय



चित्र 6.6: पुरुष व स्त्री सुगम्य शौचालय कक्ष के लिए संकेतक

6.5. बाथरूम-शॉवर क्यूबिकल्स/शावर कक्ष

आकार

- शॉवर कक्ष का न्यूनतम आंतरिक डायमेंसन्स/आयाम//अभ्यंतर 2000 मिमी x 2200 मिमी होना चाहिए।
- एक शौचालय सह शॉवर कक्ष का न्यूनतम आंतरिक आयाम/अभ्यंतर 2400 मिमी x 2500 मिमी होगा।
- शॉवर प्रवेश द्वार के सामने न्यूनतम खाली फर्श जगह शॉवर प्रवेश द्वार के समानांतर 1350 मिमी आयाम/अभ्यंतर के साथ 1350 मिमी x 900 मिमी होनी चाहिए।
- शॉवर का फर्श फिसलन रोधी होना चाहिए।

शॉवर कक्ष के लिए ग्रैब बार निम्न अनुसार होनी चाहिए:


- धारा 5.2.10 की अनुपालना में हो;
- शॉवर फर्श से 700 मिमी और 800 मिमी के बीच एल-आकार की विन्यास में एक एल-आकार की पट्टी या दो ग्रैब बार रखें (चित्र 6.8); और
- एक ग्रैब बार कम से कम 750 मिमी लंबा लंबवत स्थापित करें और दूसरी कम से कम 900 मिमी लंबा क्षैतिज रूप से स्थापित करें।

स्टेशनरी, फिटिंग और सहायक उपकरण

- प्रसाधन सामग्री के लिए 400-800 मिमी के बीच एक शेल्फ प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी शॉवर नियंत्रण पीछे की दीवार से 500 मिमी की दूरी पर होने चाहिए।
- शावर नियंत्रण फर्श से 750 मिमी से 1000 मिमी के बीच स्थापित किया जाना चाहिए।
- न्यूनतम 1500 मिमी लंबी नली के साथ समायोज्य और अलग करने योग्य शॉवर हेड (टेलीफोन शॉवर/हैंड-हेल्ड शॉवर) को फर्श से 800 मिमी और 1200 मिमी के बीच स्थापित किया जाना चाहिए।
- जहां शॉवर हेड एक ऊर्ध्वाधर बार पर लगाया गया है, वहां बार स्थापित की जानी चाहिए ताकि ग्रैब बार के उपयोग में अवरोध न हो।
- रोल-इन शॉवर कक्ष के लिए फर्श का प्रक्षेप 10 मिमी से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए या फिर 1:2 की ढलान पर झुका होना चाहिए।
- शॉवर कक्ष के लिए बाड़ों/चारदीवारी के कारण व्हीलचेयर से शॉवर सीट पर स्थानांतरण में बाधा न आए।

शॉवर सीट

- एक दीवार पर लगी शॉवर सीट उपलब्ध कराई जा सकती है, अधिमानतः जो मुड़ सके।
- शॉवर सीट को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि पानी की टंकी/कोठरी की केंद्र रेखा और आसन्न दीवार के बीच की दूरी 450 मिमी से 480 मिमी हो, और पानी की टंकी/कोठरी के सामने के किनारे और पीछे की दीवार के बीच की दूरी 650 मिमी हो। शॉवर सीट का शीर्ष फर्श से 450- 480 मिमी की ऊंचाई पर होना चाहिए।
- जल टंकी/कोठरी के निकट, सामने और स्थानांतरण की तरफ, कम से कम 1350 मिमी गहराई और 900 मिमी चौड़ाई का फर्श का पर्याप्त खाली स्थान होना चाहिए।
- यह स्व-निकासी योग्य, न फिसलने वाला और गोल किनारे वाला हो सकता है;
- इसे नियंत्रण साधनों की निकटतम दीवार पर लगाया जा सकता है;
- इसका न्यूनतम आयाम 400 मिमी चौड़ा हो सकता है जो कक्ष की पूरी गहराई को बढ़ाए, शॉवर पर्दे के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है।



CHAPTER 7: EMERGENCY EVACUATION IN SCHOOLS AND HOSTELS


अध्याय 7:

विद्यालयों और छात्रावासों में आपातकालीन निकासी



- सभी सार्वजनिक स्थानों, शौचालयों और स्नानघरों में, आपातकालीन स्थितियों में बच्चों को चेतावनी देने के लिए दृश्य और श्रव्य रूप में संकेत-संकेतक/अलार्म दिए जाएं।
- सभी कर्मचारियों और देखभाल करने वालों को नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा अभ्यास करना चाहिए और दिव्यांग बच्चों को जागरूक करना चाहिए।
- संवेदीकरण/जागरूकता प्रशिक्षण में आपातकालीन और निर्गम/निष्क्रमण प्रक्रिया में निकास क्षेत्र और एकत्र होने के क्षेत्र के बारे में बताना चाहिए।
- **सुरक्षा:**
 - चारदीवारी और खिड़कियां: भवनों के लिए चारदीवारी दें और खिड़कियों, खुले क्षेत्रों, छज्जे, छत आदि पर ग्रिल/जाल उपलब्ध कराएं।
 - अवशिष्ट बिजली सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी): इन्हें बिजली के झटके की स्थिति में ट्रिप होने के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **अग्नि सुरक्षा:**
 - सुरक्षा प्रक्रियाएँ: आसानी से समझे जाने वाले प्रारूपों में दी और समझाई जानी चाहिए और निवासी की संचार आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
 - अग्नि शरण क्षेत्र: अग्नि सुरक्षा सीढ़ी में उतरने की जगह आपातकालीन निकासी की सुविधा के लिए स्पष्ट संकेत, चमकते बल्ब और ऑडियो सिग्नल के साथ दो-तरफा संचार उपकरणों से सुसज्जित होनी चाहिए।
 - अलार्म उपकरण: फायर अलार्म बॉक्स, आपातकालीन कॉल बटन और लिट पैनल, सुसज्जित फर्श की सतह से 800 मिमी और 1000 मिमी की ऊंचाई के बीच स्थापित किए जाने चाहिए। ये पृष्ठभूमि की दीवार से पर्याप्त रूप से अलग से दिखने वाले होने चाहिए और इनमें उभरे हुए अक्षर और ब्रेल हों।
 - 'ध्वनि निर्देशों' के साथ श्रव्य अलार्म रखे जाने पर विचार करें जो उन्हें निकटतम आपातकालीन निकास तक मार्गदर्शन करने में मदद कर सके।
 - श्रवण बाधा वाले बच्चों को सचेत करने के लिए गैर-श्रवण अलार्म (दृश्य या संवेदी) सभी क्षेत्रों (रसोईघर, शौचालय क्षेत्र आदि सहित) में युक्तिसंगत स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए।
- **निकासी मार्ग:**
 - निकासी मार्गों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए और उन पर युक्तिसंगत रूप से संकेतक लगाए जाने चाहिए।
 - मार्ग कम से कम 1200 मिमी चौड़ा होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला बच्चा और दिव्यांग न होने वाला बच्चा मार्ग पर एक-दूसरे को पार करने में सक्षम है।
 - मार्ग सब स्तर पर बराबर होना चाहिए और फर्नीचर, कूलर, एसी यूनिट, फ्लावरपॉट आदि जैसे अवरोध नहीं होने चाहिए।

- इसके अलावा, हरे रंग की आपातकालीन निकास लाइटों और फर्श के पास लगे दिशा-दर्शक संकेत उन मामलों में सभी लोगों के लिए उपयोगी पाए गए हैं जहां बहुत अधिक धुआं विद्यमान रहता है (चित्र 7.1)
- मार्ग में "बाह्य-द्वार" संकेतक का उपयोग करें।
- निर्गम/निकासी मार्ग के साथ फर्श स्तर से 500 मिमी की ऊंचाई पर मार्ग-निर्देशकों के साथ अभिविन्यास और दिशा संकेत स्थापित किए जाने चाहिए।



चित्र 7.1 आपातकालीन निर्गम के लिए दृश्य-श्रव्य निर्देशक/चेतावनी संकेतक

CHAPTER 8: INFORMATION AND COMMUNICATION ACCESSIBILITY

अध्याय 8:

सूचना और सम्प्रेषण अभिगम्यता



8.1. अवरोध और अवरोधों की पहचान

समावेशी शिक्षा के संदृश्य को तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब सुलभ संचार हो। संचार में अवरोध को सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखा जाता है जिसका स्कूलों द्वारा ऐसी बाल-केंद्रित सुलभ संचार रणनीतियों को अपनाकर निदान किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों/ छात्रों की वास्तविक जरूरतों पर आधारित हों। स्कूलों संबंधी कुछ अवरोध नीचे सूचीबद्ध हैं जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित होने में बाधा डालते हैं। कक्षा में प्रभावी संचार में कुछ सामान्य अवरोध श्रवण बाधाएँ, धारणा बाधाएँ, मौखिक बाधाएँ और सांस्कृतिक बाधाएँ हैं। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इन बाधाओं को पहचानना और उनको दूर करना सीखना आवश्यक है।

8.1.1 अवरोधों की पहचान

स्कूलों संबंधी कुछ अवरोध नीचे सूचीबद्ध हैं जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित होने से रोकते हैं।

| दिव्यांगता | अवरोध | निदान |
|-------------|---|--|
| दृष्टि बाधा | <ul style="list-style-type: none"> • छोटा प्रिंट या कोई बड़ा प्रिंट संस्करण न होना • वीडियो • चार्ट • मानचित्र ग्राफ़ • कठिन ई-सामग्री और डिजिटल सामग्री | <ul style="list-style-type: none"> • ब्रेल • स्क्रीन रीडर और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ संगत सामग्री • रंग विभिन्नता/विषमता/colour contrast • वॉयस रिकार्डर • स्पर्श मानचित्र, ग्राफ़ और आरेख • स्पर्शनीय प्रिंटआउट के लिए प्रिंटर की उपलब्धता • पाँडकास्ट • निर्देशन/साइनेज (ब्रेल) • संवर्धित और वैकल्पिक संचार • बड़ी छपाई • DAISY पुस्तक (पूर्ण पाठ और स्वतः समक्रमिकता) • ब्रेल स्वरूपित फ़ाइल (बीआरएफ) • डिजिटल पुस्तक • ऑडियो विवरण के साथ दृश्य सामग्री, डाउनलोड करने योग्य |

| | | |
|-------------------|---|--|
| श्रवणबाधिता | <ul style="list-style-type: none"> • मौखिक संचार • बिना कैप्शन के वीडियो | <ul style="list-style-type: none"> • सांकेतिक भाषा • पीईसी (तस्वीर विनिमय संचार) • निर्देशक/ चेतावनी संकेतक • लिखित अनुदेश • क्लोज कैप्शनिंग और भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ दृश्य, डाउनलोड करने योग्य सामग्री जैसे ईपीयूबी (केवल पाठ), पढ़ने में आसान प्रारूप, आदि। |
| संज्ञानात्मक बाधा | <ul style="list-style-type: none"> • लंबे वाक्य, शब्द, गति, तकनीकी भाषा • सार सामग्री, अधिक सामग्री, अव्यवस्थित सामग्री | <ul style="list-style-type: none"> • सरलीकृत भाषा • ग्राफिक आयोजक • आवाज रिकॉर्डर • पॉडकास्ट • दृश्य अनुसूची • मूर्त प्रस्तुतियाँ या अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देना • बहु-संवेदी मीडिया और मॉडल • दृश्य के साथ सामग्री का मल्टीमॉडल प्रतिनिधित्व (चित्र, वीडियो) • श्रवण प्रतिक्रिया • ऑनलाइन इंटरैक्टिव सामग्री, ऑफ़लाइन और डाउनलोड करने योग्य सामग्री • मनिप्युलटिव सामग्री, उपकरण, उपस्कर, वस्तुएं, गतिविधि अनुसूची और अनुक्रम • सरल और स्पष्ट भाषा पाठ, संक्षिप्ताक्षरों को विस्तार से प्रस्तुत करना, शब्दजाल से परहेज, स्पष्ट उद्देश्य और संदर्भ का अर्थ • एनिमेशन और छवियां/चित्र, छोटे वर्गीकृत, इंटरैक्टिव सामग्री, रंग कोड और विभिन्नता/कंट्रास्ट। |

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>लोकोमोटर बाधा</p> | <ul style="list-style-type: none"> • पतले पन्नों वाली किताब, स्टेपल की हुई किताब • कंप्यूटर कीबोर्ड और सहायक उपकरण • अप्राप्य सॉफ्टवेयर • मौखिक संवाद • संकेत, इशारों आदि का उपयोग करके संचार (अवधारणात्मक मोटर कठिनाइयों के कारण) • माइक्रोस्कोप, रीडिंग क्लॉक, ज्योमेट्री किट, साधारण पेन जैसे बेहतर समायोजन वाले लैब उपकरण | <ul style="list-style-type: none"> • श्रेणीबद्ध पृष्ठांकित पुस्तक, सर्पिल/चक्राकार पुस्तक • अनुकूलित हार्डवेयर सहायक प्रौद्योगिकीय उपस्कर • अनुकूलित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (उदाहरण के लिए टेक्स्ट से स्पीच, विज़ुअल स्कैन से स्पीच, आदि) • वैकल्पिक और संवर्धित संचार • चित्र/छवि विनिमय संचार प्रणाली • अनुकूलित प्रयोगशाला उपस्कर, मापन पैमाना, ज्यामिति किट, अनुकूलित लेखन बोर्ड आदि। |
|----------------------|---|---|

8.2. अभिगम्यता मानक

सूचना को स्पष्ट, प्रत्यक्ष और समझने में आसान बनाकर किए गए सुलभ संचार से सभी को लाभ होता है। दिव्यांगजनों को जानकारी देते समय स्कूल को सुलभ संचार सहायता और प्रारूप प्रदान करने चाहिए या इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। संचार के सुलभ प्रारूपों को संचार के वैकल्पिक प्रारूपों के रूप में भी जाना जाता है, जो संचार के मौखिक-श्रव्य, संकेत, स्पर्श डिजिटल मोड का उपयोग करने वाले लोगों और भिन्न-भिन्न दिव्यांगता वाले लोगों के लिए, संचार, भाषा, पाठ के प्रदर्शन, ब्रेल, स्पर्श संचार, संकेत, बड़े प्रिंट, सुलभ मल्टीमीडिया, लिखित, ऑडियो, वीडियो, दृश्य प्रदर्शक, संकेत भाषा, सरल-भाषा, मानव-पाठक, संवर्धन और वैकल्पिक मोड और सुलभ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन व प्रारूप हैं।

उदाहरण के लिए सुलभ प्रारूप में निम्न शामिल हैं:

| दिव्यांगता और कठिन प्रारूप | सुलभ प्रारूप/ मानक |
|--|---|
| <p>दृश्यबाधिता (सूचना और संचार के लिए श्रवण और स्पर्श मोड को प्राथमिकता देना)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रिंट • लिखित सामग्री • दृश्य सामग्री • डिजिटल पाठ और चित्र/छवियाँ | <ul style="list-style-type: none"> • सामग्री का ब्रेल में होना • बड़ी छपाई/बड़ा मुद्रण • रंग भिन्नता /विषमता (कंट्रास्ट)/डार्क थीम • सुलभ डिजिटल फ़ाइलें, जैसे: <ul style="list-style-type: none"> ○ एचटीएमएल ○ WCAG 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की उपलब्धता • ऑडियो विवरण • स्क्रीन रीडर/स्क्रीन मैग्निफायर, ब्रेल डिस्प्ले, बड़े मॉनिटर, DAISY सामग्री का उपयोग करके सुलभ डिजिटल पाठ |
| <p>श्रवण बाधा (सूचना और संचार के लिए दृश्य विधा को प्राथमिकता देना)</p> <p>मौखिक/वाचिक सामग्री श्रवण संबंधी (ऑडियो) सामग्री</p> | <ul style="list-style-type: none"> • सांकेतिक भाषा में सामग्री • सांकेतिक भाषा के माध्यम से सामग्री की व्याख्या • क्लोज कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा के साथ दृश्य-श्रव्य सामग्री • दृश्य विवरण • सहायक श्रवण प्रणालियाँ • संवर्धित या वैकल्पिक संचार उपकरण, जिनमें निम्न शामिल हैं: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • पत्र, शब्द, या चित्र बोर्ड • संचार उपकरण जो दूसरों के साथ संचार के लिए पाठ्य सामग्री को भाषण में बदलते हैं • बलपूर्वक पढ़ना • स्पष्ट भाषा में पुनर्लेखन • ध्वनि और दृश्य संकेतों के साथ प्रयोगशाला और अन्य उपकरण • दूसरों के लिए ऑडियो आउटपुट हेतु पाठ/दस्तावेज़ को डिजिटल सुलभ सूचना प्रणाली (DAISY) फ़ाइलों पर प्रिंट करना |
| लोकोमोटर बाधा (सूचना और संचार के दृश्य और मौखिक-श्रव्य माध्यमों को प्राथमिकता देना) | जैसा कि 8.1.1 में है |

अंत में, सूचना और संचार मानकों की अन्य आवश्यकताएँ स्कूलों और पुस्तकालयों पर लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूलों और स्कूल बोर्डों को शिक्षकों के लिए अभगम्यता/सुगम्यता जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी तरह, शैक्षिक संसाधन तैयार करने वाले संगठनों को उन संसाधनों को सुलभ बनाना होगा। इसी प्रकार, स्कूल पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रिंट, डिजिटल और मल्टीमीडिया संसाधनों के सुलभ संस्करणों का प्रापण करना होगा।

अनुलग्नक I

अभिगम्यता लेख-परीक्षा जांच-सूची

स्कूलों की सुगम्यता/अभिगम्यता लेखा-परीक्षा हेतु, अभिगम्यता लेखा-परीक्षा जांच-सूची की आवश्यकता होती है। अभिगम्यता लेखा-परीक्षा का उद्देश्य स्कूल परिसर के भौतिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं और सुविधाओं की पहुँच/सुलभता का विस्तृत मूल्यांकन करना है। अभिगम्यता लेखा-परीक्षा कोई नई अवधारणा नहीं है, और सुगम्य/अभिगम्य भारत अभियान विद्यमान भवनों की अभिगम्यता लेखा-परीक्षा और आगामी/नए निर्माणकार्यों की योजनाओं की जांच/पुनरीक्षण को अधिदेशित करता है। सुगम्यता/अभिगम्यता लेखा-परीक्षा स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावकों, अभिगम्यता संपरीक्षकों (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) और विशेषज्ञों यथा वास्तुकार, व्यावसायिक चिकित्सक, इंजीनियर और दिव्यांगजन के संगठनों द्वारा की जाती है।

अभिगम्यता लेखा-परीक्षा जांच-सूची क्या है?

अभिगम्यता लेखा-परीक्षा जांच-सूची, अभिगम्यता के स्तर (भवन की ओर और इसके अंदर सुलभता और सभी सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग) का आकलन करने और सिफारिशें करने के साधनों में से एक है। जांच-सूची विविध उपयोगकर्ता समूहों की आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु अभिगम्य आवश्यकताओं को दर्शाती है।

जांच-सूची का उपयोग कैसे करें?

जांच-सूची का उपयोग विद्यमान सुविधाओं तथा भौतिक पर्यावरण और सूचना व संचार की सुलभता के संदर्भ में स्कूल परिसर में अवरोधों/बाधाओं की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग निगरानी और रखरखाव के उद्देश्य से किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि सभी पुनः संयोजन कार्य और नए निर्माण कार्य आवश्यक अभिगम्यता/सुलभता मानकों का अनुपालन करते हैं।

अभिगम्यता लेखापरीक्षा पूर्व स्व-आकलन जांच-सूची

यह जांच-सूची स्व-आकलन में सहायता करती है और इसका उपयोग दृष्टिकोण में बदलाव लाने और समग्र समावेशन की प्राप्ति के एक साधन के रूप में किया जा सकता है। जांच-सूची का उपयोग आमतौर पर स्कूलों को सुलभ और बाधा मुक्त बनाने के लिए समर्थन देने, जागरूकता बढ़ाने और तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा के लिए किया जाता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अभिगम्यता लेखापरीक्षा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो स्कूल के रखरखाव और उपयोग के लिए उत्तरदायी है। एसएमसी और अभिभावक विद्यमान तत्वों का आकलन करने के लिए स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं और स्कूल को अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने के लिए उनका उन्नयन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्व-आकलन और स्केलिंग के लिए स्कूल सेवाओं की सुलभता/अभिगम्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। जांच-सूची सेक्शन **8.4.1** में दी गई है।

स्व-आकलन जांच-सूची

| क्रमांक | विवरण | टिप्पणियां |
|----------|---|------------|
| 1 | स्कूल का नाम | |
| 2 | तिथि | |
| 3 | संपर्क सूत्र के साथ मुख्य व्यक्ति | |
| 4 | कुल छात्र संख्या | |
| | छात्र | |
| | छात्राएं | |
| | सीडब्ल्यूएसएन - छात्र | |
| | सीडब्ल्यूएसएन - छात्राएं | |
| 5 | स्टाफ की कुल संख्या | |
| | शिक्षण/गैर-शिक्षण | |
| | विशेष शिक्षक (यदि कोई हो) | |
| 6 | दिव्यांग शिक्षण/गैर-शिक्षण स्टाफ (यदि कोई हो) | |

भौतिक वातावरण जाँच सूची (भाग I)

| बाह्य वातावरण | हाँ | नहीं | टिप्पणियां |
|--|------------|-------------|-------------------|
| पैदल यात्री क्रॉसिंग | | | |
| क्या ट्रेफिक लाइटें श्रवण संकेतों सहित स्थापित की गई हैं? | | | |
| क्या ज़ेबरा क्रॉसिंग की सुविधा उपलब्ध है? | | | |
| यदि ज़ेबरा क्रॉसिंग प्रदान की गई है, तो क्या इसे उभारा गया है ताकि इसे सफेद छड़ी से पहचाना जा सके? | | | |
| फुटपाथ | हाँ | नहीं | टिप्पणियां |
| क्या फुटपाथ सभी बाधाओं से मुक्त है? | | | |
| क्या सतह समतल, मजबूत है व बाधामुक्त और फिसलन रहित है? | | | |
| क्या फुटपाथ की चौड़ाई दो व्हीलचेयर्स पार करने के लिए पर्याप्त है? | | | |
| क्या सभी मैनहोल यात्रा के पैदल पथ के बाहर स्थित हैं? | | | |
| यदि नहीं, तो क्या मैनहोल ढक्कन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ठीक से फ्लश किए गए हैं? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| कर्ब रैंप (फुटपाथ के लिए रैंप) | | | |
| क्या सड़क की सतह और फुटपाथ/फुटपाथ की ऊंचाई के बीच असमान स्तरों पर कर्ब रैंप दिए गए हैं? | | | |
| क्या पैदल यात्री क्रॉसिंग पर कर्ब रैंप उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या स्कूल के प्रवेश द्वार के पास कर्ब रैंप उपलब्ध कराया गया है? | | | |
| सामान्य अवरोध | | | |
| क्या यात्रा के रास्ते में कोई उठी/उभरी हुई वस्तु है, जिसे दृष्टिबाधित व्यक्ति सफेद छड़ी से नहीं पहचान सकता? | | | |
| मुख्य द्वार | | | |
| क्या सतह का स्तर दृढ़, सुगम्य/निर्बाध और फिसलन रहित है? | | | |
| क्या मुख्य द्वार पर सुरक्षा है? | | | |
| क्या पैदल यात्रियों के प्रवेश/निकास के लिए कोई अलग सुलभ द्वार है? | | | |
| भवन प्रवेश द्वार- रैंप | | | |
| क्या वहां रैंप उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या रैंप के दोनों ओर निरंतर रेलिंग हैं? | | | |
| क्या रैम्प की ढाल 1:15 है? | | | |
| क्या रैंप की न्यूनतम चौड़ाई 1200 मिमी (4 फीट) है? | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| क्या हर मोड़ पर लैंडिंग की व्यवस्था है? | | | |
| क्या रैंप की सतह सुगम्य/निर्बाध और फिसलन-रोधी/स्कड-रोधी है? | | | |
| क्या रैंप के दोनों ओर किनारे की सुरक्षा है? | | | |
| कदम | | | |
| क्या स्टेप राइजर 150 मिमी से अधिक नहीं है? | | | |
| क्या सीढ़ी की चौड़ाई 1800 मिमी (6 फीट) से अधिक है? | | | |
| क्या सीढ़ियों के दोनों ओर निरंतर रेलिंग हैं? | | | |
| क्या वहां रेलिंग विपरीत/भिन्न रंगीय है? | | | |
| क्या सीढ़ी के नीचे कोई खुला क्षेत्र (साँफिट) है, जिस पर कोई सुरक्षा नहीं है? | | | |
| क्या सीढ़ियों में नोजिंग (उभरा हुआ किनारा) है? | | | |
| हैंडरेल | | | |
| क्या सीढ़ियों और रैम्प पर, यहां तक कि उतरते समय भी निरंतर हैंडरेल हैं? | | | |
| क्या दिव्यांग बच्चा आसानी से रेलिंग पकड़ सकता है? | | | |
| क्या वहां रेलिंग विपरीत/भिन्न/contrast रंग में रंगा गया है? | | | |
| दरवाजे | | | |
| क्या बिना अधिक प्रयास किए दरवाजे संचालित किये जा सकते हैं? | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| क्या मैनुअल दरवाजे के सामान/हार्डवेयर (हैंडल, ताले, पुल आदि) पहुंच योग्य ऊंचाई पर स्थित हैं? | | | |
| क्या डोरमैट को फर्श की सतह से लगा दिया गया है और डोरमैट के सभी किनारे फर्श से सुरक्षित ढंग से जुड़े हैं? | | | |
| क्या प्रवेश (देहरी) ऊंची और ढलान वाली (मंद ढलान के साथ समाप्त होने वाली) है? | | | |
| गलियारा | | | |
| क्या गलियारे की सतह फिसलन रोधी, दृढ़ और सुगम्य है? | | | |
| क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति गलियारे के भीतर सभी उठी/उभरी हुई वस्तुओं को पहचान/महसूस कर सकता है? | | | |
| क्या लटकते/हैंगिंग अवरोधों को स्थापित करते समय ऊपरी निर्गम/ ओवरहेड क्लियरेंस प्रदान किया गया है? | | | |
| संकेतक | | | |
| क्या कक्षा, पुस्तकालय और अन्य सभी सुविधाओं के लिए संकेतक उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या ये संकेतक विपरीत/विषम रंगीय हैं ताकि कम दृष्टि वाला छात्र इसे आसानी से पढ़ पाए? | | | |
| क्या कक्षा में दीवार पर दिए गए संकेतक आंखों की सीधार्ई के स्तर पर लगाए गए हैं? | | | |
| क्या छात्र और छात्राओं के शौचालय के लिए संकेतक उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या छात्र और छात्राओं के सुलभ (सीडब्ल्यूडीएस) शौचालय के लिए साइनेज उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या आपातकालीन निकासी के लिए संकेतक हैं? | | | |




| कक्षाएं | | | |
|--|--|--|--|
| क्या कक्षा कक्ष संख्या और नाम (यदि कोई हो) ब्रेल लिपि में भी दिए गए हैं? | | | |
| क्या ब्रेल संकेतक पर स्थान को चिह्नित करने वाले स्पर्शनीय संकेत (चेतावनी पेवर) हैं? | | | |
| क्या कक्षा में प्रवेश स्थान सब स्तर पर बराबर है अर्थात् कोई अंतर/भिन्नता तो नहीं है? | | | |
| क्या कक्षा में प्रकाश का स्तर कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पर्याप्त है? | | | |
| क्या श्रवणबाधित बच्चों द्वारा ओष्ठ-पठन के लिए शिक्षक के ऊपर कोई श्वेत प्रकाश स्रोत (ट्यूब-लाइट/सीएफएल) है? | | | |
| क्या कक्षा में फर्नीचर बच्चों की ऊंचाई के अनुरूप है? | | | |
| क्या सीडब्ल्यूडी के लिए अनुकूलित फर्नीचर हैं - सीपी कुर्सी, अलग डेस्क और टेबल इत्यादि? | | | |
| पुस्तकालय/प्रयोगशालाएँ | | | |
| क्या पुस्तकालय में किताबों की अलमारियों के बीच पर्याप्त जगह है? | | | |
| क्या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए टेबल और प्रयोगशाला उपकरण सुलभ हैं? | | | |
| प्रसाधन | | | |
| क्या छात्र और छात्राओं के लिए अलग शौचालय है? | | | |
| क्या छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग सुलभ (सीडब्ल्यूडी) शौचालय हैं? | | | |
| क्या ये शौचालय कक्षा ब्लॉक के पास हैं? | | | |


| | | | |
|---|--|--|--|
| क्या शौचालयों की पहचान के लिए संकेतक (पुरुष और महिला का प्रतीक) उपलब्ध कराए गए हैं? | | | |
| क्या इन शौचालयों में छत/ढके हुए मूत्रालय, पाइप से पानी की सुविधा और हाथ धोने की जगह है? | | | |
| क्या छात्राओं के शौचालयों में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए भस्मक/इनसिनरेटर उपलब्ध कराया गया है? | | | |
| पेयजल | | | |
| क्या बच्चों के लिए आरओ/फ़िल्टर किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध है? | | | |
| क्या पानी सीधे आरओ से उपलब्ध है या किसी पात्र में संग्रहित किया गया है? | | | |
| क्या जल निकासी सुविधा और वॉशबेसिन उपलब्ध है? | | | |




बाह्य वातावरण- भावी एवं नव निर्माण कार्य (भाग II)


यह जांच-सूची सभी आगामी और नए निर्माणों के लिए अनिवार्य है। शैक्षणिक संस्थानों की योजना, डिजाइन, निर्माण या लेखा-परीक्षा करने वाले अभिगम्यता लेखा-परीक्षक/पेशेवर/वास्तुकार/अभियंता आदि के लिए जांच-सूची का उपयोग करना आसान है।





| बाह्य वातावरण | | | | |
|---|-----|------|------------|--|
| पैदल यात्री क्रॉसिंग | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या वाहन चालकों का मार्गदर्शन करने के लिए गति सीमा संकेत विद्यमान हैं? | | | |  |
| क्या स्कूल के मुख्य द्वार से 50 मीटर पहले और सड़क के दोनों ओर 'आगे स्कूल है' साइन बोर्ड है? | | | |  |

| फुटपाथ | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
|--|-----|------|------------|--|
| क्या फुटपाथ अवरोधमुक्त है? | | | |  |
| क्या फुटपाथ कम से कम 1800 मिमी चौड़ा है? | | | | |
| क्या जमीन बराबर, सुगम्य/निर्बाध और फिसलन रहित है? | | | | |
| क्या सभी मैनहोल पैदल पथ से बाहर स्थित हैं? | | | | |
| कर्ब रैंप (फुटपाथ के लिए रैंप) | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| सड़क और फुटपाथ के स्तर के बीच, सभी असमान स्तरों पर कर्ब रैंप उपलब्ध करवाए जाते हैं: | | | |  |
| क) पैदल यात्री क्रॉसिंग पर? | | | | |
| ख) सुलभ पार्किंग स्थल पर? | | | | |
| ग) भवन प्रवेश द्वार पर? | | | |  |
| सामान्य | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या स्कूल मार्ग में नुकीले और उभरे हुए पदार्थ / आकृतियाँ /पत्थर हैं, जो सफेद बेंत की सहायता से चलने वाले दृष्टिबाधित बालक द्वारा पहचाने/महसूस नहीं किए जा सकते हैं। | | | | |
| क्या स्कूल परिसर चारदीवारी के भीतर है? | | | | |


| पार्किंग | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
|---|-----|------|------------|---|
| क्या पार्किंग, परिसर के अंदर है या बाहर है? | | | | |
| क्या पार्किंग सुलभ/सुगम प्रवेश द्वार के 30 मीटर की परिधि में है? | | | |  |
| क्या साइकिल, दोपहिया वाहन, तिपहिया साइकिल और किसी अन्य वाहन के लिए पार्किंग में पर्याप्त स्थान है? | | | | |
| क्या गेट के बाहर पार्क किए गए वाहन, फुटपाथ/पैदल पथ क्षेत्रों को बाधित करते हैं? | | | | |
| क्या कोई ऊर्ध्वाधर, दृश्यमान साइनबोर्ड है जो सीडब्ल्यूडीएस/CWDS और दिव्यांगों द्वारा उपयोग के लिए सुलभ पार्किंग स्थान को प्रदर्शित करता है? | | | | |
| यदि हां, तो क्या पार्किंग क्षेत्र 3600 मिमी x 5000 मिमी है? | | | | |
| आंतरिक वातावरण | | | | |
| रैंप | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या सीढ़ियों के बगल में एक रैंप है? | | | | |
| क्या रैंप की अवस्थिति स्पष्ट रूप से पहचान योग्य है? | | | | |
| क्या रैंप ग्रेडिएंट 1:15 से अधिक ढलान वाला तो नहीं है? | | | | |
| क्या रैंप की न्यूनतम चौड़ाई 1800 मिमी (2 मीटर अधिमान्य) है? | | | | |
| क्या 760 मिमी-900 मिमी के बीच की ऊंचाई पर दोनों तरफ हैंडरेल हैं? | | | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|---|
| क्या रैंप की सतह फिसलन रहित/मैट फिनिश में है? | | | |  |
| क्या रैंप के दोनों तरफ के सिरे सुरक्षित हैं? | | | |  |
| कदम/सीढ़ियाँ | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या सीढ़ी स्थल आसानी से पहचाना जा सकता है? | | | |  |
| क्या सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई 1200 मिमी है? | | | | |
| क्या 760 मिमी-900 मिमी के बीच की ऊंचाई पर दोनों तरफ निरंतर हैंडरेल हैं? | | | | |
| क्या सीढ़ियों पर नोजिंग है? | | | | |
| क्या सीढ़ियों के किनारे एक अलग रंग या बनावट में हैं ताकि दृष्टिबाधित छात्र आसानी से पहचान सकें? | | | | |
| क्या आपातकालीन (आग से बचने के लिए) सीढ़ियों का स्थान आसानी से पहचाना जा सकता है? | | | | |
| क्या सीढ़ियों में रायजर्स में खुले अंतराल बने हैं? | | | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|---|
| क्या सीढ़ियों के रायजर्स 150 मिमी से अधिक ऊंचे नहीं हैं? | | | | |
| क्या सीढ़ियों के नीचे एक खुली जगह है जो संरक्षित नहीं है? | | | | |
| हैंडरेल | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या हैंडरेल, दो स्तरों - 760 मिमी और 900 मिमी ऊंचाई पर हैं? | | | | |
| क्या हैंडरेल पकड़ना आसान है (व्यास 38 मिमी अधिमानतः)? | | | |  |
| क्या हैंडरेल कंट्रास्ट (भिन्न/विषम/विपरीत) रंगों से पेंट किए गए हैं ताकि आसानी से पहचाने जा सकें? | | | | |
| सामान्य शौचालय | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या छात्राओं और छात्रों के शौचालय के लिए संकेतक (साइनेज) लगाए गए हैं? | | | | |
| क्या प्रत्येक शौचालय के लिए 1000 और 1400 मिमी की ऊंचाई पर ब्रेल संकेतक (साइनेज) लगाए गए हैं? | | | | |


| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|--|
| क्या छात्राओं के शौचालय के अंदर दो स्तरों- 400 मिमी और 800 मिमी ऊंचाई पर कुंडी लगी है? | | | |  |
| क्या दोनों शौचालयों में पर्याप्त रोशनी है? | | | | |
| क्या छात्राओं के शौचालय में भस्मक/इनसिनरेटर की सुविधा है? | | | |  |
| क्या छात्राओं के शौचालय में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध है? | | | | |
| सुगम्य शौचालय | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से सुगम्य/सुलभ शौचालय हैं (छात्राओं और छात्रों के लिए अलग-अलग सुगम्य/सुलभ शौचालय)? | | | |  |
| क्या ये शौचालय कक्षा/ ब्लॉक के 30 मीटर की परिधि में हैं? | | | | |
| क्या छात्राओं और छात्रों के सुलभ शौचालय के लिए संकेतक (साइनेज) लगाए गए हैं? | | | |  |
| क्या शौचालय का आकार न्यूनतम 2000 मिमी x 2200 मिमी है? | | | | |
| क्या डब्ल्यूसी और वॉशबेसिन के चारों ओर 1500 x 1500 मिमी की की परिधि तक व्हीलचेयर घुमाने का पर्याप्त स्थान है? | | | | |
| क्या वॉशबेसिन 700 मिमी-800 मिमी की ऊंचाई पर लगाया गया है? | | | | |
| क्या दर्पण की निचाई 1000 मिमी की ऊंचाई पर है? | | | | |
| क्या डब्ल्यूसी के पास ग्रैब बार/ सहायता हेतु हैंडल्स लगे हुए हैं? | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| क्या सभी ग्रैब बार 700 मिमी-800 मिमी की ऊंचाई पर हैं? | | | | |
| क्या शौचालय आपातकालीन अलार्म सिस्टम से लैस है? | | | | |
| क्या आपातकालीन परिस्थितियों में दरवाजे अंदर से बंद किए जा सकते हैं और बाहर से खोले जा सकते हैं? | | | | |
| क्या फ्लशिंग उपकरण को चलाना आसान है? | | | | |
| क्या फर्श फिसलन रहित, अच्छी तरह से सूखा और जलरोधक है? | | | | |
| क्या डब्ल्यूसी (पश्चिमी कमोड सीट) की ऊंचाई 300-400 मिमी (छात्र की ऊंचाई) तक है? | | | | |
| क्या नल की अधिकतम ऊंचाई 800 मिमी है? | | | | |
| क्या शौचालय का दरवाजा न्यूनतम 900 मिमी चौड़ा और बाहर की ओर खुलता है? | | | | |
| क्या रैंप की ढलान- 1:15 है? | | | | |
| क्या रैंप के मोड़ पर 1500 मिमी x 1500 मिमी की लैंडिंग दी गई है? | | | | |
| क्या रैंप के दोनों किनारों पर हैंडरेल हैं? | | | | |
| क्या शौचालय आपातकालीन अलार्म सिस्टम से लैस है? | | | | |
| क्या आपातकालीन स्थितियों में दरवाजों को अंदर से बंद और बाहर से अनलॉक किया जा सकता है? | | | | |
| क्या सैनिटरी पैड्स निपटान के लिए डस्टबिन या भस्मक/इनसिनरेटर उपलब्ध है? | | | | |

| लिफ्ट | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
|---|-----|------|------------|--|
| क्या स्कूल का भवन 2 मंजिल से अधिक ऊंचा है? | | | | |
| क्या ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के साथ रैंप प्रदान किया जाता है? | | | | |
| यदि रैंप उपलब्ध नहीं है, तो क्या लिफ्ट का प्रावधान है? | | | | |
| क्या लिफ्ट का न्यूनतम आकार 1.5 मीटर x 1.5 मीटर है? | | | | |
| क्या कॉल बटन 800 मिमी से ऊपर नहीं है? | | | | |
| क्या नियंत्रण पैनल 400-1200 मिमी के बीच है? | | | | |
| क्या कॉल और नियंत्रण पैनल के बटनों पर ब्रेल और उभरी हुई छाप है? | | | | |
| क्या लिफ्ट के अंदर हैंडरेल / ग्रैब बार हैं? | | | | |
| क्या लिफ्ट कार में रियर व्यू मिरर के तौर पर दरवाजे के सामने की दीवार पर दर्पण है? | | | | |
| क्या लिफ्ट संचालित होने पर कोई ऑडियो घोषणा- फ्लोर नंबर, दरवाजा खुलने/बंद होने का प्रावधान है? | | | |  लिफ्ट Lift |

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|---|
| क्या छात्रों की सुरक्षा के लिए लिफ्ट में कर्मचारी तैनात हैं? | | | | |
| क्या लिफ्ट संचालन का आपातकालीन बैकअप है? | | | | |
| क्या आपातकालीन स्थिति (उदाहरण के लिए आग लगने) के मामले में लिफ्ट तुरंत अगली मंजिल पर स्वतः रुक जाएगी? | | | | |
| दरवाजे | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या दरवाजों को ज्यादा प्रयास के बिना खोला जा सकता है? | | | | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> |
| क्या मैनुअल द्वार सहायक उपकरण / हार्डवेयर (हैंडल, ताले, पुल आदि) एक सुलभ्य ऊंचाई पर स्थापित है? | | | | |
| क्या डोरमैट फर्श की सतह के साथ लगा दिए गए हैं और डोरमैट के सभी किनारे फर्श से सुरक्षित ढंग से जुड़े हुए हैं? | | | | |
| क्या प्रवेश (देहरी) ऊंची और ढलानवाली (मंद ढलान के साथ समाप्त होने वाली) है? | | | | |
| गलियारा | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या गलियारे की सतह फिसलनरहित, दृढ़ और सुगम्य है? | | | | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> |
| क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति गलियारे के भीतर सभी उठी/उभरी हुई वस्तुओं को पहचान/महसूस कर सकता है? | | | | |
| क्या लटकते/हैरिंग अवरोधों को बढ़ाते/चढ़ाते समय ऊपरी निर्गम/ ओवरहेड क्लियरेंस प्रदान किया गया है? | | | | |

| साइनेज/संकेतक | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
|--|-----|------|------------|---|
| क्या कक्षा, पुस्तकालय और अन्य सभी सुविधाओं के लिए संकेतक (साइनेज) प्रदान किए गए हैं? | | | |  |
| क्या ये संकेत विपरीत/विषम रंगीय (कन्ट्रैस्ट कलर) हैं ताकि यह कम दृष्टि वाले छात्र द्वारा आसानी से पठनीय हो? | | | | |
| क्या कक्षा के संकेतक/ साइनेज ब्रेल लिपि में और आंखों की सीधार्ई के स्तर पर दीवार पर उपलब्ध हैं? | | | | |
| कक्षाएं | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या कक्षा में प्रवेश स्थान सब स्तर पर बराबर है अर्थात और कोई अंतर/भिन्नता तो नहीं है? | | | |  |
| क्या कम दृष्टि वाले छात्र के लिए कक्षा में प्रकाश का स्तर पर्याप्त है? | | | | |
| क्या श्रवणबाधित छात्रों द्वारा ओष्ठ-पठन के लिए शिक्षक के ऊपर एक श्वेत प्रकाश स्रोत (ट्यूब-लाइट / सीएफएल) है? | | | | |
| क्या कक्षा में फर्नीचर छात्र की ऊंचाई अनुसार उपयुक्त हैं? | | | | |
| क्या सीडब्ल्यूडीएस (CwDs) के लिए अनुकूलित फर्नीचर हैं? | | | | |
| क्या ग्रीन बोर्ड की ऊंचाई फर्श के स्तर से 500 मिमी से अधिक नहीं है? | | | | |
| क्या आपातकालीन सरल/सुगम निकासी के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए दो दरवाजे हैं? | | | | |
| क्या प्रत्येक कक्षा में एक दृश्य और श्रव्य आपातकालीन अलार्म सिस्टम स्थापित है? | | | | |

| | | | |  |
|--|-----|------|------------|---|
| पुस्तकालय/प्रयोगशालाएं | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या पुस्तकालय में पुस्तक अलमारियों के बीच घुमने/संचलन के लिए पर्याप्त स्थान है? | | | | |
| क्या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए टेबल और प्रयोगशाला उपकरण सुलभ हैं? | | | | |
| क्या बुक स्टैक पर बड़े अक्षरों और विपरीत/विषम/कन्ट्रैस्ट रंगों में लेबल चिह्नित हैं? | | | | |
| क्या लेबल की ऊंचाई जमीन स्तर से 1 मीटर से ऊपर नहीं है? | | | | |
| क्या सहायक डिवाइस उपयोगकर्ताओं के घुमने/संचलनके लिए स्टैकिंग के बीच 900 मिमी स्थान है? | | | | |
| क्या अनुरोध करने पर पुस्तकालय और काउंटरों पर कर्मचारी पुस्तकें देने के लिए उपलब्ध हैं? | | | | |
| पेयजल | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ | |
| क्या छात्रों के लिए आरओ/फिल्टर किया हुआ पेयजल उपलब्ध है? | | | | |
| क्या पानी सीधे आरओ से उपलब्ध है या पात्र में संग्रहीत किया गया है? | | | | |
| क्या जल निकासी की व्यवस्था और वाॅशबेसिन उपलब्ध है? | | | | |
| क्या पीने के पानी का संकेतक (साइनेज) दिया गया है ताकि स्थान की पहचान की जा सके? | | | | |

| आपातस्थिति | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ |
|---|-----|------|---|
| क्या आपातकालीन निकास, स्पष्ट रूप से दिशात्मक संकेतों के साथ चिह्नित हैं? | | | |
| क्या स्कूल परिसर में ऑडियो (हूटर प्रकार का) और दृश्य फ्लैशिंग बल्ब के साथ आपातकालीन अलार्म है? | | |  |
| क्या छात्रावास के सुलभ कक्षों, कॉमन रूम और डाइनिंग एरिया में ऑडियो (हूटर प्रकार का) और दृश्य फ्लैशिंग बल्ब दोनों हैं? | | | |
| क्या दिव्यांग छात्रों/छात्रावास वासियों को आपातकालीन निकासी के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है? | | | |
| | | |  |
| खेल का मैदान | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ |
| क्या खेल के मैदान की ओर जाने वाला पक्का मार्ग है? | | | |
| क्या खेल के मैदान के चारों ओर बैठने के लिए बेंच हैं? | | | |
| क्या दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ खेल उपकरण रखे जाते हैं? | | | |
| मिड-डे मील | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ |
| क्या मध्याह्न भोजन क्षेत्र, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य/अभिगम्य है? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| क्या व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को भोजन क्षेत्र के चारों ओर आने-जाने के लिए कम से कम 900 मिमी चौड़ा परिसंचरण पथ है? | | | |
| क्या व्हीलचेयर/कैलिपर का उपयोग करने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए एक मेज प्रदान की जाती है? | | | |
| क्या - 800 मिमी की ऊंचाई और नी स्पेस के लिए 750 मिमी चौड़ी और 480 मिमी गहरी मेज सुलभ है? | | | |
| क्या छात्रों को टेबल से चोटिल होने से बचाने के लिए टेबल कोनों को गोलाई में बनाया जाता है? | | | |
| क्या फिक्स स्टूल वाले मेज में व्हीलचेयर के लिए अभिगम्य स्थान हैं? | | | |
| क्या कम/अल्प दृष्टि वाले छात्रों की सुविधा के लिए फिक्स स्टूल किनारों वाले मेज को विपरीत/विषम/कन्ट्रैस्ट रंग में चिह्नित किया गया है? | | | |

सूचना और संचार (भाग III)

स्कूल की अभिगम्यता लेखा परीक्षा करने के लिए, एक अभिगम्यता जांच-सूची की आवश्यकता होती है। अभिगम्यता लेखा परीक्षा स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावकों, अभिगम्यता लेखा परीक्षकों और दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों द्वारा की जाती है।

| क्रमांक | सवाल / प्रश्न | हाँ | नहीं | टिप्पणियाँ या सिफारिश |
|-----------|---|-----|------|-----------------------|
| 1. (क) | वेबसाइट भवन/सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, वेब अभिगम्यता मानकों का अनुपालन करती है। | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| (ख) | तस्वीरों के साथ इमारत में सुलभ सुविधाओं का विवरण दिया गया है। | | | |
| 2. | <p>सभी प्रकाशन/ब्रोशर वैकल्पिक सुलभ प्रारूपों में भी उपलब्ध हैं जैसे कि:-</p> <ul style="list-style-type: none"> * ब्रेल * बड़ा मुद्रण * श्रव्य * चित्रात्मक (जहां भी संभव हो) * पढ़ने में आसान * सरल भाषा * हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध * सुलभ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो ईमेल या मोबाइल प्लेटफार्मों पर साझा किए जा सकते हैं। | | | |
| 3. | सेवा से संबंधित मुद्रित दस्तावेज जैसे फॉर्म, नियम और विनियमन आदि सुलभ प्रारूपों में हैं। | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 4. | स्कूल की वेबसाइटें WCAG (वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देशों) का पालन करती हैं। | | | |
| 5. | फॉर्म एक सुलभ सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जा सकता है। | | | |
| 6. | यदि आवश्यक हो तो लिखित फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है। | | | |
| 7. | स्टाफ को भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में प्रशिक्षित किया जाता है। यदि नहीं, तो साइन लैंग्वेज दुभाषिए कॉल पर उपलब्ध हैं। | | | |
| 8. | सहायक प्रौद्योगिकी जैसे लूप हियरिंग सिस्टम, ऑडियो ओरिएंटेशन उपकरण, व्याख्यात्मक वीडियो या कैप्शन या साइन लैंग्वेज के साथ ऑडियो टूर, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध हैं। | | | |
| 9. | यहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है और श्रवण बाधित और अल्प दृष्टि वाले छात्रों के लिए के लिए कोई ग्लेयर/चकाचौंध नहीं है। | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 10. | विभिन्न संस्कृतियों, सीखने की अक्षमताओं, औपचारिक रूप से नहीं शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त सभी प्रावधानों में पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। | | | |

अनुलग्नक II

अभिगम्य/सुगम वेबसाइट का निर्माण

डब्ल्यूसीएजी (WCAG), वेबसाइट अभिगम्यता मुकदमों (लॉ सूट) में मानकों का सर्वाधिक संदर्भ लिए जाने वाला सेट है और अभिगम्यता प्राप्ति का व्यापक रूप से सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। स्कूल की वेबसाइटों/ सोशल मीडिया / इंटरनेट पर ई सामग्री / डिजिटल अधिगम सामग्री में डब्ल्यूसीएजी (WCAG) का पालन करना चाहिए।

दिशानिर्देश1.2.4 - कैप्शन/ शीर्षक (लाइव)1.2.5 - ऑडियो विवरण (पूर्व रिकॉर्डिड)1.3.4 - अभिविन्यास1.3.5 - इनपुट उद्देश्य की पहचान करें1.4.3 - कंट्रास्ट (न्यूनतम)1.4.4 - पाठ का आकार बदलें1.4.5 - पाठ की छवियां1.4.10 - पुनः प्रवाह1.4.11 - गैर-पाठ कंट्रास्ट1.4.12 - पाठ में रिक्त स्थान1.4.13 - होवर या फोकस पर सामग्री

सारांश

लाइव वीडियो में कैप्शन/ शीर्षक जोड़ें।

पूर्व रिकॉर्डिड वीडियो के लिए ऑडियो विवरण प्रदान करें।

आपकी वेबसाइट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दृश्यों के अनुकूल हो।

इनपुट फ़ील्ड का उद्देश्य प्रोग्राम अनुसार निर्धारण योग्य होना चाहिए।

पाठ और पृष्ठभूमि के बीच कंट्रास्ट अनुपात कम से कम 4.5: 1 है।

सामग्री या फ़ंक्शन की क्षति बिना पाठ का आकार 200% तक बदला जा सकता हो।

पाठ की छवियों का उपयोग न करें।

दो डायमेंशन/आयामों में स्कॉल किए बिना सामग्री अर्थ और कार्य बनाए रखा गया हो।

उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस घटकों, ग्राफिक्स और पूरक रंगों के बीच अंतर कम से कम 3: 1 है।

जब उपयोगकर्ता पाठ स्पेसिंग तत्वों (elements)को बदलते हैं तो सामग्री और फ़ंक्शन अर्थ बनाए रखें।

जब होवर या फ़ोकस, सामग्री को प्रकट करने के लिए ट्रिगर करता है, तो यह हटाने योग्य, हॉवर योग्य और सतत रहे।

2.4.5 - बहु विधीय

2.4.6 - शीर्षक और लेबल

3.1.2 - विभिन्न भागों की भाषा

3.2.3 - सुसंगत नेविगेशन

3.2.4 - सुसंगत पहचान

3.3.3 - त्रुटि सुझाव

3.3.4- त्रुटि रोकथाम (विधिक, वित्तीय, डेटा)

अपनी वेबसाइट पर पृष्ठ खोजने की कम से कम दो विधियां उपलब्ध कराएं।

शीर्षक और लेबल विषय या उद्देश्य का वर्णन करते हों।

जब किसी पृष्ठ पर भाषा बदले तो उपयोगकर्ता को बताएं।

मेनू का लगातार उपयोग करें।

आइकन और बटन का हमेशा उपयोग करें।

जब उपयोगकर्ता त्रुटियाँ करते हैं तो सुधार का सुझाव दें।

संवेदनशील डेटा के लिए इनपुट त्रुटियों का जोखिम कम करें।

**डब्ल्यूसीएजी चेकलिस्ट स्तर एएए (उन्नत)
दिशानिर्देश**

1.2.6 - सांकेतिक भाषा (पूर्व रिकार्डिड)

1.2.7 विस्तारित ऑडियो विवरण (पूर्व रिकार्डिड)

1.2.8 - मीडिया विकल्प (पूर्व रिकार्डिड)

1.2.9 - केवल ऑडियो (लाइव)

1.3.6 - उद्देश्य की पहचान करें

1.4.6 - कंट्रास्ट (संवर्धित)

1.4.7 - कम या कोई बैकग्राउंड ऑडियो नहीं

1.4.8 - दृश्य प्रस्तुति

सारांश

पूर्व रिकार्डिड वीडियो के लिए साइन लैंग्वेज अनुवाद प्रदान करें।

पूर्व रिकार्डिड वीडियो के लिए विस्तारित ऑडियो विवरण प्रदान करें।

पूर्व रिकार्डिड वीडियो के लिए पाठ विकल्प प्रदान करें।

लाइव ऑडियो के लिए विकल्प प्रदान करें।

सभी घटकों का उद्देश्य प्रोग्राम अनुसार निर्धारण योग्य होना चाहिए।

पाठ और पृष्ठभूमि के बीच कंट्रास्ट अनुपात कम से कम 7: 1 है।

ऑडियो-ओनली सामग्री स्पष्ट हो और इसकी पृष्ठभूमि में शोर न हो या शोर न के बराबर हो।

उपयोगकर्ताओं को पाठ के ब्लॉक के लिए प्रस्तुति विकल्पों की एक रेंज प्रदान करता हो।

1.4.9 - पाठ की छवियां (बिना किसी अपवाद के)

पाठ की छवियों का उपयोग न करें।

2.1.3 - कुंजीपटल (बिना किसी अपवाद के)

सभी प्रकार्य बिना किसी अपवाद के कीबोर्ड से सुलभ है।

2.2.3 - कोई समय सीमा नहीं

आपकी वेबसाइट पर कोई समय सीमा नहीं है।

2.2.4 - रुकावटें

उपयोगकर्ता गैर-आपातकालीन रुकावटों को स्थगित या रोक सकते हैं।

2.2.5 - पुनः प्रमाणन

पुनः प्रमाणन करते समय उपयोगकर्ता डेटा सहेजें।

2.2.6 - टाइमआउट

डेटा हानि वाले टाइमआउट के बारे में उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दें।

2.3.2 - तीन फ्लैश

कोई भी सामग्री प्रति सेकंड तीन बार से अधिक नहीं चमकती हो।

2.3.3 - इंटरैक्शन से एनीमेशन

उपयोगकर्ता गति एनीमेशन को अक्षम कर सकते हैं।

2.4.8 - स्थान

उपयोगकर्ताओं जान सकें कि वे आपकी वेबसाइट पर कहां हैं।

2.4.9 - लिंक उद्देश्य (केवल लिंक)

प्रत्येक लिंक का उद्देश्य उसके पाठ से स्पष्ट है।

2.4.10 - सेक्शन शीर्षक

शीर्षकों के साथ सामग्री व्यवस्थित करें।

3.1.3 - असामान्य शब्द

असामान्य/ दुरुह शब्दों की व्याख्या करें।

3.1.4 - संक्षिप्तीकरण

संक्षिप्त शब्दों की व्याख्या करें।

3.1.5 - पढ़ने का स्तर

नौ साल के स्कूल वाले उपयोगकर्ता आपकी सामग्री पढ़ सकते हैं।

3.1.6 - उच्चारण

हर उस शब्द की व्याख्या करें जिसका उच्चारण करना कठिन है।

3.2.5 - अनुरोध पर परिवर्तन

जब तक उपयोगकर्ता न पूछें, तब तक अपनी वेबसाइट पर एलीमेंट्स न बदलें।

3.3.5 - सहायता

विस्तृत सहायता और निर्देश प्रदान करें।

3.3.6 - त्रुटि रोकथाम (सभी)

सभी इनपुट त्रुटियों के जोखिम को कम करें।

शब्दावली

गलियारे/पार्श्वपथ तक पहुंच/अभिगम्यता

स्थान/वस्तुओं के बीच एक सुगम/अभिगम्य पैदल पथ का स्थान, जैसे पार्किंग स्थान, बेंच और डेस्क जो स्थान/वस्तुओं के उपयोग के लिए निबार्ध पहुंच प्रदान करता है।

सुगम्यता/अभिगम्यता

एक साइट, भवन, सुविधा, या उसका भाग जहां इस मैनुअल का अनुसरण किया जाता है और वहाँ तक दिव्यांगों की पहुँच हो, वे प्रवेश कर सकें एवं उसका उपयोग कर सकें।

सुगम्य/ अभिगम्य मार्ग

एक भवन में सभी सुलभ स्थानों/वस्तुओं और स्थलों को जोड़ने वाला एक निरंतर अबाधित पथ जिसका गतिशीलता सहायक उपकरण का प्रयोग करने वाला दिव्यांग उपयोग कर सके व पार कर सके।

- आंतरिक सुलभ/सुगम मार्ग जिनमें गलियारे, रैंप, लिफ्ट और फर्श शामिल हो सकते हैं।
- बाहरी सुलभ/सुगम मार्ग जिनमें पार्किंग, सुलभ्य गलियारे, कर्ब रैंप, पैदल के लिए रास्ते और रैंप शामिल

हो सकते हैं।

सुलभ शौचालय

मोबिलिटी एड प्रयोगकर्ताओं, विशेष रूप से व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सुलभ्य शौचालय कक्ष/ क्यूबिकल और जहां वैस्टर्न वॉटर क्लोजेट सीट, वॉशबेसिन और ग्रैब बार उपलब्ध हों।

ढलान/झुकाव युक्त/Beveled

दो सतहों के बीच सुगम्य, झुकावयुक्त कोण; उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर या अन्य गतिशीलता सहायक उपकरण की आसान पहुंच के लिए दो असमान सतहों के बीच एक ढलान या झुकाव।

ब्रेल

ब्रेल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। प्रत्येक ब्रेल वर्ण या सेल छह डॉट पोज़ीशन्स से बना होता है, जो एक आयत/Rectangle में व्यवस्थित होता है जिसमें प्रत्येक में तीन बिंदुओं के दो स्तम्भ होते हैं। ब्रेल को हिंदी सहित कई भाषाओं में अनुकूलित/व्यवस्थित किया गया है। ब्रेल में दो ग्रेड होते हैं - ग्रेड 1 और ग्रेड 2।

परिसंचरण पथ

पैदल चलने वालों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक बाहरी या आंतरिक रास्ता जिसमें पैदल मार्ग, हॉलवे, आंगन, सीढ़ी और सीढ़ी लैंडिंग शामिल हैं।

क्लीयर डोर विड्थ

क्लीयर डोर विड्थ से आशय 1. दरवाजे की मोटाई; 2) दरवाजे के कब्जे की तरफ फ्रेम और दरवाजे के बीच की जगह; और 3) डोरफ्रेम पर डोरस्टॉप मोल्डिंग की मोटाई को कम करने के बाद उपलब्ध अबाधित मार्ग है। इसलिए **क्लीयर डोर विड्थ** हमेशा दरवाजे की पूरी चौड़ाई से कम होती है।

कलर कंट्रास्ट

प्रभावी रंगों के विकल्प तैयार करने के बुनियादी दिशानिर्देश, रंगों की ह्यू वैल्यू पर आधारित होते हैं। कलर कंट्रास्ट के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधियों में रंग संयोजन में 'सामंजस्य' (harmonizing) या 'विपरीत/विषम/अंतर करना' (contrasting) शामिल हैं।

निश्चित टर्निंग व्हील रेडियस

एक स्थान पर घूमने के दौरान व्हीलचेयर के बड़े पहियों और कास्टर पहियों का ट्रैक।

ग्रैब बार

किसी कार्य विशिष्ट में लगे व्यक्ति को स्थिरता देने या संभलने में सहायता देने के लिए प्रयुक्त बारा।

रेलिंग

एक हेंडरेल जिसका उपयोग परिसंचरण क्षेत्रों जैसे गलियारों, मार्गों, रैंप और सीढ़ियों में निरंतर संचलन में सहायता के लिए किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय अभिगम्यता प्रतीक

यह प्रतीक अवरोधमुक्त वातावरण का सूचक है एवं वृद्धजनों, प्राम के साथ अभिभावकों और सामान के साथ यात्रियों के लिए भी सहायक होता है।



कर्ब रैंप

कर्ब के माध्यम से या उस पर बनाया गया एक छोटा रैंप।

प्रचालन योग्य हिस्से

उपस्कर या साधित्र/साधन का एक हिस्सा जिसका उपयोग वस्तुओं को सम्मिलित करने या हटाने, या उपस्कर या साधित्र/साधन को सक्रिय-निष्क्रिय या समायोजित करने के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए प्रकाश स्विच, पुश बटन, हैंडल)।

रैंप

एक स्तर को दूसरे स्तर से जोड़ने वाला एक ढलानयुक्त/झुका हुआ पथ।

स्पर्शनीय/स्पृश्य

इसे स्पर्श द्वारा समझा/महसूस किया जा सकता है।

स्पर्शनीय/स्पृश्य (Tactile) मार्गदर्शक पेवर्स /ब्लॉक

इन फ्लैट-टॉप बार्स को दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इन्हें मार्गदर्शन के लिए परिसंचरण पथ के साथ बाहरी तौर पर उपयोग में लाया जाता है।

स्पर्शनीय/स्पृश्य (Tactile) चेतावनी पेवर्स/ब्लॉक

इनका उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है।

संदर्भ सूची

1. एक्सेसेबिलिटी रिसर्च एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेग्यूलेशन्स इन वैरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, अंजलि अग्रवाल, 2011
2. एक्सेसबल साइनेज गाइडलाइन्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस ट्रेनिंग, ऑस्ट्रेलिया, 2012
3. कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड साइन्स, आईआरसी: 67-2010
4. कलर्स स्टैंडर्ड्स फॉर जनरल पर्पजिस: एएस 2700:1996
5. डिजायन फॉर एक्सेस एंड मोबिलिटी एनहांसड एंड एडीशनल रिक्वायरमेंट - बिल्डिंग एंड फैसिलिटीस: एएस 1428.2:1992
6. डिजायन फॉर एक्सेस एंड मोबिलिटी जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सेस - न्यू बिल्डिंग वर्क्स: एएस 1428.1:2009
7. इमरजेंसी एस्केप लाइटिंग एंड एग्जिट साइन्स फॉर बिल्डिंग्स- सिस्टम डिजाइन, इंस्टालेशन एंड ऑपरेशन: एएस 2293.1: 2005
8. फायर डिटेक्शन, वार्निंग कंट्रोल एंड इंटरकॉम सिस्टम्स - सिस्टम डिजाइन, इंस्टालेशन एंड कमिशनिंग- साउंड सिस्टम और इंटरकॉम सिस्टम फॉर इमरजेंसी पर्पजिस: एएस 1670.4: 2004
9. ग्राफिकल सिंबल्स-पब्लिक इनफॉर्मेशन सिंबल्स: आईएसओ 7001: 2007
10. गाइड लाइन्स ऑन बीएफई-स्कूल्स, समर्थ्यम्, 2014
11. हॉरमनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीस एंड एल्डरली, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग, भारत सरकार
12. इनक्लूसिव मोबिलिटी, यूके
13. इंटीरियर लाइटिंग-सेफ मूवमेंट : एएस / एनजेडएस 1680.0:1998
14. आईआरसी 103: 2012, गाइडलाइन्स पैडस्ट्रियन फैसिलिटीज, इंडियन रोड कांग्रेस: 2012
15. ISOMA, <http://www.isemoa.eu/>
16. आईयूटी कोड- साइनेज, इंटरसेक्शन्स, रोड मार्किंग, क्रॉस सेक्शन और ट्रैफिक कामिंग
17. लिफ्ट, एस्केलेटर एंड मूविंग वाक्स- जनरल रिक्वायरमेंट्स: एएस 1735.1:2003
18. मेकिंग स्कूल एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीस, यूनिसेफ (UNICEF), मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपॉवरमेंट एंड समर्थ्यम्, 2016
19. नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016
20. ओआरएन 21, DFID, यूके
21. पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी टूलकिट, 2013, MoUD @ IUT
22. स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली पर्सन्स, 1998, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, भारत सरकार
23. स्ट्रीट डिजाइन गाइड लाइन्स, यूटीटीआईपीईसी/UTTIPPEC
24. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीस (UNCRPD)
25. वेफाईडिंग डिजाइन गाइडलाइन्स, सीआरसी, 2007
26. चित्र व ग्राफिक्स समर्थ्यम् द्वारा तैयार किए गए।

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2024

F. No. 9-4/2022-IS.18.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter, referred as the Act) mandates the Central Government, in consultation with the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, to formulate rules laying down standards of accessibility *inter-alia* for facilities and services provided to the public in urban and rural areas;

And whereas, Section 16 of the RPwD Act, 2016 mandates to make buildings, campus and various facilities at educational institutions accessible;

And whereas, Department of School Education & Literacy, Ministry of Education is the nodal Ministry w.r.t. issues concerning School Education has, accordingly, developed accessibility code for Educational Institutions for children with disabilities in consultation with stakeholders and Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities;

Now, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education hereby notifies the “Accessibility Code for Educational Institutions” as detailed at Annexure-I in line with the National Educational Policy 2020 and Goal-4 of SDG 2030 of providing inclusive and equitable education to all by 2030 in a phased manner in line with the NEP 2020 implementation framework.

A. SRIJA, Economic Advisor

ACCESSIBILITY CODE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ACCESSIBILITY INDIA CAMPAIGN
CBSE BOARD, INDIA



(Accessibility Code for Educational Institutions)

Report of the Expert Committee constituted by Ministry of Education, Government of India, to ensure that all the educational buildings such as pre-primary up-to primary schools, primary up-to upper primary schools, upper primary up-to secondary schools, secondary up-to senior secondary schools, KGBVs, Residential School, hostels, SCERTs, DIETs, BIETs, SIETs etc. have barrier free access

The Department of School Education & Literacy has been entrusted with the task of preparing customized guidelines and time bound action plan to ensure that all the educational buildings such as pre-primary up-to primary schools, primary up-to upper primary schools, upper primary up-to secondary schools, secondary up-to senior secondary schools, KGBVs, Residential School, hostels, SCERTs, DIETs, BIETs, SIETs etc. have barrier free access.

Accordingly, to prepare customized guidelines for Barrier Free access of Educational Institutes, an Expert Committee under the Chairmanship of Chairman CBSE was constituted and notified vide the Ministry's letter No. F.No.16/2025RMSA-II/IS-18(Part-II) dated 7th January 2021 with the following as members of the Committee:

1. Chairman, CBSE
2. Commissioner, KVS
3. Commissioner, NVS
4. Chairperson NIOS
5. State Project Directors of Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, Assam, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Himachal Pradesh
6. Special Invitees to be nominated by the Chairman.

The following experts were subsequently nominated as Special Invitees to the Committee by the Chairman:

1. Dr. Anjlee Agarwal, Co-Founder, Samarthyam
2. Dr. Indumathi Rao, Founder & Regional Advisor, CBR Network
3. Ms. Sudha Acharya, Principal, ITL Public School, Dwarka
4. Ms. Harpreet Kaur, Principal, Sri Guru Harkrishan, Model School, Chandigarh
5. Dr. Aarti Bakshi, Counsellor, Pathways School Noida
6. Dr Vasanthi Thiagrajan, Sr Principal, Sikshya School, Krishnagiri, Tamil Nadu
7. Dr. Sandeep Kumar Jain, JS(Trng.), Central Board of Secondary Education
8. Dr Pragya Verma, DS, Central Board of Secondary Education.

The Committee, after due deliberation, submitted its report to the Ministry of Education, Government of India, on 26th July 2021.

Chairman, CBSE

Commissioner, KVS

Commissioner, NVS

Chairperson, NIOS

State Project Directors of Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat,
Assam, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand and
Himachal Pradesh

Ms. Ritu Singh Sharma, IRS-IT

Special Invitees:

1. Dr. Joseph Emmanuel, Director (Academics), Central Board of Secondary Education
2. Sh. Sanjib Das, Joint Secretary (A&L), Central Board of Secondary Education
3. Dr. Sandeep Kumar Jain, JS(Trng.), Central Board of Secondary Education
4. Dr Pragya Verma, DS, Central Board of Secondary Education
5. Dr. Anjlee Agarwal, Co-Founder, Samarthyam
6. Dr. Indumathi Rao, Founder & Regional Advisor, CBR Network
7. Ms. Sudha Acharya, Principal, ITL Public School, Dwarka
8. Ms. Harpreet Kaur, Principal, Sri Guru Harkrishan, Model School, Chandigarh
9. Dr. Aarti Bakshi, Counsellor, Pathways School Noida
10. Dr Vasanthi Thiagrajan, Sr Principal, Sikshya School, Krishnagiri, Tamil Nadu

CHAPTER 1: CURRENT SITUATION



Every child has the right to education and opportunities for participation in age-appropriate activities. Education prepares children to lead a productive life and fulfill their role as useful members of the society. It is therefore imperative that provisions for all children to attend schools are created and efforts are made to identify and remove barriers. It is equally important to safeguard the rights of children with disabilities if the goal of 'Education for All' is to be achieved. An accessible, barrier-free environment benefits all, not just children with disabilities.

Right to Education Act, 2009 provides every child with equal rights and opportunities to access educational services irrespective of child's class, caste, race, gender, geographical origin, and abilities. The Right of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 aims to provide equal opportunities to children with disabilities and emphasizes access to public buildings (both government & private). The National Education Policy (NEP) 2020 reiterates the need for barrier-free access to children with special needs for providing equitable educational opportunities.

1.1. NEED FOR THE CODE

This Code examines the physical barriers and information & communication barriers of access to school facilities for children with disabilities. It also provides in detail cross disabilities and child friendly standards with cost effective solutions for existing buildings, as well as all-encompassing elements to make new buildings compliant with national accessibility standards. Experience from research, access audits of schools both in rural and urban settings, trainings and user group inputs is the foundation of the Code. Essential and non-negotiable universal design elements are provided with easy-to-understand line drawings, illustrations and photos of best practices for all those who advocate for and implement an accessible environment and helps facilitate finding the right answers or solutions for even the most complex issues.

According to UNCPRD, "Reasonable Accommodation" means necessary and appropriate modification and adjustments without imposing a disproportionate or undue burden, where needed, to ensure that Persons with Disabilities enjoy and exercise on an equal basis fundamental human rights and freedom. India, being a signatory to UNCPRD, is committed to ensure access to Persons with Disabilities on an equal basis with others, with regard to physical environment, transportation, information & communication technologies and systems, and other facilities and services.

Most people understand accessibility only in terms of ramps, lifts, elevators and toilets for Children with Disabilities. However, accessibility is a much broader term, which encompasses the attitude of acceptance and a commitment to providing a welcoming environment, both in terms of suitable infrastructure and a conducive environment for learning. It puts the onus on the school management and administration to lay down policies, build structures, procure material and equipment as well as to maintain flexibility in the approach to modify and adapt the existing systems to cater to children with a wide range of disabilities and unique needs. Accessibility need not mean only physical access, but access to information in various accessible formats, school websites, brochures, bulletins, teaching-learning material both in offline and online formats, signage and directions to navigate the school campus and various facilities.

1.2. ABOUT THE CODE

Accessible environment refers to promotion and implementation of universal access standards and codes in the environment built for all children and adults in and around schools. This is particularly relevant in the context of Children with Special Needs (CwSN); referred as Children with Disabilities (CwDs) in this Code. CwDs are those having locomotor impairments, visual impairments, speech & hearing impairments, intellectual & learning disabilities; as well as those with developmental disabilities viz. cerebral palsy, autism, mental retardation and multiple disabilities. Accessible environment also benefits teaching and non-teaching staff of schools, parents and visitors. The code focus on identifying obstacles and barriers in the physical infrastructure (indoor & outdoor facilities) and in the communication & learning ecosystem of educational institutions and offers cost effective solutions for the same. The code is discussed below as follows:

- Highlights the need for inclusive environment in schools, convergence of communication & universal design in learning and defining stakeholders;
- Provides in-depth information on the national physical infrastructure accessibility standards for schools and educational institutions. The physical accessibility standards in the Code are referred from the National Building Code 2016, Harmonized Guidelines and Space Standards for Persons with Disabilities, 2016 and Indian Roads Congress, Guidelines for Pedestrian Facilities, 'IRC 103: 2012'. Universal Design principles are applied to provide solutions for children with cross disabilities. Experience from research, access audits and user group inputs are the foundation of this Code. The images and graphic illustrations are provided by Samarthyam, a Disabled Persons Organization, from access audits of schools in 16 states under the Inclusive Education Project and Accessible India Campaign, as well as from the best practices from India.

CHAPTER 2: DEFINING STAKEHOLDERS



Inclusive school education demands mutually sustaining relationships between schools and their surrounding communities. Under the RTE Act, 2009, specific provisions have been made for democratisation of schools, involving parents and local communities in school education. In the form of School Management Committees (SMC), they have been entrusted with certain statutory powers to play their due roles in shaping and running the schools. SMCs are responsible for their own school— its efficiency and quality of teaching and learning.

2.1. PARENTS AND CAREGIVERS

Often it is the caregivers who bear the major burden by assisting for daily needs of Persons with Disabilities, apart from providing financial and social supports to their dependent persons with disabilities. In the process of caregiving, they may have to forego their opportunities to attend work of their choice, earn money, progress in their career, live a satisfactory social life, and to even spend time leisurely. Accessible educational institutions take off the extra burden to care for the child/adult when they are out of home.

2.2. SCHOOL ADMINISTRATION

The journey of inclusion indicates a process rather than an event; the process reflecting occurrence of significant changes brought about by new ways of thinking, new ways of operating in the classroom and adapting to the constant change in thinking, attitudes, and social conditions. Educational administrators should take the responsibility for setting and monitoring the overall standard of the service and ensure appropriate management structures for the same.

2.3. SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

School Management Committee (SMC) members are now a vital agency, who have a conclusive role in monitoring the working of an inclusive school; preparing and recommending school development plans, monitoring the utilisation of grants, and making an atmosphere where the home and the school share the responsibility of educating the child. The members of SMCs are required to be oriented, trained and supported for their effective participation in school related activities and in performing their expected roles to actualize the goals of the RTE Act, 2009. It is imperative to equip them with certain skills like identifying the needs of inclusive schools, analyzing them, developing plans of action and interventions as per the standard and norms set in the RTE Act.

<http://scertdelhi.nic.in/>

| Role | What Can I Do | How Can I Do |
|--|---|---|
| Training - Understand roles and responsibilities and the tasks before them. | Creating confidence - They are capable of bringing change in their schools and monitor construction. | Understand unique role of teachers and building alliance with the teachers to change schools. |
| Setting-up a mechanism and process of access audit of the various elements in school | Form a group of members for access audits and use self-assessment checklist Section 8.4.1. Payment terms should carry mandatory compliance clause. | If required, get training from local NGOs on basic access needs of CwDs as given in section 3.2. |
| Provision of accessible transportation- For children with severe and multiple Disabilities | Adaptations in educational institutions and public vehicles to ensure accessibility of children using mobility aids like wheelchair users/ crutch users, etc. | In consultation with local civil society organizations of persons with disabilities and disability experts, adaptations in locally available public vehicles can be worked out. |

CHAPTER 3: BARRIERS AND IDENTIFICATION OF BARRIERS



A barrier is defined as “anything that prevents a person with a disability from fully participating in all aspects of society because of his or her disability”. In other words, barriers occur when places and activities that all people should have access to, are designed in ways that limit such access. Barriers limit activities that people with disabilities can do, the places they can go, or the attitudes of others toward them. For example, heavy doors are barriers for people with limited upper body movement. These types of doors prevent people from entering and using building elements.

3.1. TYPES OF BARRIERS

There are various types of barriers prevalent in the schools that hinder CwDs the access to education and inclusion. Some common barriers are as follows:

Social stigma and attitude linked with disability

- Stereotypes linked to disability lead to negative attitude towards Children with Disability and their education. Parents, teachers and School Management often ignore the rights and needs of children with disability, which results in their discrimination and exclusion.

Barriers to access information and educational material

- In many schools, educational material and teaching methods remains inaccessible for children with sensory impairment (visual, speech and hearing), learning and other developmental disabilities. Accessible teaching & learning material and methodologies should be provided to CwDs in inclusive setups.

Barriers to access physical infrastructure


- Inaccessible and faulty designs create physical /architectural barriers for CwDs and hamper their accessibility to schools

Barriers faced by girls with disabilities

- Access to education for girls with disabilities is limited, owing to prejudice & discriminatory attitudes that encourage girls to stay in domestic roles, and therefore deem their education unnecessary.
- Lack of appropriate sanitation facilities in schools results in menstruation being a regular interruption to girls' education.
- Safety concerns and fear of inadequate protection from sexual violence.

- In some regions, not all girls are registered at birth, making school enrollment impossible.

For girls with disabilities, these barriers are exponentially worse. Families' expectations for them are even lower and investing in their education is often seen as a waste. The shame surrounding disability sometimes results in girls being hidden at home. If financial resources are limited, disabled boys' education is largely prioritized, since males are more often expected to work and provide income in the future, regardless of disability. If a child's mobility or vision is impaired, transportation to school poses another challenge. There are generally more investments in appliances for boys than girls like crutches or wheelchairs.



Same gender accompaniment to toilet: Another concern is the caregiver accompanying a girl to the bathroom has to be of the same gender. Sometimes, the toilet doors are missing or broken, or have missing or broken door latches, or be missing a roof, having inadequate or lack of illumination, or distance of toilet blocks from the classroom block is too much. All these factors may lead to concerns regarding access, safety and evacuation. Lack of running piped water, facility for proper disposal of menstrual pads/cloth, lack of incinerators and inaccessible toilet designs could pose a great challenge to girls and women with disabilities. In most cultures, taboos and superstitions associated with menstruation severely impacts the participation of women in social, religious, economic and educational activities often times leading to girl children dropping out of school. These problems

multiply exponentially in case of girls/women with physical disabilities, visual and cognitive impairment.

3.2. DISABILITY SPECIFIC BARRIERS AND ACCESS NEEDS¹

For children with loco-motor disabilities and Cerebral Palsy

- Ensure wheelchair accessibility to classrooms, toilets, office rooms, playground, etc.
- The prescribed gradient of the ramp -1:15 should be strictly adhered to and all ramps should be fitted with handrails.
- Aids and appliances like calipers, wheelchairs, braces, special chairs, crutches, wedges, pencil grips, communication boards, etc. should be made available.
- Ensure adequate space allocation to meet individual needs of children using assistive devices
- Ensure proper positioning and safe/careful handling of children with cerebral palsy, with the help of the resource teacher/parent
- All classes and teaching facilities for these children should be provided on the ground floor.
- Arrange for a suitable writer for children with writing difficulties.
- Ensure enough response time to children with cerebral palsy. This is important as they might have communication and speech problems.

For children with Hearing Impairments

Since language and communication is the major barrier for this group of children, the following needs to be emphasized:

- Provision of suitable hearing aids and their maintenance should be ensured.
- The resource teacher should provide auditory training to make optimum use of the residual hearing of the child.
- Seating of the child should be such that s/he gets a clear view of the teacher's face (for lip reading) as well as the black board.

¹ These are just guidelines for the States to help them develop some mechanism to provide barrier free access to children with special needs. However, these may be adapted/ modified according to the individual needs of the child.

- Ensure increased use of pictorial teaching learning materials.
- Level of difficulty of language needs to be adapted as per the comprehension level of the child.
- Ensure use of Indian Sign Language with the help of the resource teacher, if required.
- Children with language acquisition problems should be exempted from the 3-language formula. Sign Language can be used as an option.
- Sign language can be given as an option under co-curricular activity to enhance peer support.
- Assessment procedures may include objective type questions, instead of essay type questions for children with difficulties in language acquisition.
- Extra response time needs to be provided, wherever necessary.
- Children with language difficulties should be exposed to language acquisition and reading software.

For children with Visual Impairments

- Ensure availability of accessible teaching learning material (Braille, large print, audio, e-text, etc.).
- Making science labs accessible by Braille labeling, tactile charts/ diagrams.
- Ensure increased use of verbal instructions/ directions while teaching.
- Ensure availability and use of embossed and tactile TLM (maps, globes, charts, models, diagrams, etc).
- Availability, training and use of aids and appliances (Braille, Taylor frame, white cane, abacus, low vision aids, magnifiers, etc.) should be ensured.
- Availability and training in screen-reading and scanning software should be done.
- Training in daily living skills, orientation & mobility (like-human guide technique) must be provided to children with seeing difficulties, as per the needs.
- Ensure effective orientation of children with visual impairments in school environment with active involvement of peers.
- Proper training to be imparted to children with low vision in making optimum use of residual vision with the help of resource teacher.

- The school environment including the pathways/walkways should be illuminated, safe and free of all obstructions.
- Warning strips/ textures to be provided before the beginning of steps/ kerbs etc. so that children with visual impairment do not have an accidental fall.
- Seating of a child with low vision should be such that s/he gets a clear view of teacher's face as well as the black board.

For children with Autism Spectrum Disorder (ASD)

- Clear signage makes it easier for them to get about quickly and efficiently. When anxious or stressed, they find it easier to process pictorial signage rather than written ones.
- Because of the varied ways that individuals process sensory information, some individuals with autism are more comfortable with floor, i.e., Indian style toilets, while others with commodes. Hence, both options need to be provided.
- Because of visual processing issues, there should be handrails on the inner (wall) side where staircases are flanked by a wall on one side and a drop on the other.
- Some individuals with ASD may be inveterate climbers and some others tend to wander off and sometimes get lost, therefore, there should be grills or other preventive arrangements on windows and on boundary walls
- Functions of areas should be given visual clarity to provide predictability and reduce anxiety which is necessary for individuals with ASD.
- Clear indications of areas of study, work, eating, recreation etc. may be provided. In schools where the same area is used for different activities at different times, visual indicators can be used.

For children with Intellectual Impairments

Since this section mainly focuses on adaptation in teaching learning processes, the following need to be emphasized:


- Ensure that visual, tactile and pictorial learning aids are available and accessible.
- Level of difficulty of both language and content need to adapt as per the comprehension level of the child.
- Use of concrete objects as TLM, needs to be emphasized.
- Enough time for individualized teaching learning opportunities.

- Based on the child's level of understanding, the content and evaluation should be adapted. (For example-numbers of concepts taught could be reduced if required; questions could mainly be multiple choices/ fill in the blanks, etc).

For children with Multiple Disabilities and High Support Needs

- Availability, training and use of appropriate aids and appliances should be ensured.
- Access to communication and information in the required language through interpreters, electronic devices, etc. should be ensured.
- Information to be provided in appropriate format (Braille, sign language, e-text, large print, tactile, audio-visual, etc).
- Teaching needs to be more application oriented, experiential and practical for this group of children.
- Training in mobility and daily living skills should be provided with support of resource teacher/ parents/ peers.
- Effective use of peer support to enhance communication and mobility skills.
- Use of appropriate technology, technological aids and software, like PacMate for deaf-blind children, should be encouraged.

CHAPTER 4: COMMON BARRIERS IN EXISTING SCHOOLS & EDUCATIONAL INSTITUTIONS



4.1. INTRODUCTION

This section focuses on the physical accessibility barriers in existing schools and suggests probable solutions. The existing buildings pose a unique challenge that requires us to work within the existing structures. Some of the areas for school accessibility and school improvement are highlighted in this section. Efforts should be made to fulfill the standard compliance norms of barrier-free access and reasonable accommodation for CwDs to enable them to access school-services & facilities.

4.2. ROAD SAFETY

- Schools on the main roads/ busy arterial roads usually face high traffic and vehicular movement.
- This results in accidental hazards for both non-disabled children as well as CwDs.
- Noisy roads pose discomfort to children with hearing impairments.
- Refer **Section 5.2.1** for accessibility standards.

4.3. APPROACH

- Approach is usually uneven and unmaintained.
- In most towns and villages there are cow catchers/cattle traps provided at main gate and CwDs using mobility aids cannot move/access the infrastructure independently.
- Children with visual impairments get obstructed and disoriented due to unmaintained approach.
- Collapsible gate channel projections are very commonly found in school buildings. It is a trip hazard for everyone especially for children who have impaired mobility.
- Refer **Section 5.2.1** for accessibility standards.

4.4. RAMP

- Ramps are usually not provided for all facilities. However, even if they are provided, they are blocked, unmaintained or locked due to sheer ignorance/negligence.
- At times, the ramps are found to be permanently blocked by a newly constructed iron grill or have a handrail in the centre.

Ramp gradient and flooring/surface:

- For children using mobility aids such as wheelchair, crutches, walkers, etc. steep ramps are provided without any standards.
- Slippery tiles or high grooves for friction in flooring are not safe to use.
- Handrail is provided on one side only or in center thereby reducing the effective walking width.
- Ramps provided are through the sand / muddy area, which is extremely difficult to access by wheelchair and crutch users.

Unmaintained and steep ramps:

- Ramps provided in schools remain unused by Children with Disabilities and are dangerous for other children who might fall over and get hurt.

Regular maintenance:

- Ramps are often broken, chipped off with uneven surfaces; unsecured handrails and uneven edges, which usually result in accidental hazards.


4.5. STEPS & STAIRS

- Steps and Stairs do not have handrails.
- Usually, a parapet wall is provided on the open side only.

4.6. VISUAL CONTRAST

- Children with low vision find it difficult to locate elements, which have similar colour to the surroundings.
- For example, usually similar colour paint is used for the wall doors and door frame. Especially in toilets, white wall and floor tiles are used with white toilet accessories and fittings.

4.7. GENERAL TOILETS




- **Signage**
 - In absence of signage, it sometimes becomes difficult for Children with Disabilities to locate the toilets and moreover to differentiate between male and female toilets.
- **Toilet Infrastructure**
 - In many schools, proper urinals and toilet cubicles are not provided and children are made to urinate and defecate in open and unhealthy conditions.
 - In adverse weather conditions, situations are grim as it is not possible to use toilets which do not have overhead shed and illumination.
 - For Children with Disabilities, it is impossible to use toilets in schools, which do not have a roof and structure, are not maintained with water.

- **Boy's Urinals:**
 - For boys with short stature or with locomotor and visual impairments, high urinal rims are out of reach.
 - Urinals are always marked by a step.
 - Absence of grab bars makes it difficult to use by boys wearing calipers/ using crutches.
- **Girls Urinals:**
 - Majority of the girls either do not go to schools or dropout due to non-availability of toilets. Open defecation results in teasing, harassment and other attitudinal problems.
 - As the toilets are provided at the rear side / or at long distance from the school buildings, the approach is usually not maintained and makes it difficult to use the toilets.
 - For girls, open urinals are provided without partition/urinal shield.
- **Approach:**
 - The way to toilets is usually not maintained, full of filth and garbage, do not have illumination, full of potholes and are unusable during monsoon.
- **Toilet Flooring:**
 - Slippery surface of the washrooms is very dangerous for all children; especially for Children with Disabilities, as it is a slip hazard.
 - Girls' toilets are not provided in many schools hence they are bound to use boys' toilets or defecate in open, resulting in reluctance to go to schools.
 - Toilets are not provided with latches and doors. Sometimes girls go in pairs to use toilets for safety and privacy reasons.

4.8. ACCESSIBLE TOILETS

- Accessible Toilets are usually not provided in the schools. Even if they are provided in some schools, these are not as per standards and are not wheelchair friendly.
- At times, just a western commode seat is provided in a small cubicle of size 900 x 900mm (3ft x 3ft); and instead of grab bars, handles / towel rods are placed which are risky to use by Children with Disabilities.
- For children using wheelchair or other mobility aids, general toilets are not friendly resulting in Children with Disabilities, especially girls, dropping out of schools.

4.9. CLASSROOMS



- **Signage:**

- Absence of signage in the school (within the premises and outside the school) leads to disorientation among the students, newcomers and visitors. For students who have intellectual disability, visual and/or hearing impairments, signage is essential.

- **Blackboard:**

- If the blackboard is mounted too high, it becomes a hassle for the children with short stature or for those who use wheelchairs.
- It is also impossible for teachers with short stature to reach high blackboards.

4.10. FURNITURE

- Classrooms having fixed furniture -seats and tables, are inconvenient for students wearing caliper, crutch users or who are tall.
- Desks are overcrowded due to more than 4-5 children seated in one bench.
- Many children are made to sit on one bench in schools due to space crunch, which is extremely uncomfortable while writing and otherwise.
- High seating desk may work well for secondary school students; however, for primary schools, desks appropriate to their height and built should be provided.

4.11. FLOORING

- Slippery and glossy finished floor is dangerous for the children especially with visual or locomotor impairments.

4.12. DRINKING WATER UNIT

- Taps are provided too high and cannot be accessed by small children and wheelchair users.
- For children using other mobility aids such as crutches, calipers, walkers, etc. it is even more difficult and at times impossible.
- Many a times, only taps are provided without any sink/ basin making it inconvenient for children with disabilities to drink water.
- Drinking water unit marked by high platform is inaccessible for small children and children using wheelchair.
- Drainage for spilled water is not provided, resulting in water clogging and slippery flooring.

4.13. ILLUMINATION

- Low illumination level, not safe for girls (with/without disabilities) and for those with low vision.
- Reading or writing in insufficient light causes stress on the eyes and reduces vision power.
- In classes and general circulation areas of school including toilets, low illumination levels can cause discomfort and is hazardous for children with low vision, girls and female staff.

4.14. PLAYGROUND

- Playgrounds are usually uneven and unmaintained, which are not friendly for use by children with disabilities.
- Generally, access to the sitting areas/ benches by means of paved pathway is not provided in the playgrounds.
- Ramps are not provided in playgrounds assuming children with disabilities will not play with other children.

4.15. EMERGENCY EVACUATION

- In many schools, provisions for emergency evacuation are not yet considered. This can result in severe mishaps and accidental hazards at the time of fire, disasters or emergency situations.
- Classrooms are over packed with children (as high as 120 kids in one classroom). It has been experienced that if one child wants to use the washroom s/he will take good amount of time to get out of his/her bench and disturb others at the same time.

CHAPTER 5: ACCESSIBILITY STANDARDS



For all upcoming, new and existing buildings, these accessibility standards are mandatory. The checklist to be used for self-assessment is given in Annexure I. For some existing school buildings/campus, if all standards cannot be provided, then the non-negotiable standards detailed here shall be provided.

5.1. NON-NEGOTIABLE STANDARDS FOR EXISTING BUILDINGS

Many a times, existing buildings are not accessible for Children with Disabilities. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Accessible India Campaign mandate retrofitting existing school buildings with accessibility elements. These elements are listed in this section and are non-negotiable. The checklist to be used for self-assessment is given in 8.4.1. In addition to these, the SMCs and funding agencies must ensure to achieve accessibility in all areas as given in section 5.2.

1. Safe road crossing elements (**refer section 5.2.1**)
2. Ramp (**refer section 5.2.4**)
3. Stairs and steps (**refer section 5.2.5**)
4. Handrails (**refer section 5.2.6**)
5. Classrooms (**refer section 5.2.17**)
6. General toilets (**refer section 5.2.8**) with Boy's and Gent's staff toilet having one accessible urinal (**refer section 5.2.9**)
7. Accessible toilet (one accessible toilet; if there is space available then separate toilet one for boys and one for girls is preferred) (**refer section 5.2.10**)
8. Library (**refer section 5.2.17**)
9. Laboratory (**refer section 5.2.17**)
10. Midday meal/ canteen (**refer section 5.2.18**)

5.2. ACCESSIBILITY STANDARDS FOR ALL UPCOMING AND NEW CONSTRUCTION

APPROACH TO SCHOOL

- Road safety measures such as road signs, traffic calming, signal crossings, STOP lines and zebra crossing should be provided.
- Traffic signals should have audio beeper and audio announcement systems.
- Approach to the school should be well maintained and leveled surface should be provided.
- Paved flooring provides comfortable access to all students and teachers and benefit children and adults with disabilities.
- The surfaces should be firm and even, with a finish which is slip resistant in all weather conditions.
- Any kerbs in the route should have appropriate drop kerbs to allow access to a wheelchair.
- A strip on the cattle trap which is 1000mm wide can be used to allow children to walk on it **(photo 5.1)**.
- Checkered tiles/ pavers can be used for footpath flooring in rural/towns.
- The path from the gate to the school buildings, playground and toilet must be clear, firm, leveled and regularly maintained.
- Main entrances and doorways in the school buildings should be 1500-1800mm wide.
- Classrooms, toilets, labs etc should have clear door width of 900mm minimum.
- Sharp turns in the walkways should be avoided.
- The walkway must be clear of any hung and protruding obstructions such as windows, lights, low branches, flowerpots and signposts etc.
- A handrail should be provided at any dangerous point in the walkway.
- Guard rails are a must in situations where there is a sudden change in the level including stairs and verandah.
- The ends of the handrails should be rounded off/ grouted in the ground (bent downwards) to avoid injury.
- The height and width of steps should be equal (riser and tread).
- Bright & contrast colour tactile pavers (preferably yellow) should be used at every change in slope, at the beginning and ending of a staircase for easy recognition and at turnings.
- All floor surfaces should be non-slip/ anti-skid/ matt finish and any loose gravel or cobblestones should be avoided.
- Threshold/ channel should either be embedded in the ground or beveled as per the illustration.



Photo 5.1 Cow catchers covered with bridge plate



Photo 5.2 Tabletop with tactile pavers



Photo 5.3 Tabletop with cobble stone on slope and cement concrete surface on top



Photo 5.4 Examples of safety signs around school zone

SIGNAGE - WAY FINDING VISUAL AND AUDITORY

- **External:** should be mounted above 2200mm from the finished floor level for proper head clearance
- **Internal:** should be placed between 1400mm to 1600mm from the finished floor level on the wall
- **International Symbol of Accessibility:** to be displayed for all the accessible services and facilities provided
- **Sign board:** should also contrast with the wall on which it is mounted
 - Surface of the sign should not be reflective
 - Some signs such as those adjacent to or on a toilet door may be embossed so that they can be read by touch

ROOM SIGNAGE

- Numbers/nameplates etc. to be in Braille & raised alphabets by 1-1.5mm; for adults Braille signage should be placed on wall next to door latch side between 1400mm-1600mm height and for children at 1000mm height from floor level (**Figure 5.5 & Photo 5.6**)
- Signage that has big fonts, colour contrast and are well illuminated benefit everyone, particularly those with low vision.
- Braille plates giving information of facilities etc. shall be provided on the handrails of stairs.
- Way finding signage in vernacular and Braille should be provided at strategic locations.
- Nameplates and numbers of the rooms to be in Braille & raised alphabets, bold & color contrasted with their background (**Photo 5.7**).
- Contrast-colored symbols/ pictograms to denote or mark different places like living room, storeroom, kitchen, toilet, common rooms, therapy room, etc. should be used.
- Clear indications of eating, sleeping, recreational, work areas, etc. will enable individuals to function, work and live better
- Real objects as pictograms can be used for signage, for example a tap with a tumbler for the drinking water area or a book and pen for a study area




Figure 5.5 Room signage provided towards the latch side of the door



Photo 5.6 Room signage provided towards the latch side of the door




Figure 5.7 Signage with pictogram for accessible elements

- For a multistoried building, key plans of all the floors are to be placed near the main entrance/reception area and also on all the floors in the lift and staircase.
- An illustration with different colors to be given in the key plan (**Photo 5.8**) to help interpret the signage on each level. For example: red color for first floor in the key plan and red color signage at the staircase and/or lift entrance helps in identification of the floor

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| Ground | G | Ground |
| 1 st Floor | 1 | 1st Floor |
| 2 nd Floor | 2 | 2nd Floor |
| 3 rd Floor | 3 | 3rd Floor |
| 4 th Floor | 4 | 4th Floor |

Suggested colour coding multi- floor building

Figure 5.9 Key plans of floors



Braille Locator

Figure 5.9 Signage with Braille & raised alphabets

RAMP

- **Gradient:**
 - **Indoor-** Gentle slope of 1:15 max.
 - **Outdoor-** For first floor and above 1:15 or 1:20 gradient ramp is advised depending upon availability of space
- **Width:**
 - 1500mm minimum; 1800mm is preferred
- **Landings:**
 - To be provided for every 750mm of vertical rise.
 - Clear space or size of 1500mm x 1500mm minimum.
 - At the beginning and the end of the ramp and at turnings
 - At intervals of every 9 meters for a gradient of 1:15 or 1:20
- **Handrails:**
 - To be on both sides at two heights- 760mm-900mm, painted in contrast color against the background wall; both ends to be rounded and grouted and extend 300mm beyond top and bottom of ramp **(Figure 5.10)**
 - Surfaces (ramp & landing) should be slip resistant. Grooves on cement ramp not exceeding 5mm or checkered tiles can be provided.
 - Warning tactile paver should be placed at 300mm before and after the ramp edges **(Figure 5.11)**
 - Ramp in the schools should not be obstructed by vehicles and ramp entry should not be kept locked. These incidences are common when step entry is made as common entry.
 - Ramp entry should be used as main entry which benefits everyone - disabled, old and those with reduced mobility.
 - Gradient of the ramp should be maximum 1:12, i.e., for every rise of 1 unit height, length of the ramp should be 12 units maximum. A gentle ramp of 1:15 gradient is preferred as it is easier to maneuver wheelchair on gentle slope.
 - Grooves on ramps should not have height of more than 10mm. CC/ matt finish/ anti-skid tiles such as checkered tiles used on footpaths are good to use for ramp flooring.

- Ramp edges should be flushed with the flooring and the pathway leading to the ramps should be firm and leveled.
- Ramps should be provided on one side of the steps and not in center. L-shape ramps are preferred if the plinth height is more.

Ramp with a gradient of 1:12 is found steep by many wheelchair users, while using it independently. Wheelchair users roll backwards on such steep ramps while ascending and lose control during descending which might result in accidental hazards.




Figure 5.10 Ramp with handrails on both the sides





Figure 5.11 L-shape and switch back platform ramps for schools having less space in front for ramp



STEPS AND STAIRS

- Steps to have equal/uniform:
 - Uniform risers (step height): 150mm maximum
 - Uniform tread (step width): 300mm minimum
- The steps should have an unobstructed width of at least 1200mm
- Landing should be 1200mm deep, clear of any obstruction
- Have continuous handrails on both sides, including the wall (if any) and also on landings
- Handrail height- two levels 760mm and 900mm, painted in contrast color to background wall
- Warning paver to be provided 300mm before the beginning and at the end of all set of steps and at landings
- 50mm wide contrast color band/strip should be provided at the step edge, extending the full width of the step. Landings to also have a row of warning strip **(Photo 5.12)**
- Nosing to be avoided
- Should be adequately and uniformly illuminated with level of illumination between 100-150 lux
- There needs to be signage indicating the floor level on each floor
- It is desirable to use tactile features on the handrail to indicate the end of the rail and to give information for benefit of children with visual impairments (e.g., it is possible to indicate the floor level on each handrail by adopting the use of raised spots, where one spot indicates first floor, two spots indicate second floor etc.)
- Step edges-50mm minimum should have bright contrasting colors, which helps children with low vision to identify height and depth of each step **(Figure 5.13)**
- Soffit- open area under the staircase should be cordoned off by guard rails **(Photo 5.14)**



Photo 5.12 Landings having a row of warning strip



Photo 5.13 Open area under the staircase should be cordoned off





Figure 5.14 Step edges with bright contrasting colors

HANDRAILS

- For a multistoried building, provide tactile features indicating the floor level on the handrail/ end of the rail to children with visual impairments (e.g., indicate the floor level on each handrail by use of raised dots, where one dot indicates first floor, two dots indicate second floor, and so on)
- Should be circular in section with a diameter of 38-45mm (**Photo 5.15 and Fig. 5.16**)
- Have at least 50mm clear knuckle space from the surface to which they are attached
- Provided at two levels - height of 760mm and 900mm from the floor level
- Extend by at least 300mm beyond the head and foot of the flight and ramp in the line of travel and grouted in the ground
- Ends to be either grouted in the ground or wall or rounded off
- Should be in bright color contrast to the surroundings (preferably red/yellow)





Photo 5.15 Handrails with circular ends

Figure 5.16 Standards of handrails
along staircase

Floor Finishes: TACTILE PAVERS: GUIDING STRIP & WARNING BLOCKS

- Line-type blocks (**Fig. 5.17**) indicate the correct path/route to follow
- Dot-type blocks (**Fig. 5.17**) provides warning signal, to screen off obstacles, drop-offs or other hazards, to discourage movement in an incorrect direction and to warn of a corner or junction. Should be placed 300mm at the beginning and end of the ramps, stairs and entrance to any door
- Places to install warning blocks (**Fig. 5.18**):
 - In front of an area where traffic is present.
 - In front of an entrance/exit.
 - To and from a staircase or multi-level crossing facility.
 - In open space to orient persons with vision impairment.




Figure 5.17 Tactile guiding and warning blocks




Figure 5.18 Examples of installation of tactile pavers

GENERAL TOILETS

- All signage of general toilets should be in bold and contrasting colors
- For children with visual impairments, pictogram (male pictogram in triangle and female pictogram in circle) marked on plates along with Braille & raised alphabets to be mounted on wall next to door near the latch side, at a height between 1400mm-1600mm (**Fig. 5.19**).
- Warning strip/ thin rubber door mat to be provided 300mm before the toilet entrances
- Availability of sanitary material and disposal mechanism such as incinerators should be provided for the girls. Running water in the girl's toilets is essential for Menstruation, Hygiene and Management (MHM). Overhead water storage tanks should be provided to get piped water facility
- All toilet facilities should incorporate fire alarms with audio and visual systems
- Alarms must be located so that assistance can be summoned, both when on the toilet pan i.e., at 900mm height and lying on the floor i.e., at 300mm, from floor surface
- Toilet seat/WC or the background tiles shall be in contrast color for the benefit of children with low vision and to create visual contrast




Figure 5.19 Signage for General toilets


Toilets- some children have difficulty with commodes and others with squatting toilets (Indian seat); at least one of each kind should be provided

- Water and soap for washing hands not only helps in learning safe hygiene management but also helps in attitude change of washing hands, especially in villages, where most people defecate in open and do not wash hands.
- For adolescent girls, running water is essential for their menstruation hygiene management.

- Accessible, usable and functional toilet facilities should be provided for all children. For children with disabilities, it is essential that toilets should have illumination, doors and roof for safety and privacy; otherwise, they are bound to remain out of school.

ACCESSIBLE URINALS

- Accessible urinal should be provided in the beginning of the urinal row.
- One urinal should be modified – step less entry and chest support grab bar should be provided
- At least one of the urinals should have grab bars to support ambulant children with disabilities (for example, children using mobility aids like crutches)
- Urinals shall be stall-type or wall-hung, with an elongated rim at a maximum of 430mm above the finish floor.
- This is usable by children, short stature children and wheelchair users
- There should not be any step/ level difference in front of accessible urinal
- At least one of the urinals in all Boy's/Gent's toilets on all floors should have grab bar; installed on each side and in the front to support ambulant children with disabilities (for example, crutch users)
- The front bar is to provide chest support; the sidebars are for the user to hold on to while standing (**Photo 5.20**).



ACCESSIBLE TOILETS

- Accessible toilets (also termed as CwD's toilets) should be located next to or within 30m of the main entrance/ exit of the school building
- A minimum of one toilet compartment should have enough floor space for wheelchair users to enter and exit; clear floor space should be 2000mm x 2200mm minimum
- Provide a door of clear opening of at least 900mm with the door swing outwards or be folding or sliding type

Accessible Toilets

can be used by both male and female and helps caregivers with opposite sex to assist children with disabilities

Toilet cubicle

- Should have slip resistant flooring
- A switch near the WC (one at 300mm and the other at 900mm from the floor level), which activates an emergency audio alarm at the attendant desk, staff room, etc. should be provided
- Flooring to be anti-slip/matt finish
- Anti-slip/ matt finish flooring
- Doors should have a horizontal pull-bar, at least 600mm long, on the inside of the door, located so that it is 130mm from the hinged side of the door and at a height of 900-1000mm
- Handrails all through the toilet cubicle walls should be provided for support and balance

Water Closet (WC)

- Have clear space of not less than 900mm wide, next to the water closet to facilitate side transfer
- The top of the WC to be 450-480mm from the floor
- Grab bars for WC: on the transfer side swing up type and on the wall side L-shape grab bar
- Provide movable U-shape grab bar on the transfer side and L-shape grab bar on the adjacent wall (**Photo 5.21**).
- Centerline of the WC to be located between 460-480mm from the adjacent wall

- Seat of the WC to be 450-480mm from the floor (**Figure 5.22**).
- If the WC is center placed i.e., the wall is more than 500mm away from the WC, movable grab bars on both sides to be provided
- Health faucet/ handheld spray should be provided at height between 500-800mm




Photo 5.21 Grab bars for WC




Figure 5.22 Standards for accessible toilet




Figure 5.23 U shape (moveable)




Figure 5.24 L shape grab bar



Figure 5.25 signage for toilets/ bathrooms




Figure 5.26 Tactile signage placement on door of toilet

WASHBASIN

- Warning tactile paver should be placed before washbasin for children with visual impairment to identify location of wash basin **(Photo 5.27)**.
- They should be of dimensions 550mm and 410mm, so mounted that the top edge is between 700mm-800mm from the floor; and have knee clearance of at least 760mm wide by 200mm deep by 650mm-680mm high **(Figure 5.28)**.
- Lever type handles for taps are recommended **(Photo 5.29)**.
- Mirror's bottom edge to be 1m from the floor and the mirror may be inclined at 25° angle to get proper image of a children in seated height.
- U-shape moveable grab bars are proposed on both sides of the washbasin.



Figure 5.27 Warning pavers




Figure 5.28 Accessible washbasin



Figure 5.29 Lever type handles for taps for washbasin





Figure 5.30 Proposed layout for Boy's and Girl's toilet with accessible toilet cubicle

INDIAN SQUATTING SEAT

- For children with locomotor disabilities who not using wheelchairs, Indian squatting seat should be provided with grab bars and clear floor space of 1200mm x 1500mm minimum. Door should have two-way open hinges;
- Signage for Ladies and Gent's toilet in Braille and pictogram should be provided (**Figure 5.31**);
- Clear floor space 1200mm x 1500mm;
- Vertical grab bar should be provided, which helps in assisting a child with reduced mobility to lower into squatting position and then rise into standing again;
- Horizontal grab bar should be provided which helps in balancing and stabilizing, when reaching for water/cleaning self (**Figure 5.32**);
- Health faucet/ handheld spray should be provided at height between 300-400mm;
- Door handle, lock and storage for crawlers, children and standing users at two levels/heights 300mm and 800mm; and
- Clothes hanging hook for seated and standing users at 800mm and 1000mm.






Figure 5.32 Warning paver for footrest in squatting seat




Figure 5.33 Location of incinerator in accessible toilet

Do's

- Straight and unobstructed paths to toilets which helps children with visual impairments and those using mobility aids;
- Functional toilets with regular maintenance of water - inlet, availability, storage and drainage;
- Pictogram- male & female symbol with raised outline and bright colour contrast for children with visual impairments;
- Running water for Menstruation Hygiene Management and dustbin in girls' toilets for disposal of sanitary pads;
- Use of indigenous material like bamboo, wood, mud for access provision;
- Wide door- 3ft minimum, ventilation and illumination and paved/ firm surface;
- Accessible toilets should be provided next to existing/ general toilet cubicles;
- Accessible toilet cubicle with western commode seat can be provided by combining two cubicles and creating space of 2000mm x 2200mm in refurbishment of old toilets;
- Grab bars (U and L shape) are required next to WC for independent transfers by most children.

Don'ts

- Location of toilet- should not be under the tree, as during storm/heavy rains trees fall and block entrance in the toilets;
- Toilet block
- Barriers/ obstruction- in the approach to the toilets;
- Less illumination or no illumination deters user to use it in adverse weather conditions and night;
- No facility for hand wash;
- No piped water.

ROOM AND WINDOWS

- Room windows should open inside the room and not in the corridor/circulation area
- Height of the window should be 600-1450mm, enabling the resident to see out of it, when seated or in bed (**Figure 5.34**)
- Remove glare from shining objects and window by providing blinds/curtains
- Window glasses to be provided with wire mesh/grill with mosquito net to prevent insects and for safety of children with disabilities
- Operable devices such as handles, pulls, latches and locks should be:
 - Provided between 900-1000mm
 - Lever handles and push type
 - Operable by one hand does not require fine finger control, tight grasping, pinching or twisting to operate
- **Room:** Light/fan/AC switches to be provided at a height between 800-1000mm
- **Alarms:** Audio and visual (flashing bulb) alarm facility should be provided in every room

Furniture in the classroom/ hostel room should not be reshuffled frequently; however, if necessary, children with visual impairment should be well oriented




Figure 5.34 Standards for room and windows

DOORS

- All doors- classrooms, seminar hall, canteen, toilets, pantry and practical labs, etc. should provide a clear opening of 900mm minimum
- Be fitted with a lever action locks and D-handles of circular section, between 850mm and 1100mm from floor level
- Be color contrasted with the surrounding wall and should not be heavier than 20N to open
- Kick plates are recommended 300mm from the bottom, to resist wear and tear (**Figure 5.35**)
- Wherever required, doors should be fitted with vision panels at least between 900mm and 1500mm from floor level




Figure 5.35 Kick plate at the bottom of door

DOOR ACCESSORIES AND HARDWARE

- **Threshold/ channel** should either be embedded in the ground or beveled as per the illustration (**Figure 5.36**)
- **Operable devices:** such as handles, latches and locks should be:
 - Provided between 800-1000mm
 - Lever handles and push type
 - Operable by one hand and do not require fine finger control, tight grasping, pinching or twisting to operate (**Figure 5.37**)
- **Glazed/glass doors and fixed glazed areas:** should be made visible by use of a clear, color and tone contrasted warning or decorative feature that is effective from both inside and outside. These should be visible under any lighting conditions, e.g. a logo, of minimum dimensions 150mm by 150mm, set at eye level, can be provided
- **Foot mats:** either recessed in the ground or thin rubber mats to be provided, for children with visual impairment to easily detect all entrances
- **Kick plates:** (aluminum/rubber) at 300-400mm of height from the floor level to be provided on the doors (to avoid wear and tear) (**Figure 5.37**)





Figure 5.36 Bevel edge on the channel/projection



Figure 5.37 Standards for kick plates, information signage & door hardware



DRINKING WATER

- Signage should be provided for drinking water area
- Taps to be at two heights- 400mm and 800mm and lever type handles for taps are recommended
- A lowered washbasin for children using mobility aids such as wheelchair, crutches, walker etc. should be provided
- Washbasin be of dimensions 520mm and 410mm, so mounted that the top edge is between 700mm-800mm from the floor; have a knee space of at least 760mm wide by 200mm deep by 650mm-680mm high (**Figure 5.38**)
- This allows both front and parallel access to taps for students using mobility aids like wheelchair, crutches etc.
- Multi-tap and multi-level drinking water unit with cubby hole for soap is a child friendly design and should be provided (**Figure 5.39**). There are two options and anyone of these can be provided.






Figure 5.38 Standards for accessible drinking water units





CLASSROOMS, LIBRARY, LABORATORY, RESOURCE ROOM AND ACTIVITY AREAS

- There should be specified norms for teacher child ratio per classroom. Education, growth and evacuation are facilitated by providing adequate space per child.
- In the rooms/laboratory/activity area, storage space of various kinds (shelves, cupboards and drawers) should be 340mm-1200mm from the floor level, allowing front approach and 230-1300mm for side approach (**Figure 5.40**)
- Almirahs and drawer handles should be lever lock with D-shape handle, which may be easily grasped by a child with limited gripping or pulling strength (not more than 20N)
- Sufficient floor space- 900mm-1200mm should be provided for wheelchair users to maneuver around green boards in classrooms, in between library stacking shelves and while opening doors of cupboards/almirahs in hostel rooms.
- Comfortable forward reach is between 380-1200mm and maximum height of shelves over worktop should not be more than 1000mm.
- **Libraries**
 - All open book stacks should be accessible.
 - All library facilities and equipment should be accessible.
 - A special room should be provided for people with hearing and vision impairment who need assistance while reading.
 - A silent room/ space is preferred for children with Autism.




Figure 5.40 Standards for storage lockers/almirahs

FURNITURE AND MULTI USE TABLES

- In the classrooms, some benches should have detached (separated) table and seats to facilitate ease of movement of assistive devices users such as walkers/ crutches, etc.
- A knee clearance of at least 650mm is required.
- The desks should be used by maximum 2-3 children.
- Desk should be modified by providing a shelf or storage space under it so that children can keep their bags in it and use the seat space for resting purpose.
- Height of the seat and desk should be provided / adjusted as per the child size and height.
- Glazed, mirror polish flooring can cause slip hazards. Anti-skid flooring is recommended in the entire school.
- Glazed tiles also produce glare from natural light and cause discomfort to students with low vision.
- Activity/study/dining tables should not be more than 800mm high from the floor, with a minimum knee clearance of 650-680mm high and 280-300mm deep (**Figure 5.41**).
- Space around the table should be around 1200mm x 800mm.
- Matt finish light color table surface are recommended instead of glazed surfaces that produce glare



Photo 5.41 Easy to use school furniture

Source: <http://www.panfurniture.com/schoolfurniture.asp>




Figure 5.42 Standards for multi-use tables

Keeping the body straight from side to side

Even with a firm board seat, this boy's body sags to one side. This can lead to increasing curve of the spine (scoliosis).

Hip guides may help him sit straighter

Sometimes, hip guides alone are not enough.

Figure 5.43 Chair (Seating) Adaptations for Children with Cerebral Palsy

AUDITORIUM, MID DAY MEAL AREA/ CANTEEN, GYMNASIUMS AND POOLS

- All common areas, including entry and exists, seating arrangements, equipment's in the gymnasium and swimming pool should be made accessible.
- Use of multi-use tables with adequate leg and knee space is easy to use furniture in these areas **(refer section 5.2.18 and figure 5.44)**
- Washbasins / sinks in canteen/mid-day meals area, provide one accessible wash basin **(refer section 5.2.11)**
- Auditoriums should have induction loop system for children with hearing impairments.
- Auditoriums and open areas where events are conducted, spaces for wheelchair users should be clearly marked with international symbol of accessibility and should have dimensions complying with figure
- Some seats with removable or flip-up armrests should be provided at row ends to accommodate a wheelchair user or a person with limited ambulatory mobility. A level floor area for wheelchair users should be placed at row ends and should be scattered on different levels so as to have a variety of seating and viewing locations **(Figure 5.42)**.
- The number of spaces designated for wheelchair users in a seating area can be estimated according to Table 5.1:

Table 5-1: Seating for wheelchair users in Halls/auditoriums

| Number of seats in a seating area | Number of required spaces for wheelchair users |
|--|---|
| up to 600 | 6 i.e., 1/100 |
| up to 1000 | 6 + 2 |
| over 1000 | 8+1 for each additional increment of 1000 seats |





Figure 5.44: Wheelchair seating in an auditorium/assembly hall

LABORATORIES

- Use of multi use tables with adequate leg and knee space is easy to use
- furniture in labs (**Refer section 5.2.18 and figure 5.45**)
- For labs having washbasins / sinks, provide one accessible wash basin (**Refer section 5.2.11**)
- Writing surfaces or service counters should not be more than 800 mm from the floor and have clear knee space of 680mm (**Figure 5.45**)


Figure 5.45: Counter tops/table height



SPORTS BUILDINGS

- Sports halls should be fully accessible.
- At least one shower room (**Section 6.3**), one washroom (**Section 5.2.10**), and one changing room per facility should be accessible to a wheelchair user.
- Spectators' seating areas should be provided for wheelchair users as specified (**Figure 5.44 and Table 5-1**)
- The clear width of the accessible entrance door should not be less than 900mm (**Figure 5.46**), preferable 1m and the width of the corridors or passageways leading to and from such access door should not be less than 1800mm.

Figure 5.46: Door opening



LIFT

Wherever possible ramps are preferred than lift in the schools; if there is a space constraint, then lift shall be provided for multi-story schools.

- **Color:** lift door and panel should be in bright color contrast, instead of glazed steel or any other metallic shade that produces glare
- **Car space:** Internal floor space 1500mm x 1500mm minimum
- **Doors:** 900mm wide and closing mechanism to be adjusted to give adequate entry time. Alternatively, sensors should be installed
- **Call button:** at a reach of 800mm-1000mm; at least 450mm from any corner or wall to reach the call button
- **Control panel:** inside the lift preferably on both the sides, having buttons with Braille and also raised letters and in bright contrast from the background (**Figure 5.47**)
- **Audio announcement:** for door opening/closing and floor levels
- **Key plan:** of all floors to be placed inside the lift
- **Vision panels:** should be provided on the lift door at two levels-800mm & 1500mm
- **Level difference:** gap in level between the lift door and the floor surface should not be more than 10mm
- **Floor directory:** of the main facilities and services available on the lift landing, along with an accessible emergency egress route that clearly indicates the location of nearest refuge areas for children with disabilities
- The use of visually and acoustically reflective wall surfaces should be minimized within the lift car as visual reflections can cause discomfort and affect the visual acuity of children with visual impairments
- The floor of the lift car should be slip resistant and have similar frictional qualities to the floor of the lift landing to decrease the risk of stumbling
- The provision of a mirror on the wall of the lift car opposite the lift door is a positive aid to navigation for wheelchair users.
- It allows the wheelchair user to see if anyone is behind them and also to see the floor indicator panel
- The mirror should not extend below 900mm from the lift floor to avoid confusing children with visual impairments
- Be color contrasted with the surrounding wall and should not be heavier than 20N to open




Figure 5.47 Standards for lifts door and control panel with Braille

ILLUMINATION

- Adequate and well distributed lighting should be provided in all classrooms. Preferred illumination level between 350-500 lux.
- Glare from excessively bright lights should be avoided.
- Illumination should be provided on black board for lip reading by children with hearing impairment.
- Toilets, staircases and corridors should have illumination level between 100-150 lux.

PLAYGROUND

- Paved pathway of 1800mm width minimum should be provided.
- In case of level difference, ramp to connect the pathway should be provided.
- Nearest sitting area to the paved pathway, under shed / tree to have clear space of 800mm x 1200mm for wheelchair users

CHAPTER 6: HOSTEL



6.1. ENTRY & EXIT

- All entries and exits of the hostel should comply with section 5.2.1

6.2. ACCESSIBLE ROOM

- The room should be planned to provide a 1500 mm turning in space for wheelchair users, at least near all the doors.
- There should be a clear floor space of at least 900 mm × 1200 mm in front of all furniture.
- Bed for a wheelchair user should:
 - Have a height of 450-480 mm from the floor surface;
 - Be stable. Stability may be improved by placing the bed against a wall or in corner of the room (except for when the wheelchair user plans to make the bed); and
 - Be positioned to provide at least a 1500 mm turning in space at the transfer side.
- A bedside table or cabinet between 450 mm and 900 mm from the floor may be useful to hold a lamp telephone, necessary medications and a call bell if assistance is needed.
- Wall hook installed at a height of 1100 mm to 1300 mm may be a useful addition to the closet area.
- The closet should:
 - Have a clear floor space of at least 900 mm × 1200 mm;
 - Have the clothes bar at a height of 1200 mm from the floor;
 - Have shelves installed at various levels between 300 mm and 1150 mm from the floor surface;
 - Have door handle conforming to **(Section 5.2.14)**




Figure 6.1 Space around bed




Figure 6.2: Storage space




Figure 6.13: Shelves and cupboards

6.3. CANTEEN/ DINING HALL

- New canteens / dining halls and eating spaces should be accessible and persons with disabilities and elderly should use facilities and services.
- Old buildings should be retrofitted as per the standards given in chapter 4.
- In self-service canteens, tray slides and counters should be mounted at 800mm from the floor for wheelchair users. Food shelves should be mounted at a maximum height of 1200 mm and aisle space of minimum 900mm should be provided (**Figure 6.4**).
- Cantilevered tables or tables with straight legs at each corner are preferable to central pedestals that might restrict wheelchair access.
- Stools and high tables are not suitable for wheelchair users. Low tables should be provided as well.




Figure 6.4: Wheelchair aisle and reach height

6.4. ACCESSIBLE BATHROOM

- For individual accessible cubicles in Ladies and Gents toilets, signage should be provided as per Figure 6.5 and 6.6.
- For the benefit of the persons with vision impairment, all general toilets should have male pictogram in triangle or female pictogram in circle, marked on plates with raised alphabets and Braille (**Section 5.2.8**) put on wall next to door latch.
- Additional signage can be provided on the door as well (**Figure 6.5 & 6.6**).



Figure 6.5: Unisex accessible (CWDS) toilet



Figure 6.6: Signage for Gents and Ladies accessible toilet cubicle

6.5. BATHROOMS-SHOWER CUBICLES

Size

- Shower cubicles should have minimum interior dimensions of 2000 mm x 2200 mm.
- A toilet cum shower room will have minimum interior dimensions of 2400mm x 2500mm
- The minimum clear floor space in front of the shower entrance should be
- 1350mm x 900mm with the 1350mm dimension parallel to the shower entrance.
- The floor of the shower should be slip-resistant.

Grab bars for the shower cubicle should:

- Comply with Section 5.2.10;
- Have one L-shaped bar or two grab bars in L-shaped configuration between 700 mm and 800 mm from the shower floor **(Figure 6.8)**; and
- Have one grab bar at least 750 mm long installed vertically with another at least 900 mm long mounted horizontally.

Stationary, Fittings and Accessories

- A shelf should be provided for toiletries between 400-800 mm
- All shower controls should be at a distance of 500 mm from the rear wall
- Shower controls should be installed between 750 mm to 1000 mm from the floor
- The adjustable and detachable shower head (telephone shower/ hand-held shower), with a minimally 1500 mm long hose, should be installed between 800 mm and 1200 mm from the floor.
- Where the shower head is mounted on a vertical bar, the bar should be installed so as not to obstruct the use of grab bars.
- Floor projection for the roll-in shower cubicle should not be more than 10 mm high or else beveled at a slope of 1:2.
- Enclosures for the shower cubicle should not obstruct transfer from wheelchair onto shower seat.




Figure 6.7: Shower Cubicle

Shower seat

- A wall mounted shower seat can be made available, preferably fold up kind.
- The shower seat should be positioned such that the distance between the centre line of the water closet and the adjacent wall is 450 mm to 480 mm, and the distance between front edge of the water closet and the rear wall is 650 mm. The top of the shower seat should be at a height of 450 - 480 mm from the floor.
- There should be an adequate clear floor space of at least 1350 mm depth and 900 mm width, both in front and on the transfer side, adjacent to the water closet.
- It may be self-draining, non-slip and with rounded edge;
- It may be on the wall nearest to the controls;
- It may have a minimum dimension of 400 mm wide extending the full depth of the cubicle, less space required for the shower curtain






Figure 6.8: Placement of shower accessories

CHAPTER 7: EMERGENCY EVACUATION IN SCHOOLS AND HOSTELS



- In all public spaces, toilets and bathrooms, visual & audio alarms to be provided to warn children in emergency situations.
- All staff and caretakers should have regular fire safety drills and sensitize children with disabilities.
- Exit areas and assembling area in an emergency & evacuation process should be part of the sensitization trainings.
- **Safety:**
 - **Boundary walls and Windows:** Provide boundary walls for buildings and grills /net on windows, open areas, balconies, terrace, etc.
 - **Residual Current Circuit Breaker (RCCB):** These should be installed in the mains electric supply to trip in case of electric shock
- **Fire Safety:**
 - **Safety Procedures:** to be provided and explained, in formats that are easily understood and take account of resident's communication needs
 - **Fire Refuge Area:** at the landing of a fire escape staircase, equipped with two-way communication gadgets with clear signage, flashing bulbs & audio signals to be provided to facilitate emergency evacuation
 - **Alarm Devices:** fire alarm boxes, emergency call buttons and lit panels should be installed between 800mm and 1000mm height from the furnished floor surface. These should be adequately contrasted from the background wall and should have embossed letters and Braille
 - Consider having audible alarms with 'voice instructions' that can help guide them to the nearest emergency exit
 - Non-auditory alarms (visual or sensory) to alert children with hearing impairments should be installed at strategic locations in all areas (including kitchen, toilet areas, etc.)
- **Evacuation Route:**
 - Evacuation routes should be clearly identified and should have signage that are strategically placed
 - Routes should be at least 1200mm wide, to ensure that a child using a wheelchair and a non-disabled child are able to pass each other along the route
 - The route should be free of any level difference and should be kept free from obstacles such as furniture, coolers, AC units, flowerpots, etc.

- Moreover, emergency exit lights in green color and directional signals mounted near the floor have been found to be useful for all people in cases where a lot of smoke is present (**Figure 7.1**)
- Use “Exit” signage along the route
- Orientation and direction signs with arrows should be installed at a height of 500mm from the floor level along the evacuation route



CHAPTER 8: INFORMATION AND COMMUNICATION ACCESSIBILITY



8.1. Barriers and Identification of Barriers

The vision of inclusive education can be translated into action only when there is accessible communication. The barrier in communication is seen as the most critical issue that must be addressed by schools by adopting child-centred accessible communication strategies which are based on the actual needs of the learners/students. Some of the barriers in schools are listed below which hinders children with disabilities to derive benefits from education. Some common barriers to effective communication in the classroom are listening barriers, perception barriers, oral barriers and cultural barriers. Learning to recognize and overcome these barriers is essential in effective classroom communication.

8.1.1 Identification of Barriers

Some of the barriers in schools are listed below that hinder children with disabilities from benefiting from education.

| Disabilities | Barrier | Solutions |
|-------------------|--|--|
| Visual Impairment | <ul style="list-style-type: none"> • Small print or no large-print versions • Videos • Charts • Maps graphs • Inaccessible e-contents and digital materials | <ul style="list-style-type: none"> • Braille • Screen Reader and contents compatible with screen reader software • Colour Contrast • Voice recorders • Tactile maps, graphs and diagrams • Availability of printers for tactile printouts • Podcast • Signage (braille) • Augmentative and alternative communication • Large Print • DAISY book (Full text and auto synchronized) • Braille Formatted File (BRF) • Digital book |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Visuals with audio descriptions, downloadable |
| Hearing Impairments | <ul style="list-style-type: none"> • Oral Communication • Videos without caption | <ul style="list-style-type: none"> • Sign language • PEC (Picture Exchange Communication) • Signage • Written instructions • Visuals with closed captioning and Indian Sign Language, downloadable materials like EPUB (text only), Easy to read format, etc |
| Cognitive Impairment | <ul style="list-style-type: none"> • Long sentences, words, pace, Technical Language • Abstract contents, longer contents, clutter contents | <ul style="list-style-type: none"> • Simplified Language • Graphic organizers • Voice recorder • Podcast • Visual schedule • Concrete presentations or concretization of abstract concepts • Multi-sensorial media and models • Multimodal representation of content with visual (Images, videos) • Auditory feedback • Online interactive materials, offline and downloadable materials • Manipulative materials, devices, equipment, Objects, activity schedule and sequence • Simple and unambiguous language text, abbreviations expanded, jargon avoided, clear purpose and meaning to context • Animation and images / pictures, small segmented, interactive materials, color codes and contrasts |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Locomotor disabilities | <ul style="list-style-type: none"> • Thin pages book, stapled book • Computer keyboard and accessories • Inaccessible software • Verbal communication • Communication using sign, gestures, etc (due to perceptual motor difficulties) • Lab equipment having finer adjustment like microscope, reading clock, geometry kit, ordinary pen | <ul style="list-style-type: none"> • Graded paged book, spiral book • Adapted hardware assistive technological equipment • Adapted computer software (eg. Text to speech, visual scan to speech, etc) • Alternative and augmentative communication • Picture exchange communication system • Adapted lab equipment, measuring scale, geometry kit, adapted writing board etc |
|------------------------|---|--|

8.2. Accessibility Standards

Accessible communication benefits all by making information clear, direct and easy to understand. School must provide or organize accessible formats and communication supports when providing information to persons with disabilities. Accessible formats of communication are also known as alternative formats of communication, which are means and formats of communication, languages, display of text, Braille, Tactile communication, signs, large prints, accessible multimedia, written, audio, video, visual displays, sign language, plain-language, human-reader, augmentative and alternate modes and accessible

information and communication technology for people with different disabilities and people using oral-aural, sign, tactile digital mode of communication.

For Instance accessible format include:

| Disability and Inaccessible format | Accessible Format/Standards |
|--|--|
| Visual Disability (Preferring aural and tactile mode for information and communication) <ul style="list-style-type: none"> • Print • Written materials • Visual materials • Digital text and images | <ul style="list-style-type: none"> • Contents in Braille • Large print • Colour Contrast /Dark theme • Accessible digital files, such as: <ul style="list-style-type: none"> ○ Html ○ Microsoft Word available as per WCAG 2.0 guidelines • Audio description • Accessible Digital text using screen reader / screen magnifier, Braille display, large monitor, DAISY materials |
| Hearing Disability (Preferring visual mode for information and communication) Oral / verbal contents Aural (audio) materials | <ul style="list-style-type: none"> • Contents in sign language • Contents interpreted through Sign Language • Audio-visual materials with closed captioning and sign language • Visual description • Assistive listening systems • Augmentative or alternative communication devices, including: |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Letter, word, or picture boards • Communication Devices that convert text to speech for communication with others • Reading aloud • Rephrasing in clear language • Lab and Other equipment with sound and visible signals • Print text/document to Digital Accessible Information System (DAISY) files for audio output for others |
| Locomotor Disability (Prefer visual and oral - aural mode of information and communication) | As in 8.1.1 |

Finally, other requirements in the Information and Communications Standards apply to schools and libraries. For example, schools and school boards must provide [accessibility awareness training for educators](#). Likewise, organizations that produce educational resources must [make those resources accessible](#). Similarly, [school libraries](#) and [public libraries](#) must procure accessible versions of print, digital, and multimedia resources

ANNEXURE I

ACCESSIBILITY AUDIT CHECKLIST

To carry out an accessibility audit of the schools, an accessibility audit checklist is required. The purpose of an accessibility audit is to carry out a detailed appraisal of the accessibility of the physical infrastructure, services and facilities of the school campus. Accessibility audits are not a new concept, and the Accessible India Campaign mandates accessibility audit of existing buildings and vetting of plans of upcoming/ new constructions. Accessibility audit is carried out by School Management Committees, Parents, Accessibility Auditors (accredited by the Government of India) and specialist's viz. architects, occupational therapists, engineers and organizations of persons with disability

WHAT IS AN ACCESSIBILITY AUDIT CHECKLIST?

Accessibility audit checklist is one of the tools to assess and make recommendations regarding the level of accessibility (approach to and within the building and use of all services and facilities). The checklist gives access requirements to comply with the needs of diverse user groups.

HOW TO USE THE CHECKLIST?

The checklist should be used for existing amenities and identifying barriers in the school premises, in terms of Physical Environment and Information and Communication accessibility. It can be used for monitoring and maintenance purpose. It helps to ensure that all retrofitting work and new construction comply with essential access standards.

PRE-ACCESS AUDIT SELF ASSESSMENT CHECKLIST

This checklist helps in self-assessment and can be used as a tool to bring about attitudinal change and achieve overall inclusion. The checklist is commonly used for advocacy, raising awareness and audits by third party for making schools accessible and barrier free. It is also important to be aware that an accessibility audit can be carried out by anyone who is responsible for school maintenance and use. SMCs and parents can conduct self-assessment to evaluate existing elements and upgrade these to make the school accessible to all its users. This means that for self-assessment and scaling up, the accessibility of school services should also be considered. The checklist is given in section 8.4.1.

Self-Assessment Checklist

| S. No. | Particulars | Remarks |
|---------------|---|----------------|
| 1 | Name of the school | |
| 2 | Date | |
| 3 | Focal person with contact details | |
| 4 | Total student's strength | |
| | Boys | |
| | Girls | |
| | CWSN – Boys | |
| | CWSN – Girls | |
| 5 | Total staff strength | |
| | Teaching/non-teaching | |
| | Special educator (if any) | |
| 6 | Teaching/non-teaching staff with disabilities (if any) | |

Physical Environment Checklist (Part I)

| EXTERNAL ENVIRONMENT | Yes | No | Remarks |
|---|------------|-----------|----------------|
| Pedestrian Crossings | | | |
| Are traffic lights installed with auditory signals? | | | |
| Is zebra crossing provided? | | | |
| If zebra crossing is provided, is it embossed so that it is detectable with a white cane? | | | |
| Footpaths | | | |
| Is the footpath clear of all obstructions? | | | |
| Is the surface leveled, firm, smooth and non-slippery? | | | |
| Is the footpath width adequate for two wheelchairs to cross? | | | |
| Are all manholes placed outside the pedestrian path of travel? | | | |
| If not, are the manhole covers properly secured and flushed properly? | | | |

| Kerb Ramp (ramp for footpath) | | | |
|---|--|--|--|
| Are kerb ramps provided at level differences, between the road surface and kerb/footpath height? | | | |
| Are kerb ramps provided at pedestrian crossings? | | | |
| Are kerb ramp provided near the school entrance? | | | |
| General Obstructions | | | |
| Are there any protruding objects in the path of travel, not detectable by a person with visual impairment using white cane? | | | |
| Main Gate | | | |
| Is the surface level firm, smooth and non-slippery? | | | |
| Is the main gate guarded by security? | | | |
| Is there a separate accessible gate for pedestrian entry/exit? | | | |
| Building Entrances- Ramp | | | |
| Are there ramps provided? | | | |
| Are there continuous handrails on both sides of ramp? | | | |
| Is the gradient of the ramp 1:15? | | | |
| Is the minimum width of ramp 1200mm (4 ft)? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Is there a landing provided at every turning? | | | |
| Is the surface of the ramp smooth and non-slippery/anti-skid? | | | |
| Is there edge protection on both sides of the ramp? | | | |
| Steps | | | |
| Is the step riser not more than 150mm? | | | |
| Is the staircase width more than 1800mm (6 ft)? | | | |
| Are there continuous handrails on both sides of staircase? | | | |
| Are there handrails painted in contrast color? | | | |
| Is there an open area (soffit) under the staircase, which is unguarded? | | | |
| Do the steps have nosing (protruding edge)? | | | |
| Handrails | | | |
| Are the handrails continuous, on steps and ramp even on landings? | | | |
| Can a child with disability easily grab the handrail? | | | |
| Are there handrails painted in contrast color? | | | |
| Doors | | | |
| Can the doors be operated without much effort? | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| Is manual door accessories/hardware (handles, locks, pull etc.) located at a reachable height? | | | |
| Are doormats flushed with the floor surface and all edges of the doormat secured to the floor? | | | |
| Is the threshold (doorsill) high and beveled (merged with gentle slope)? | | | |
| Corridors | | | |
| Is the surface of Corridor firm and smooth with antiskid surface? | | | |
| Can a person with vision impairment detect all protruding objects within the corridor? | | | |
| Is there overhead clearance provided while mounting hanging obstructions? | | | |
| Signage | | | |
| Are there signage for classroom, library and all other amenities provided? | | | |
| Are these signages in contrast color so that it is easily readable by a child with low vision? | | | |
| Are classroom signages provided on the wall at eye level? | | | |
| Are there signage provided for girl's and boy's toilet? | | | |
| Are there signage provided for girls and boys accessible (CWDS) toilet? | | | |
| Are there signages for emergency evacuation? | | | |




| Classrooms | | | |
|--|--|--|--|
| Are the classrooms no. and names (if any) given in Braille also? | | | |
| Are there tactile cues (warning paver) marking the location to the Braille signage? | | | |
| Is the entry to the classroom free of any level difference? | | | |
| Is the illumination level in the classroom adequate for a child with low vision? | | | |
| Is there a white light source (tube-light/CFL) above the teacher for lip reading by children with hearing impairments? | | | |
| Are the furniture in the classroom suitable to the child height? | | | |
| Are there adapted furniture for a CwDs- CP chair, separate desk and table, etc.? | | | |
| Library/Labs | | | |
| Is there ample maneuvering space between the book almirahs in library? | | | |
| Are the tables and lab equipment accessible for wheelchair users? | | | |
| Toilets | | | |
| Is there separate toilet for girls and boys? | | | |
| Are there separate accessible (CwDs) toilets for boys and girls? | | | |
| Are these toilets near the classroom block? | | | |


| | | | |
|--|--|--|--|
| Are there signage (symbol of male and female) provided for identification of toilets? | | | |
| Are these toilets have roof/ covered urinals, piped water and hand washing spaces? | | | |
| Are there incinerator provided for menstruation hygiene menstruation for girl's toilets? | | | |
| Drinking Water | | | |
| Is there RO/ filtered drinking water available for children? | | | |
| Is the water available directly from the RO or stored in a container? | | | |
| Is there drainage and washbasin provided? | | | |




External Environment Upcoming & New Constructions (Part II)


This checklist is mandatory for all upcoming and new constructions. This is easy to use checklist by accessibility auditors/ professionals/ architects/ engineers, etc. who are planning, designing, constructing or auditing the educational institutions.





| EXTERNAL ENVIRONMENT | | | | |
|---|-----|----|---------|---|
| Pedestrian Crossings | Yes | No | Remarks | |
| Is there speed limit signage to orient the vehicle drivers? | | | |  |
| Is there 'school ahead' signage, 50m before school main gate and on both sides of road? | | | |  |

| Footpaths | Yes | No | Remarks | |
|--|------------|-----------|----------------|--|
| Is the footpath clear of all obstructions? | | | |  |
| Is the footpath at least 1800mm wide? | | | | |
| Is the surface level, smooth and non-slippery? | | | | |
| Are all manholes' places outside the pedestrian path of travel? | | | | |
| Kerb Ramps (ramp for footpath) | Yes | No | Remarks | |
| Are kerb ramps provided at all level differences, between the road surface and footpath level: | | | |  |
| a) At Pedestrian crossings? | | | | |
| b) At Accessible parking space? | | | | |
| c) At Building entrances? | | | |  |
| General | Yes | No | Remarks | |
| Are there any protruding objects while approaching the school, which is not detectable by a child with visual impairment using white cane? | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|----------------|---|
| Is there a boundary wall provided compounding the school campus? | | | | |
| Parking | Yes | No | Remarks | |
| Is the parking inside /outside the premises? | | | | |
| Is the parking within 30 meters of the accessible entrance? | | | |  |
| Is the parking space adequate for cycles, two-wheelers, tricycles, and any other vehicle? | | | | |
| Do parked vehicles outside the gate obstruct footpaths/ pedestrian areas? | | | | |
| Is there a vertical, visible signboard indicating accessible parking spaces for use by CwDS and persons with disabilities? | | | | |
| If yes, is the size of the parking 3600mm x 5000mm? | | | | |
| INTERNAL ENVIRONMENT | | | | |
| Ramps | Yes | No | Remarks | |
| Is there a ramp next to the stairs? | | | | |
| Is the location of the ramp clearly identifiable? | | | | |
| Is the ramp gradient no steeper than 1:15? | | | | |
| Is the minimum width of the ramp 1800mm (2m preferred)? | | | | |


| | | | | |
|--|------------|-----------|----------------|--|
| Are there continuous handrails, on both sides, at a height between 760mm-900mm? | | | | |
| Is the surface of the ramp anti-slip/ matt finish? | | | |  |
| Is there an edge protection on both sides of the ramp? | | | |  |
| Steps/Stairs | Yes | No | Remarks | |
| Is the location of the steps easily identifiable? | | | |  |
| Is the minimum width of the stairs 1200mm? | | | | |
| Are there continuous handrails, on both sides, at a height between 760mm-900mm? | | | | |
| Do the stairs have a nosing? | | | | |
| Are the step edges of a different colour or texture easily identifiable by child with visual impairment? | | | | |
| Is the location of emergency (fire escape) stairs clearly identifiable? | | | | |



| | | | | |
|---|------------|-----------|----------------|---|
| Are the risers having open gaps in the steps? | | | | |
| Is the step riser not more than 150mm? | | | | |
| Is there an open space under staircase which is not guarded? | | | | |
| Handrails | Yes | No | Remarks | |
| Are handrails mounted at two levels- height 760mm and 900mm? | | | |  |
| Are handrails easy to grip (diameter 38mm preferred)? | | | | |
| Are the handrails painted in contrast colours to be easily indefinable? | | | | |
| General Toilets | Yes | No | Remarks | |
| Is there signage provided for girls and boys toilet? | | | | |


| | | | | |
|---|------------|-----------|----------------|--|
| Is there Braille signage provided at height of 1000 and 1400mm for each toilet? | | | | |
| Is there latch inside girl's toilet at two levels 400mm and 800mm height? | | | |  |
| Is there adequate illumination in both the toilets? | | | | |
| Is there incinerator available in girl's toilet? | | | |  |
| Is there piped water facility available in girl's toilet? | | | | |
| Accessible Toilets | Yes | No | Remarks | |
| Are there separate accessible toilets for children with disabilities (preferred separate accessible toilet for girls and boys)? | | | |  |
| Are these toilets within 30m of the classroom/s block? | | | | |
| Is there signage provided for girls and boys accessible toilet? | | | |  |
| Is the size of the toilet minimum 2000mm x 2200mm? | | | | |
| Is there sufficient wheelchair manoeuvring space of 1500 x 1500mm around the WC and washbasin? | | | | |
| Is the washbasin mounted at a height between 700mm-800mm? | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Is the lower edge of the mirror positioned at a height of 1000mm? | | | | |
| Are there transfers garb bars installed near WC? | | | | |
| Are all the grab bars at a height between 700mm-800mm? | | | | |
| Is the toilet equipped with an emergency alarm system? | | | | |
| Can doors be locked from inside and releasable from outside under emergency situations? | | | | |
| Are flushing equipment easy to operate? | | | | |
| Is the floor material skid proof, well drained and waterproof? | | | | |
| Is the WC (western commode seat) height at 300- 400mm (child height)? | | | | |
| Is the tap height at 800mm max.? | | | | |
| Is the toilet door minimum 900mm wide and open outwards? | | | | |
| Is the ramp gradient- 1:15? | | | | |
| Is there landing of 1500mm x 1500mm provided at turning of the ramp? | | | | |
| Are there handrails on both sides of the ramp? | | | | |
| Is the toilet equipped with an emergency alarm system? | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|----------------|--|
| Can the doors be locked from the inside and unlocked from outside in emergency situations? | | | | |
| Is there an incinerator or dustbin available for disposal of sanitary pads? | | | | |
| Lift | Yes | No | Remarks | |
| Is the school building more than 2 floors? | | | | |
| Is ramp provided alongside staircase to access the upper floors? | | | | |
| If ramp is not provided, is there provision of a lift? | | | | |
| Is the minimum size of the lift 1.5m x 1.5m? | | | | |
| Is the call button not above 800mm? | | | | |
| Is the control panel between 400-1200mm? | | | | |
| Is there Braille and embossed impression on call and control panels buttons? | | | | |
| Are there handrails/ grab bars inside the lift? | | | | |
| Is there a mirror in the lift car on wall opposite to door to serve as rear view mirror? | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|----------------|---|
| Is there audio announcement when lift is operated- floor nos., door opening/ closing announcement? | | | |  |
| Is the lift manned for safety of the children? | | | | |
| Is there emergency backup of lift operations? | | | | |
| Will the lift stop at immediate next floor in case of emergency (for example fire)? | | | | |
| Doors | Yes | No | Remarks | |
| Can the doors be operated without much effort? | | | | |
| Is manual door accessories/hardware (handles, locks, pull etc.) located at a reachable height? | | | | |
| Are doormats flushed with the floor surface and all edges of the doormat secured to the floor? | | | | |
| Is the threshold (doorsill) high and beveled (merged with gentle slope)? | | | | |
| Corridors | Yes | No | Remarks | |
| Is the surface of corridor firm and smooth with antiskid surface? | | | | |
| Can a person with vision impairment detect all protruding objects within the corridor? | | | | |
| Is there overhead clearance provided while mounting hanging obstructions? | | | | |

| Signage | Yes | No | Remarks | |
|--|------------|-----------|----------------|---|
| Are there signage for classroom, library and all other amenities provided? | | | |  |
| Are these signages in contrast color so that it is easily readable by a child with low vision? | | | | |
| Are classroom signages provided in Braille and on the wall at eye level? | | | | |
| Classrooms | Yes | No | Remarks | |
| Is the entry to the classroom free of any level difference? | | | |  |
| Is the illumination level in the classroom adequate for a child with low vision? | | | | |
| Is there a white light source (tube-light/CFL) above the teacher for lip reading by children with hearing impairments? | | | | |
| Are the furniture in the classroom suitable to the child height? | | | | |
| Are there adapted furniture for CwDs? | | | | |
| Is the green board height not above 500mm from floor level? | | | | |
| Are there two doors for each classroom for ease of emergency evacuation? | | | | |
| Is there a visual and audio emergency alarm system installed in each | | | | |

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------------|---|
| classroom? | | | |  |
| Library/Labs | Yes | No | Remarks | |
| Is there ample maneuvering space between the book almirahs in library? | | | | |
| Are the tables and lab equipment accessible for wheelchair users? | | | | |
| Are the labels on book stacks marked in big fonts and contrast colour? | | | | |
| Is the labels height not above 1m from floor level? | | | | |
| Is there 900mm clear space between stacking for assistive device users to maneuver around? | | | | |
| Is the library and other staff manning the counters available for providing the books on request? | | | | |
| Drinking water | Yes | No | Remarks | |
| Is there RO/ filtered drinking water available for children? | | | | |
| Is the water available directly from the RO or stored in a container? | | | | |
| Is there drainage and washbasin provided? | | | | |
| Is there signage of drinking water given to identify its location? | | | | |

| Emergencies | Yes | No | Remarks | |
|---|-----|----|---------|---|
| Are emergency exits clearly marked with directional arrow signs? | | | |  |
| Does school campus have emergency alarm with both audio (hooter type) and visual flashing bulb? | | | | |
| Do hostel accessible rooms, common room and dining area have both audio (hooter type) and visual flashing bulb? | | | | |
| Do the students/hostel residents with disabilities undergo mock drill for emergency evacuation? | | | |  |
| Playground | Yes | No | Remarks | |
| Is there a paved pathway leading to the playing area? | | | | |
| Are there seating benches around playground? | | | | |
| Are there playing equipment's which can be used by children with disabilities also? | | | | |
| Mid-Day Meal | Yes | No | Remarks | |
| Is the mid-day meal area accessible to children with disabilities? | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Is there a circulation path of at least 900mm wide to allow a wheelchair user to move around the eating area? | | | |
| Is a table provided for children with disabilities using wheelchairs/ wearing calipers? | | | |
| Is the table accessible – having height of 800mm and knee space of 750mm wide and 480mm deep? | | | |
| Are the table corners rounded off to safeguard children from hitting these? | | | |
| Does the table with fixed stools have accessible spaces for wheelchairs? | | | |
| Are the table and fixed stools edges marked in contrast colour for ease of children with low vision? | | | |

Information & Communication (Part III)

To carry out an accessibility audit of the school, an accessibility checklist is required. Accessibility audit is carried out by School Management Committees, Parents, Accessibility Auditors and organizations of persons with disabilities.

| S.no | Questions | Yes | No | Remarks or Recommendation |
|-----------|---|-----|----|---------------------------|
| 1. (a) | The website provides information about the building/service complies with web accessibility standards | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| (b) | There is information detailing the accessible facilities in the building with photographs | | | |
| 2. | <p>All publications/brochures are available is also available in alternate accessible formats such as: -</p> <ul style="list-style-type: none"> * Braille * Large Print * Audio * Pictorial(wherever possible) * Easy-to-read * Plain language * Available in Hindi& English * Accessible Electronic formats that can be shared over email or mobile platforms. | | | |
| 3. | Printed service-related documents such as forms, rules and regulation etc. are in accessible formats | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 4. | School websites follows the guidelines of WCAG(web content accessibility guidelines) | | | |
| 5. | Forms can be filed electronically through an accessible software | | | |
| 6. | Additional support is available to fill in written forms if required. | | | |
| 7. | Staff members are trained in Indian Sign Language interpretation. If not, then Sign language interpreters are available on call. | | | |
| 8. | Assistive technology such as Loop hearing systems, Audio orientation tools, interpretative videos or audio tours in with captioning or sign language, wheelchairs etc. are available | | | |
| 9. | There is adequate lighting and no glare for deaf | | | |
| | persons and persons with low vision | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 10. | Adequate support is available for persons from different cultures, learning disabilities, those not formally educated, in all the above provisions | | | |
|------------|--|--|--|--|

ANNEXURE II

Creation of Accessible Website

WCAG is the most-referenced set of **standards** in website accessibility lawsuits and is widely considered the best way to achieve accessibility. School websites/social media/e content on internet/digital learning materials must follow WCAG.

Guideline

Summary

1.2.4 – Captions (Live)

Add captions to live videos.

1.2.5 – Audio Description (Pre-recorded)

Provide audio descriptions for pre-recorded videos.

1.3.4 – Orientation

Your website adapts to portrait and landscape views.

1.3.5 – Identify Input Purpose

The purpose of input fields must be programmatically determinable.

1.4.3 – Contrast (Minimum)

The contrast ratio between text and background is at least 4.5:1.

1.4.4 – Resize Text

Text can be resized to 200% without loss of content or function.

1.4.5 – Images of Text

Don't use images of text.

1.4.10 – Reflow

Content retains meaning and function without scrolling in two dimensions.

1.4.11 – Non-Text Contrast

The contrast between user interface components, graphics and adjacent colours is at least 3:1.

1.4.12 – Text Spacing

Content and function retain meaning when users change elements of text spacing.

1.4.13 – Content on Hover or Focus

When hover or focus triggers content to appear, it is dismissible, hoverable and persistent.

| | |
|--|--|
| 2.4.5 – Multiple Ways | Offer at least two ways to find pages on your website. |
| 2.4.6 – Headings and Labels | Headings and labels describe the topic or purpose. |
| 3.1.2 – Language of Parts | Tell users when the language on a page changes |
| 3.2.3 – Consistent Navigation | Use menus consistently |
| 3.2.4 – Consistent Identification | Use icons and buttons consistently |
| 3.3.3 – Error Suggestion | Suggest fixes when users make errors |
| 3.3.4- Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Reduce the risk of input errors for sensitive data |

WCAG Checklist Level AAA (Advanced)

Guideline

[1.2.6 – Sign Language \(Pre-recorded\)](#)

[1.2.7 – Extended Audio description \(Pre-recorded\)](#)

[1.2.8 – Media Alternative \(Pre-recorded\)](#)

[1.2.9 – Audio Only \(Live\)](#)

[1.3.6 – Identify Purpose](#)

[1.4.6 – Contrast \(Enhanced\)](#)

[1.4.7 – Low or No Background Audio](#)

[1.4.8 – Visual Presentation](#)

Summary

Provide sign language translations for pre-recorded videos.

Provide extended audio descriptions for pre-recorded videos.

Provide text alternatives for pre-recorded videos.

Provide alternatives for live audio.

The purpose of all components must be programmatically determinable.

The contrast ratio between text and background is at least 7:1.

Audio-only content is clear with no or minimal background noise.

Offer users a range of presentation options for blocks of text.

| | |
|--|---|
| <u>1.4.9 – Images of Text (No Exception)</u> | Don't use images of text. |
| <u>2.1.3 – Keyboard (No Exception)</u> | All functionality is accessible by keyboard with no exceptions. |
| <u>2.2.3 – No Timing</u> | No time limits on your website. |
| <u>2.2.4 – Interruptions</u> | Users can postpone or suppress non-emergency interruptions. |
| <u>2.2.5 – Re-authenticating</u> | Save user data when re-authenticating. |
| <u>2.2.6 – Timeouts</u> | Warn users about timeouts that cause data loss. |
| <u>2.3.2 – Three Flashes</u> | No content flashes more than three times per second. |
| <u>2.3.3 – Animation from Interactions</u> | Users can disable motion animation. |
| <u>2.4.8 – Location</u> | Let users know where they are on your website. |
| <u>2.4.9 – Link Purpose (Link Only)</u> | Every link's purpose is clear from its text. |
| <u>2.4.10 – Section Headings</u> | Organise content with headings. |
| <u>3.1.3 – Unusual words</u> | Explain any strange words |
| <u>3.1.4 – Abbreviations</u> | Explain any abbreviations |
| <u>3.1.5 – Reading Level</u> | Users with nine years of school can read your content |
| <u>3.1.6 – Pronunciation</u> | Explain any words that are hard to pronounce |
| <u>3.2.5 – Change on Request</u> | Don't change elements on your website until users ask |
| <u>3.3.5 – Help</u> | Provide detailed help and instructions |
| <u>3.3.6 – Error Prevention (All)</u> | Reduce the risk of all input errors |

GLOSSARY

Access Aisle

An accessible pedestrian space between elements, such as parking spaces, seating and desks that provides clearances appropriate for use of elements.

Accessible

A site, building, facility, or portion thereof that complies with this manual and that can be approached, entered and used by persons with disabilities.

Accessible Route

A continuous unobstructed path connecting all accessible elements and spaces in a building that can be used and negotiated by a person with disability using a mobility aid.

- Interior accessible routes may include corridors, ramps, lifts and floor space.
- Exterior accessible routes may include parking, access aisles, kerb ramps, walkways and ramps.

Accessible Toilet

Toilet cubicle accessible to mobility aid users especially wheelchair users and having western water closet seat, washbasin and grab bars.

Beveled

Smooth, slanted angle between two surfaces; for example, a slope or inclination between two uneven surfaces to allow easier passage of a wheelchair or other mobility aids.

Braille

The Braille system is a method that is widely used by blind people to read and write. Each Braille character or cell is made up of six dot positions, arranged in a rectangle containing two columns of three dots each. Braille is adapted to several languages including Hindi. Braille comprises of two grades – Grade 1 & Grade 2

Circulation Path

An exterior or interior way of passage from one place to another for pedestrians, including walkways, hallways, courtyards, stairways, and stair landings.

Clear Door Width

The clear door width is the unobstructed passage available after decreasing the 1) thickness of the door; 2) the space between the door and the frame on the hinged side; and 3) the thickness of doorstop molding on the doorframe. Therefore, the clear door width is always less than the full width of the door.

Colour Contrast

The basic guidelines for making effective colour choices are based on the hue value of the colours. The most commonly used methods of achieving colour contrast incorporate either 'harmonizing' or 'contrasting' colour combinations.

Fixed Turning Wheel Radius

The track of the caster wheels and large wheels of a wheelchair when pivoting on a spot.

Grab Bar


A bar used to give a steadying or stabilizing assistance to a person engaged in a particular function.

Handrail

A rail used in circulation areas such as corridors, passageways, ramps and stairways to assist in continuous movement.

International Symbol of Access

The symbol denotes a barrier free environment, which also helps elderly people, parents with prams, and travelers with luggage.



Kerb Ramp

A short ramp cutting through a kerb or built up to it.

Operable Parts

A part of a piece of equipment or appliance used to insert or withdraw objects, or to activate, deactivate, or adjust the equipment/appliance (for example light switch, pushbutton, handle).

Ramp

An inclined way connecting one level with another.

Tactile

That can be perceived using the sense of touch.

Tactile Guiding Pavers/ Block

These flat-topped bars are easily detectable underfoot by persons with visual impairment. They are used externally to guide them along the circulation path.

Tactile Warning Pavers/Block

These are used in order to warn persons with visual impairment.

References

- 1) Accessibility Research and Comparative Analysis of Building Standards & Regulations in various states of India, Anjee Agarwal, 2011
- 2) Accessible Signage Guidelines, Institute of Access Training Australia, 2012
- 3) Code of practice for road signs, IRC: 67-2010
- 4) Color standards for general purposes: AS 2700:1996
- 5) Design for Access and Mobility Enhanced and Additional Requirements - Buildings and Facilities: AS 1428.2:1992
- 6) Design for access and mobility General Requirements for Access – New Building Work: AS 1428.1:2009
- 7) Emergency escape lighting and exit signs for buildings – System design, installation and operation: AS 2293.1:2005

- 8) Fire detection, warning control and intercom systems – System design, installation and commissioning – Sound systems and intercom systems for emergency purposes: AS 1670.4:2004
- 9) Graphical symbols – Public information symbols: ISO 7001:2007
- 10) Guidelines on BFE-Schools, Samarthyam, 2014
- 11) Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disabilities and Elderly, Ministry of Urban Affairs and Housing, Government of India
- 12) Inclusive Mobility, UK
- 13) Interior lighting - Safe movement: AS /NZS 1680.0:1998
- 14) IRC 103: 2012, Guidelines Pedestrian Facilities, Indian Roads Congress, 2012
- 15) ISOMA, <http://www.isemoa.eu/>
- 16) IUT Codes- Signage, Intersections, Road Marking, Cross Section and Traffic Calming
- 17) Lifts, escalators and moving walks – General requirements: AS 1735.1:2003
- 18) Making Schools Accessible to Children with Disabilities, UNCEF, Ministry of Social Justice & Empowerment & Samarthyam, 2016
- 19) National Building Code, 2016
- 20) ORN 21, DFID, UK
- 21) Public Transport Accessibility Toolkit, 2013, MoUD and IUT
- 22) Space Standards for Barrier Free Built Environment for Disabled and Elderly Persons, 1998, Ministry of Urban Development, Government of India
- 23) Street Design Guidelines, UTTIPEC
- 24) United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)
- 25) Wayfinding Design Guidelines, CRC, 2007
- 26) The illustrations and graphics are created by Samarthyam